सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ

उत्तर प्रदेश

त्रैमासिक ई-पत्रिका

उद्घोष

चतुर्थ संस्करण

जनवरी - मार्च 2022

सम्पादकीय समिति

डॉ नृपेन्द्र सिंह
अध्यक्ष, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश
संरक्षक : उद्घोष, त्रैमासिक ई–पत्रिका
सम्पर्क सूत्र : 9259049509

श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रधान सम्पादक
सम्पर्क सूत्र : 7398372302

श्री भागवत शुक्ल
सह सम्पादक
सम्पर्क सूत्र : 9936595999

श्री उमेश चन्द्र जायसवाल
स्थायी सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, बस्ती

श्री अनुज वर्मा
सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, औरैया

श्री सर्वेश कुमार गौतम
सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, औरैया

श्री माहेश्वर किशोर सिंह
सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, गोरखपुर

श्री ऋषि यादव
सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद

श्री सुमित कश्यप
सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर

श्री गोपाल तिवारी
सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, मैनपुरी

श्री सौरभ श्रीवास्तव
सदस्य–सम्पादकीय समिति
जनपद न्यायालय, कासगंज

‘उद्घोष’ त्रैमासिक ई-पत्रिका (चतुर्थ संस्करण)

संपादक की कलम से

हमने संघ में रचनात्मकता की तरफ एक कदम बढ़ाया था, इस रचनात्मकता के द्वारा हम अपने रोजमर्रा के काम से दबी अपनी सोच को उभार कर समाज के सामने लाना चाहते थे। इस रचनात्मकता को उभारने की सोच का नाम हमने रखा उद्घोष और आप सबके स्नेह ने हमारे उद्घोष को सृजन और रचनात्मकता का आकाश बना दिया।

हमारे विद्वान लेखकों और कवियों की रचनात्मकता जो अब तक पत्रावलियों, नक्शों और सीआईएस के बोझ के तले दब गई थी उसे हमने प्रकाशन का मंच दिया और आपकी विद्वता ने इस पत्रिका को सर्वप्रिय बना दिया। आज उद्घोष ई-पत्रिका के इस चतुर्थ प्रकाशन के साथ पत्रिका के एक वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।

यदि लेखकों और पाठकों का इतना स्नेह न मिलता तो संपादक मण्डल का मनोबल धीरे धीरे समाप्त हो जाता लेकिन आप सबके स्नेह की बदौलत हमारा हर अंक लगातार उपलब्धि और प्रकाशन क्षमता को बढ़ाता गया। आज हम इस पत्रिका के हजारों पाठकों को नमन करते हैं कि आप सबके कारण यह सोच कार्य रूप में परिवर्तित हुई और आज हमारी पहचान बनती जा रही है

आशा है कि उद्घोष का यह अंक पूर्व की तरह पढ़ा और सराहा जाएगा। विद्वान लेखकों का आभार जो आप अपनी मौलिक रचनाएं भेज कर हमारी पत्रिका को अद्भुत स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके पत्रिका को तैयार करने वाले संपादक मण्डल का भी आभार की आपकी मेहनत के कारण पत्रिका लगातार और अच्छे रूप में पाठक गण के सामने आ रही है।

नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रधान सम्पादक
सम्पर्क सूत्र : 7398372302

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास

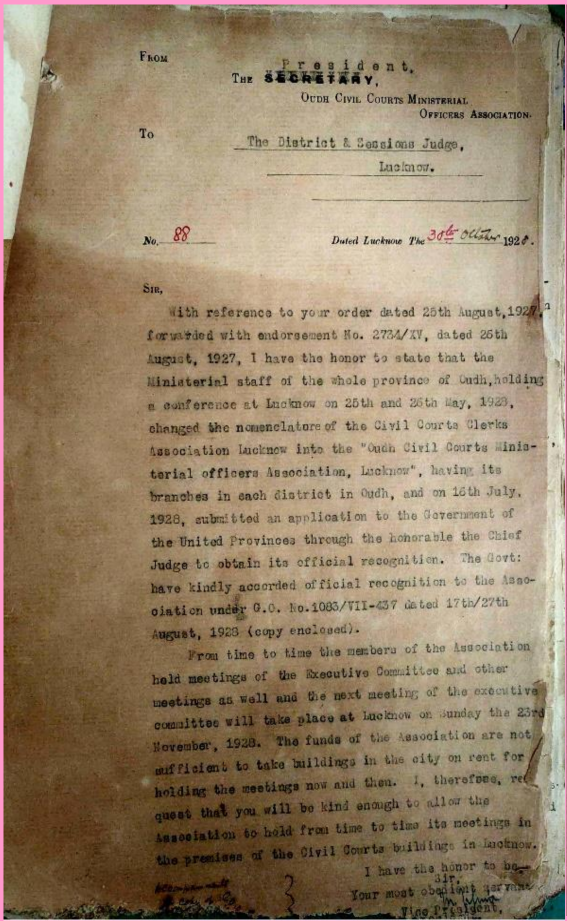

FROM

President,
THE ~~SECRETARY~~,
OUDH CIVIL COURTS MINISTERIAL
OFFICERS ASSOCIATION.

TO

The District & Sessions Judge,
Lucknow.

No. 88 Dated Lucknow The 30th October 1928.

SIR,

With reference to your order dated 25th August, 1927, forwarded with endorsement No. 2734/XV, dated 26th August, 1927, I have the honor to state that the Ministerial staff of the whole province of Oudh, holding a conference at Lucknow on 25th and 26th May, 1928, changed the nomenclature of the Civil Courts Clerks Association Lucknow into the "Oudh Civil Courts Ministerial officers Association, Lucknow", having its branches in each district in Oudh, and on 16th July, 1928, submitted an application to the Government of the United Provinces through the honorable the Chief Judge to obtain its official recognition. The Govt: have kindly accorded official recognition to the Association under G.O. No.1083/VII-437 dated 17th/27th August, 1928 (copy enclosed).

From time to time the members of the Association hold meetings of the Executive Committee and other meetings as well and the next meeting of the executive committee will take place at Lucknow on Sunday the 23rd November, 1928. The funds of the Association are not sufficient to take buildings in the city on rent for holding the meetings now and then. I, therefore, request that you will be kind enough to allow the Association to hold from time to time its meetings in the premises of the Civil Courts buildings in Lucknow.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Vice President.

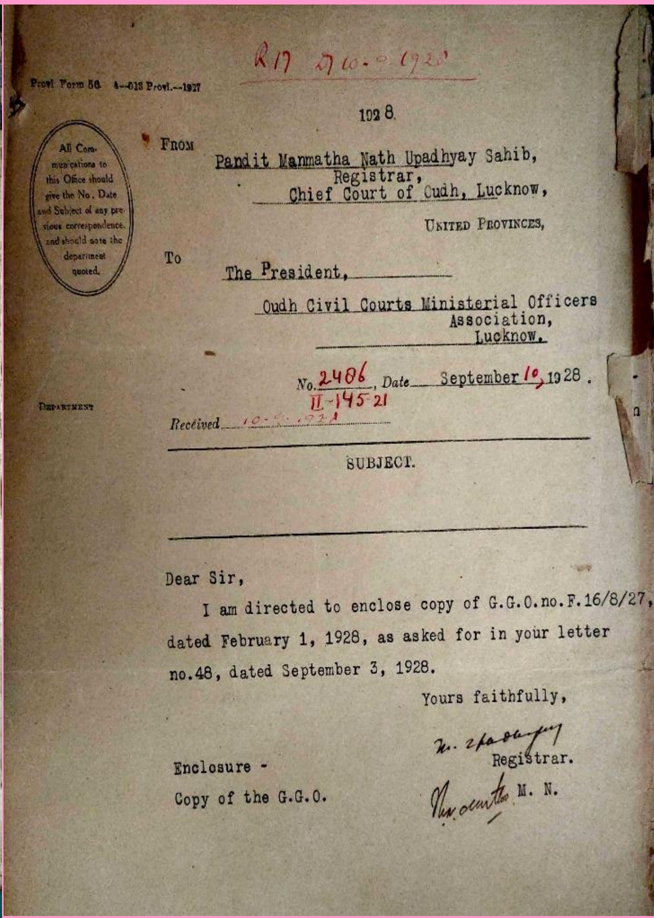

Provl Form 56. 4—018 Provl.—1927

R17 27-10-1928

1928.

All Communications to this Office should give the No., Date and Subject of any previous correspondence, and should note the department quoted.

FROM

Pandit Manmatha Nath Upadhyay Sahib,
Registrar,
Chief Court of Oudh, Lucknow,
UNITED PROVINCES,

TO

The President,
Oudh Civil Courts Ministerial Officers Association,
Lucknow.

No. 2406, Date September 10, 1928.
II-145-21

DEPARTMENT

Received 10-9-1928

SUBJECT.

Dear Sir,

I am directed to enclose copy of G.G.O. no. F.16/8/27, dated February 1, 1928, as asked for in your letter no.48, dated September 3, 1928.

Yours faithfully,
Registrar.

Enclosure -
Copy of the G.G.O.

M. N.

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का गठन सन् 1920 में हुआ था और सन् 1928 में संघ को मान्यता प्राप्त हुई थी। तदोपरान्त संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध की सरकार ने 1929 में मान्यता प्रदान की थी। **उस समय तक राजकीय सेवा एवं आचरण नियमावली ने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता काल नही देखा था**। माननीय उच्च न्यायालय के साथ चीफ कोर्ट अवध को संविलिनीकरण से पूर्व हमारा संघ दो वर्गों में था, यथा आगरा और लखनऊ जो संयुक्त प्रांत आगरा व अवध में फैला हुआ था। संघ का नाम **उ०प्र० सिविल कोर्ट मिनिस्ट्रियल आफिसर्स एसोसिएशन था**। दोनो प्रान्तो के संगठन पृथक-पृथक कार्य करते थे। उसके संयुक्त सचिव और सलाहकार परिषद का चुनाव सम्बंधित वर्गों के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में केन्द्रीय संघ की सलाह एवं संरक्षण में कार्य करते थे। दोनो प्रान्तो के संघो की पृथक समस्यओं के लिये पृथक-पृथक कार्यवाही की जाती थी परन्तु समान समस्याओं के लिये केन्द्रीय संघ ही कार्यवाही करता था। दोनो संघों के अधिवेशन प्रारम्भ में पृथक-पृथक आयोजित किये गये थे। परन्तु बाद में संयुक्त रूप से अधिवेशन आहूत किये जाने लगे।

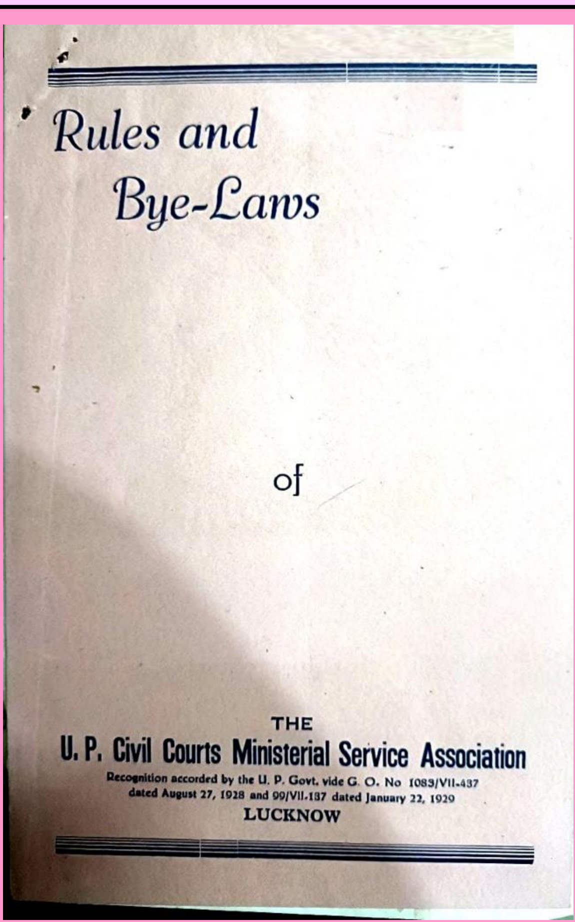

Rules and Bye-Laws

of

THE

U. P. Civil Courts Ministerial Service Association

Recognition accorded by the U. P. Govt. vide G. O. No 1083/VII-437 dated August 27, 1928 and 99/VII-187 dated January 22, 1929

LUCKNOW

संघ के गठन के प्रारम्भ से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रथम से षष्टम् अधिवेशन सन् 1926 से 1933 में मध्य आयोजित किये गये थे **आगे विवरण निम्न प्रकार हैंः-**

1) संघ का सांतवा अधिवेशन माह सितम्बर 1934 में लखनऊ में डॉ. कुतुबुद्दीन अहमद एम०ए०एल०डी०बार०एस०, लॉ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

2) संघ का आठवा अधिवेशन बनारस (वाराणसी) में आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन डॉ० श्री के० एन० काटजू द्वारा (भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश) द्वारा किया था।

3) नवाँ अधिवेशन मार्च 1936 में अयोजित किया गया था।

4) दसवाँ अधिवेशन जनपद उन्नाव में 16 फरवरी 1937 में आयोजित किया गया था।

5) 11वाँ अधिवेशन जनपद हरदोई में 1938 में श्री विशम्भर दयाल एडवोकेट, एम.ए.एल.एल.बी. की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संघ का हरदोई अधिवेशन जो 16 अप्रैल 1938 में आयोजित हुआ जिसमें आगरा और अवध दोनो संघ लमी पत्राचार की श्रृखलां में एक साथ मिले बैठे और उपस्थिति दर्ज करायी। उस समय ज्योति प्रसाद भटनागर, मेरठ के महासचिव और आगरा मिनिस्ट्रियल आफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव थे। सम्पूर्ण देश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 1939 से लेकर 1945 तक संघ का कोई अधिवेशन आयोजित नही हो सका।

U.P

संघ का पुराना प्रतीक चिन्ह

6) विश्वास और प्रोत्साहन सिविल कोर्ट कर्मचारियों में जाग्रत करने हेतु संघ का बारहवाँ सम्मेलन लखनऊ दिनांक 24-03-1946 में अवध सिविल कोर्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने आयोजित किया। जिसमें उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और लखनऊ जनपद के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पं० यज्ञ नारायन उपाध्यय एम०ए०एल०टी०, एल०एल०बी० (ब्रिटिश काल के विधायक) द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में लखनऊ जनपद के श्री सतगुरूसरन, अवैतनिक महासचिव तथा पं० वी०एन० उपाध्याय एम०एल०ए० को अगले अधिवेशन तक अध्यक्ष बनाया।

7) सन् 1947 और 1949 के मध्य तेरहवाँ और चौदहवाँ दो अधिवेशन आयोजित किये गये परन्तु उनके समय और स्थान के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नही है।

8) अप्रैल **1950 में संघ का पंद्रहवाँ अधिवेशन लखनऊ** में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में श्री पी०एल० श्रीवास्तव मुंसरिफ जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर तथा श्री सतगुरूसरन अभिलेखपाल लखनऊ से क्रमशः अध्यक्ष और अवैतनिक महासचिव निर्वाचित किये गये। जबकि राजाराम मिश्रा उन्नाव, उपाध्यक्ष, सर्व श्री मुन्नीलाल, बलिया एवं श्री एम०डी० अस्थाना लखनऊ, संयुक्त सचिव और श्री लाल गुप्ता, हरदोई सम्प्रेक्षक चुने गए। इसके अतिरिक्त दो प्रचार सचिव यथा श्री शंकर दयाल रायजादा तथा जय नारायन श्रीवास्तव लखनऊ चुने गये।

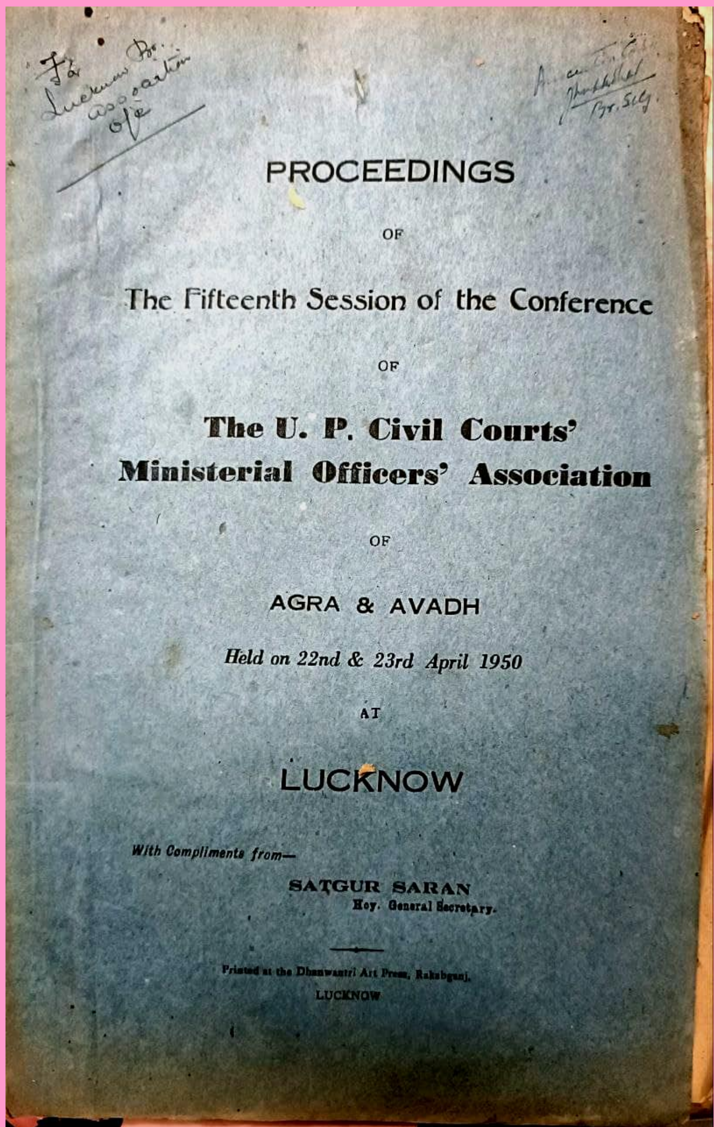

PROCEEDINGS

OF

The Fifteenth Session of the Conference

OF

The U. P. Civil Courts' Ministerial Officers' Association

OF

AGRA & AVADH

Held on 22nd & 23rd April 1950

AT

LUCKNOW

With Compliments from—

SATGUR SARAN
Hoy. General Secretary.

Printed at the Dhanwantri Art Press, Rakabganj, LUCKNOW

9) संघ का 16 **वाँ अधिवेशन बांदा जनपद में आयोजित किया गया था।** तत्समय वह एक पृथक जजी नही थी। ये अधिवेशन भारत की स्वतंत्रता के उपरांत नया संविधान लागू होने पर किया गया था, और जिसके द्वारा न्यायपालिका को महान शक्ति एवं उत्तर दायित्व सौंपा गया था। उस समय तक चीफ कोर्ट अवध, इलाहाबाद हाईकोर्ट में संविलीन हो चुकी थी और चीफ कोर्ट को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ बनाया गया। **इस अधिवेशन का उद्घाटन माननीय श्री हरिश्चन्द्र, आई०सी०एस० प्रशासनिक न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 20-10-1951 को किया गया था।** इस अधिवेशन में इलाहाबाद, बाराबंकी, बरेली, बुलन्दशहर, हरदोई, फैजाबाद, हमीरपुर, झांसी, जौनपुर, रामपुर, खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सुलतानपुर, उन्नाव और बांदा जजी के कर्मचारी संयुक्त रूप से सम्मिलित हुए थे। उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अधिवेशन था जिसमें आगरा व अवध दोनो प्रांतो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में उ०प्र० मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के दो प्रतिनिधि एल०एन० माथुर, बी०एल० भाटिया सम्मिलित हुए जिन्होने कर्मचारियों को सुसंगठित संघ और प्रबल बल जुटाने का आह्वान किया ताकि उनको मान्यता मिले। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके शखाओं को यह निर्देश दिया गया कि वे फेडरेशन से सीधे केन्द्रीय संघटन की पूर्वानुमति से सम्पर्क करें और आपातकालीन स्थिति में केन्द्रीय संगठन से सलाह मशविरा करें और महासचिव संयुक्त सचिव तत्काल अपनी सलाह प्रस्तुत करें। यह श्री प्रस्ताव पारित किया गया कि फेडरेशन जब भी शाखाओं को निर्देश प्रस्तुत करें तो उससे पूर्व केन्द्रीय संगठन से भी ऐसे मामले में फैसले करने से पहले सलाह मशविरा कर लें। इस अधिवेशन में कानपुर के

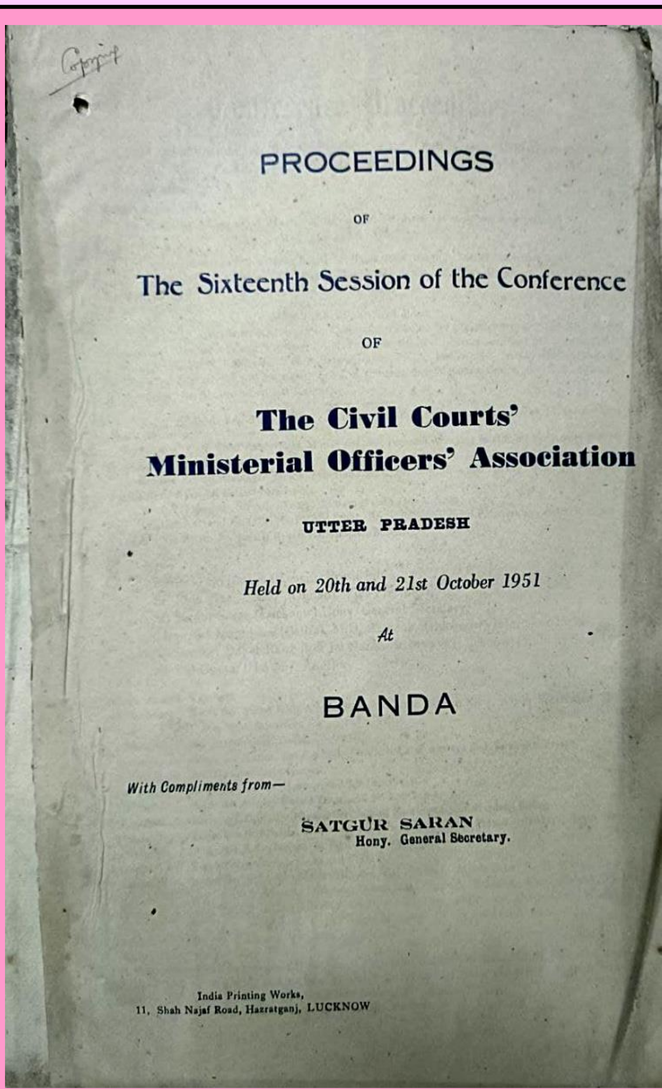

PROCEEDINGS

OF

The Sixteenth Session of the Conference

OF

The Civil Courts' Ministerial Officers' Association

UTTER PRADESH

Held on 20th and 21st October 1951

At

BANDA

With Compliments from—

SATGUR SARAN
Hony. General Secretary.

India Printing Works,
11, Shah Najaf Road, Hazratganj, LUCKNOW

श्री प्यारेलाल श्रीवास्तव, लखनऊ के सतगुरू शरण श्रीवास्तव सर्वसम्मति से क्रमशः अध्यक्ष और महासचिव चुने गए।

10) संघ का 17वाँ अधिवेशन जनवरी, 1953 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया जिसमें 24

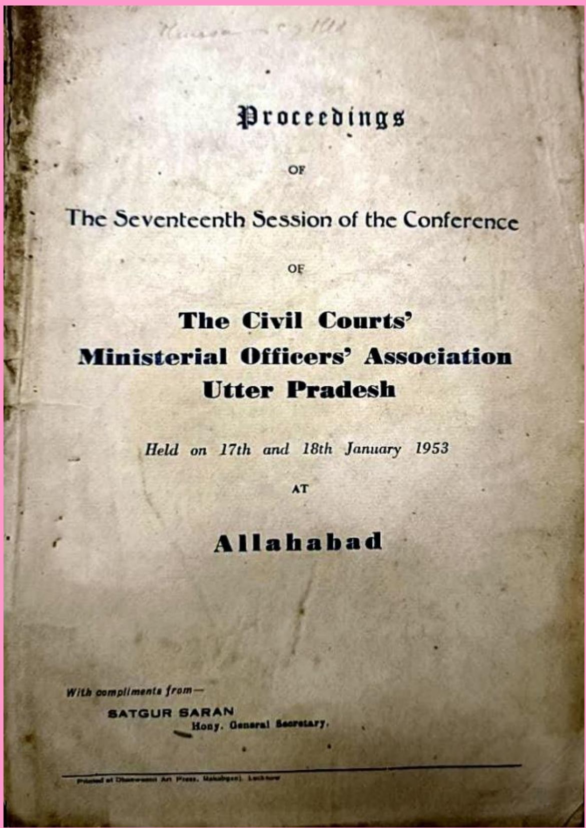
Proceedings
OF
The Seventeenth Session of the Conference
OF
The Civil Courts' Ministerial Officers' Association Utter Pradesh
Held on 17th and 18th January 1953
AT
Allahabad
With compliments from—
SATGUR SARAN
Hony. General Secretary.

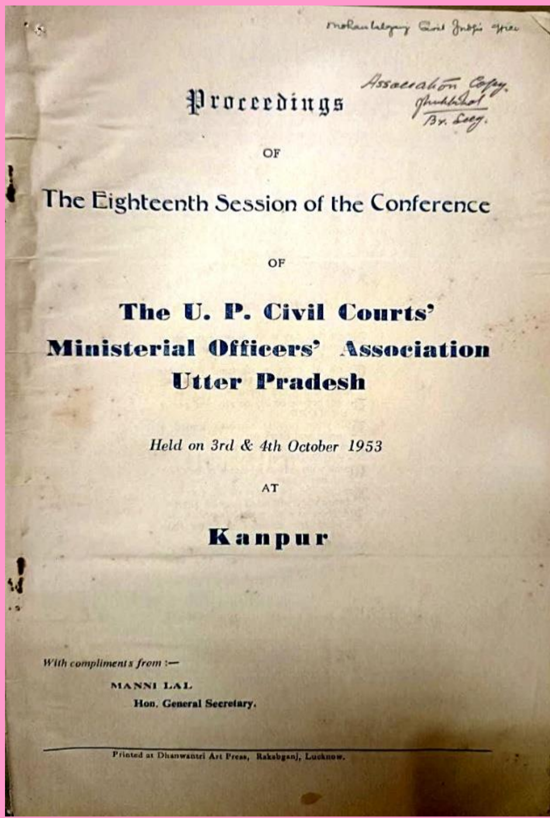
Proceedings
OF
The Eighteenth Session of the Conference
OF
The U. P. Civil Courts' Ministerial Officers' Association Utter Pradesh
Held on 3rd & 4th October 1953
AT
Kanpur
With compliments from :—
MANNI LAL
Hon. General Secretary.
Printed at Dhanwantri Art Press, Rakabganj, Lucknow.

जनपदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री प्यारेलाल (कानपुर) को संघ का संरक्षक और सतगुरूशरण मुंसरिम, लखनऊ एवं श्री मुन्नीलाल , मुंसरिम बलिया को क्रमशः अध्यक्ष और महासचिव चुना गया जबकि श्री लक्ष्मी नारायन माथुर और श्री एस०पी० श्रीवास्तव, गोण्डा उपाध्यक्ष बने। इसके अधिवेशन दो संयुक्त सचिव मेरठ और लखनऊ जजशिप से चुने गये।

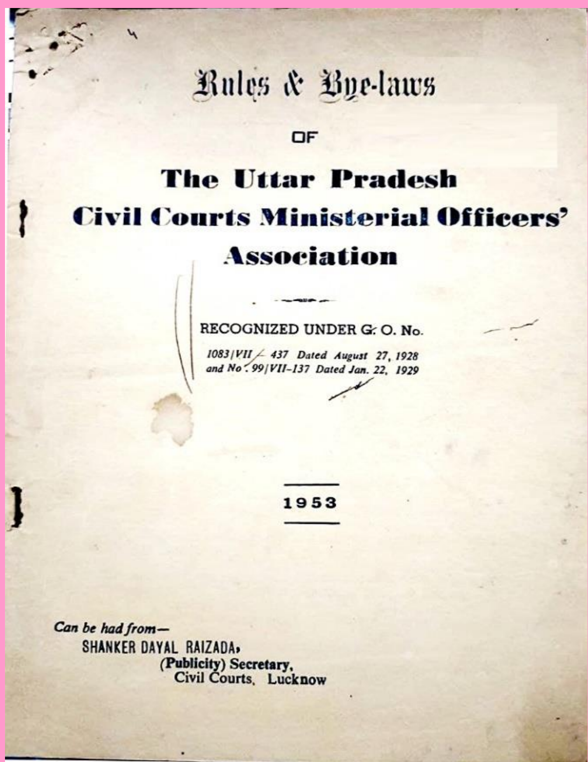
Rules & Bye-laws
OF
The Uttar Pradesh Civil Courts Ministerial Officers' Association
RECOGNIZED UNDER G. O. No.
1083/VII/-437 Dated August 27, 1928 and No. 99/VII-137 Dated Jan. 22, 1929
1953
Can be had from—
SHANKER DAYAL RAIZADA,
(Publicity) Secretary,
Civil Courts, Lucknow

11) संघ का 18वाँ अधिवेशन 1953 में आयोजित किया गया और इस संविधान के अनुसार आगरा और लखनऊ के दो संघ बने रहे।

12) संघ का 19वाँ अधिवेशन जनपद शाहजहाँपुर में नवम्बर 1954 में आयोजित किया गया था जिसमें 24 जनपदों ने भाग लिया और पुनः श्री सतगुरूशरण, लखनऊ और मुन्नीलाल, बलिया को क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव चुना गया।

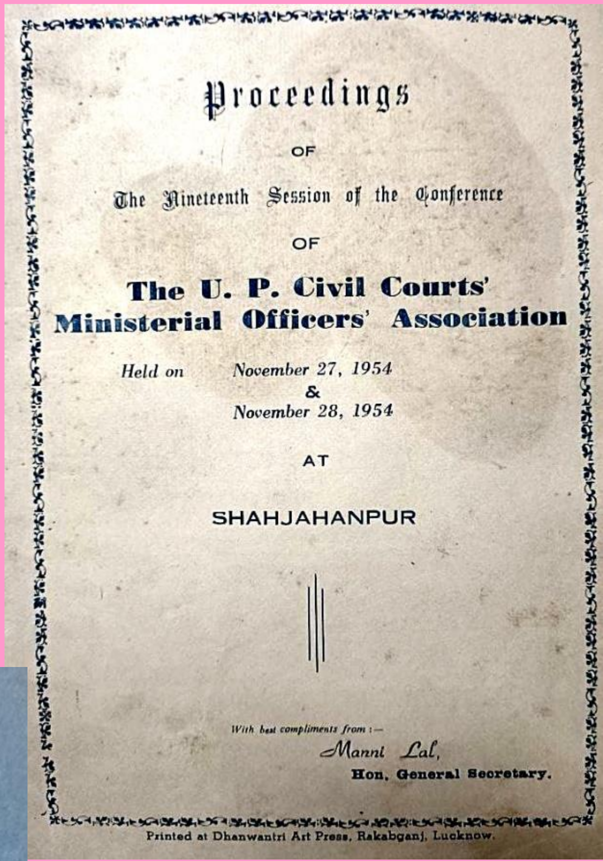
Proceedings

OF

The Nineteenth Session of the Conference

OF

The U. P. Civil Courts' Ministerial Officers' Association

Held on November 27, 1954 & November 28, 1954

AT

SHAHJAHANPUR

With best compliments from :—
Manni Lal,
Hon. General Secretary.

Printed at Dhanwantri Art Press, Rakabganj, Lucknow.

13) संघ का 20वां अधिवेशन दिसम्बर 1955 में बनारस में आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश की 24 जनपदीय शाखाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में भी श्री सतगुरूशरण, लखनऊ तथा मुन्नीलाल, बलिया को क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव चुना गया।

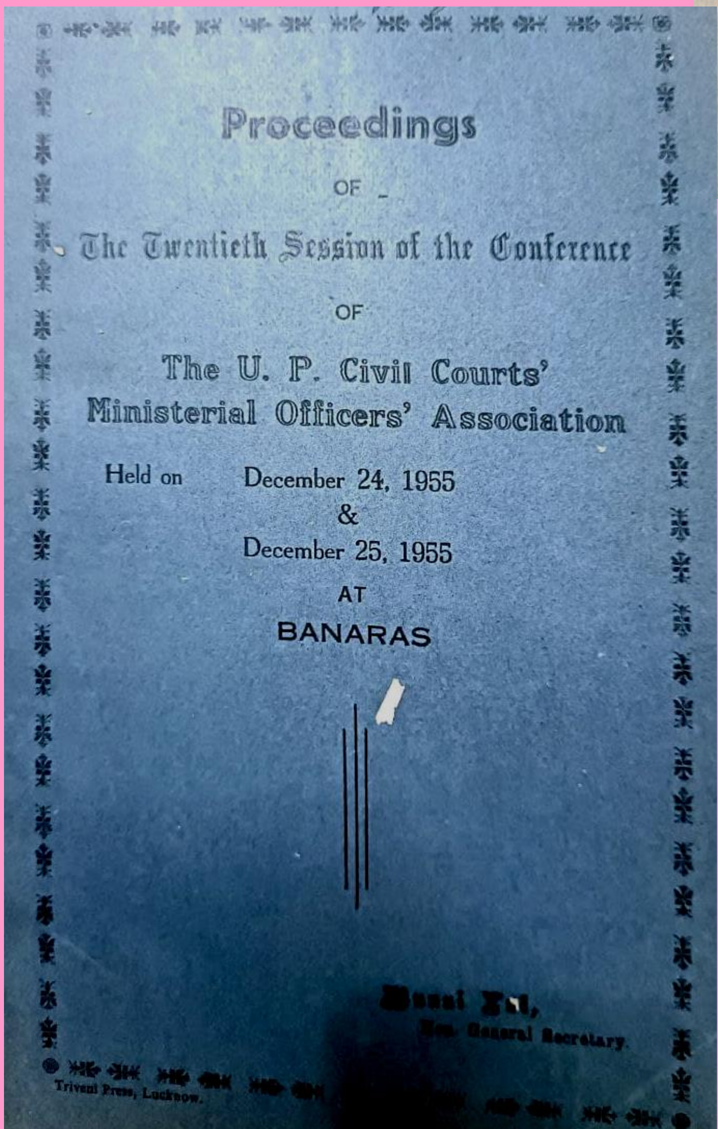
Proceedings

OF

The Twentieth Session of the Conference

OF

The U. P. Civil Courts' Ministerial Officers' Association

Held on December 24, 1955 & December 25, 1955

AT

BANARAS

Hon. General Secretary.

Triveni Press, Lucknow.

14) सन् 1956 में मेरठ और बस्ती में संघ का अगला अधिवेशन आयोजित किया जाना चाहिए था। परन्तु दोनो शाखाओं के सदस्यों द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के कारण आयोजित नही हो सका। अंततः संघ का 21वाँ अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया।

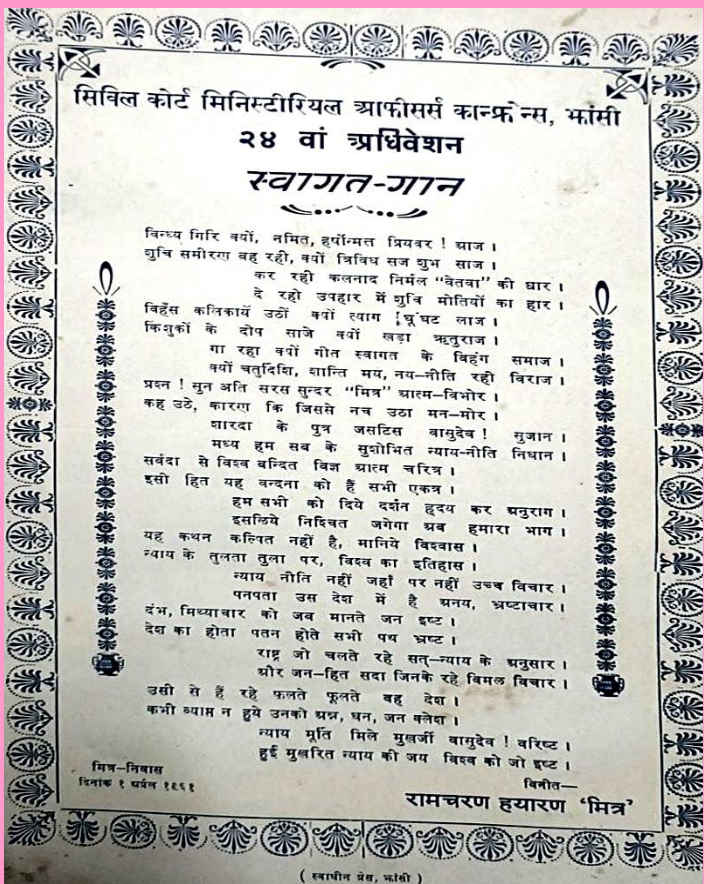

सिविल कोर्ट मिनिस्टीरियल आफीसर्स कान्फ्रेन्स, झांसी

२४ वां अधिवेशन

स्वागत-गान

विन्ध्य गिरि क्यों, नमित, हर्षोन्मत्त प्रियवर ! आज ।
शुचि समीरण बह रही, क्यों त्रिविध सज शुभ साज ।
कर रही कलनाद निर्मल "बेतवा" की धार ।
दे रही उपहार में शुचि मोतियों का हार ।
विहँस कलिकायें उठीं क्यों त्याग घूंघट लाज ।
किंशुकों के दीप साजे क्यों खड़ा ऋतुराज ।
गा रहा क्यों गीत स्वागत के विहंग समाज ।
क्यों चतुर्दिशि, शान्ति मय, नय–नीति रही विराज ।
प्रश्न ! सुन अति सरस सुन्दर "मित्र" आत्म–विभोर ।
कह उठे, कारण कि जिससे नच उठा मन–मोर ।
शारदा के पुत्र जसटिस बासुदेव ! सुजान ।
मध्य हम सब के सुशोभित न्याय-नीति निधान ।
सर्वदा से विश्व बन्दित विज्ञ आत्म चरित्र ।
इसी हित यह वन्दना को हैं सभी एकत्र ।
हम सभी को दिये दर्शन हृदय कर अनुराग ।
इसलिये निश्चित जगेगा अब हमारा भाग ।
यह कथन कल्पित नहीं है, मानिये विश्वास ।
न्याय के तुलना तुला पर, विश्व का इतिहास ।
न्याय नीति नहीं जहाँ पर नहीं उच्च विचार ।
पनपता उस देश में है अनय, भ्रष्टाचार ।
दंभ, मिथ्याचार को जब मानते जन इष्ट ।
देश का होता पतन होते सभी पथ भ्रष्ट ।
राष्ट्र जो चलते रहे सत्–न्याय के अनुसार ।
और जन–हित सदा जिनके रहे विमल विचार ।
उसी से हैं रहे फलते फूलते वह देश ।
कभी व्याप्त न हुये उनको अन्न, धन, जन क्लेश ।
न्याय मूर्ति मिले मुखर्जी वासुदेव ! वरिष्ट ।
हुई मुखरित न्याय की जय विश्व को जो इष्ट ।

मित्र–निवास
दिनांक १ अप्रैल १९६१

विनीत—
रामचरण हयारण 'मित्र'

(स्वाधीन प्रेस, झांसी)

15) संघ का 24वाँ अधिवेशन जनपद झांसी में 01 व अप्रैल 1961 के संघ परिवर्तित नाम यू०पी० सिविल कोर्ट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ मनाया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री बी० मुखर्जी न्यायाधीश, इलाहाबाद, उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में 24 जनपदों में भाग लिया, यथा आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलंदशहर, देवरिया, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर,

गोरखपुर, हरदोई, झांसी, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर, कुमायुं डिवीजन, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ मिर्जापुर, मुरादाबाद, उरई, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव आदि के जनपदो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री परमेश्वरी दयाल, सदर मुंसरिम, झांसी चौयरमैन स्वागत समिति ने अतिथियों और प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत किया। श्री सतगुरूशरण लखनऊ सदर मुंसरिम के पद से दिनांक 31-08-60 को सेवानिवृत्त हो गये परन्तु संघ उनके नेतृत्व और परिपक्व अनुभवों और योग्यताओं का लाभ प्राप्त कर रहा था उनकी बढ़ती हुयी उम्र के बावजूद उनके अथक प्रयास और मेहनत का लखनऊ संघ को सहयोग मिलता रहा। इसको दृष्टिगत रखते हुए श्री सतगुरू शरण को सर्वसम्मति से अगले अधिवेशन तक संघ का अध्यक्ष चुने जाने का निर्णय लिया गया। श्री गंगा प्रसाद कटियार, सदर मुंसरिम श्री रास बिहारी माथुर सदर मुंसरिम, मुरादाबाद संघ के उपाध्यक्ष चुने गये। संघ के इस अधिवेशन में पहली बार महासचिव के पद पर मतदान हुआ जिसमें श्री मुन्नीलाल बलिया व श्री बृजमोहन सरन कानपुर के मध्य चुनाव हुआ तब महासचिव श्री मुन्नी लाल चुने गये और 35 सदस्य कार्यकारिणी के चुने गए। इस अधिवेशन में संघ की दोनो शाखाओं आगरा और अवध का संविलीन हो गया और इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर 1953 से लागू नियम एवं उपलब्धियों को परिवर्तित कर संघ का नया संविधान तैयार किया गया।

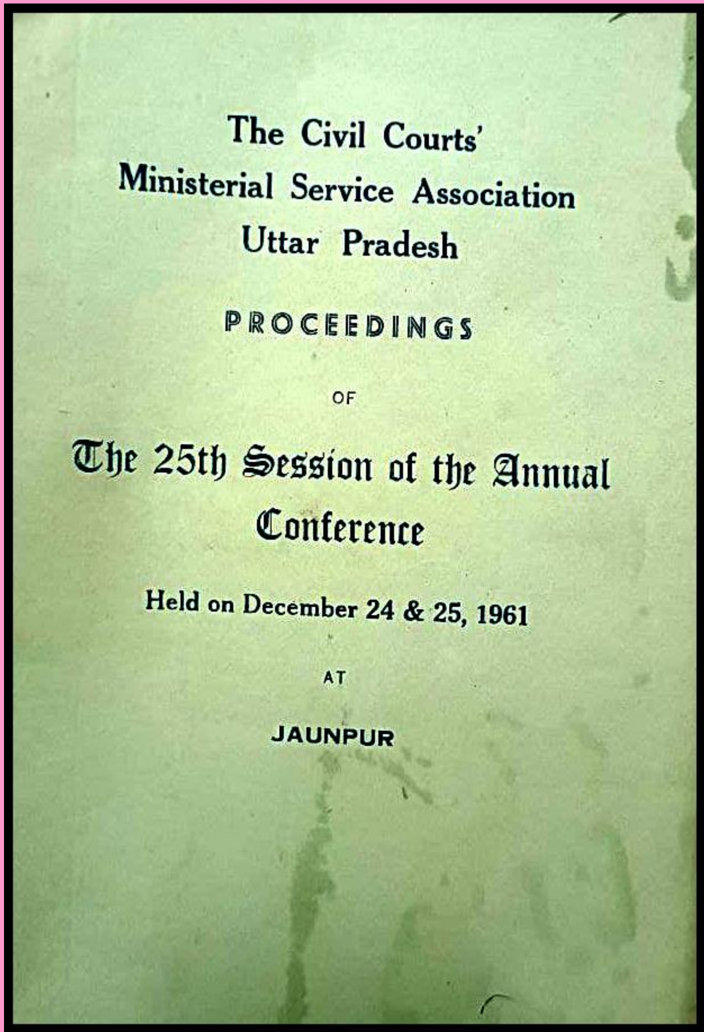

16) संघ का 25 वाँ अधिवेशन जनपद शाखा जौनपुर में दिसम्बर 1961 में आयोजित किया गया था। जिसमें केवल 22 जनपदों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में सर्व श्री सतगुरू शरण एवं मुन्नीलाल को क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव पद पर बनाये रखा गया।

17) संघ का 26 वाँ अधिवेशन 8 जून 1962 को जनपद आजमगढ़ में आयोजित किया गया। जिसमें केवल 12 शाखाओं ने भाग लिया क्योंकि इस मध्य 1962-63 में शाखाएं संघ की गतिविधियों से अनभिज्ञ रही तथा विभिन्न शाखाओं का सहयोग केन्द्रीय संगठन को कम मिला।

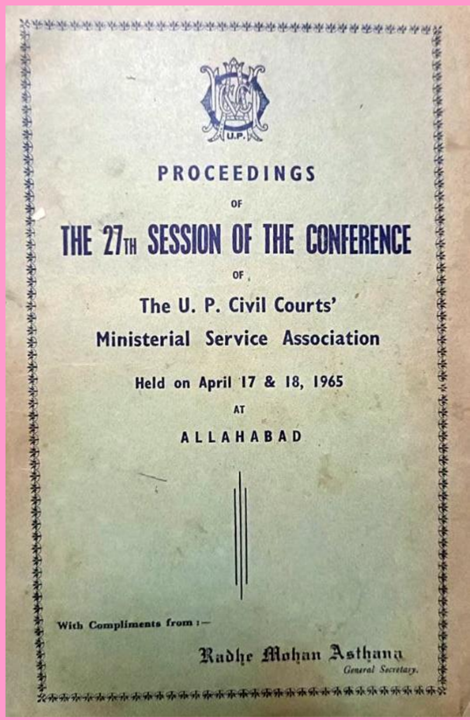

18) संघ का 27 वाँ अधिवेशन 17-18 अप्रैल, 1965 में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में सर्व श्री सतगुरूशरण अध्यक्ष और उनके सहयोगियों के प्रभाव एवं अथक प्रयास से 42 शाखाओं ने प्रतिनिधित्व किया। इस अधिवेशन में श्री सतगुरूशरण पुनः संघ के अध्यक्ष चुने गये और जौनपुर शाखा के राधा मोहन अस्थाना संघ के महासचिव चुने गये।

19) संघ का 28वाँ अधिवेशन दो वर्ष के उपरांत 1967 में फैजाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में यद्यपि श्री सतगुरूशरण सेवा निवृत हो चुके थे। तथापि उन्हे संघ का अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण स्वरूप, फैजाबाद को महासचिव चुना गया।

20) संघ का 29 वाँ अधिवेशन 1970 में आयोजित किया गया। जहां देवी प्रसाद सक्सेना, सदर मुंसरिम जनपद मेरठ को संघ का अध्यक्ष और श्री कृष्ण स्वरूप, फैजाबाद को महासचिव चुना गया। कालान्तर में श्री सतगुरूशरण को संघ के संरक्षक के रूप में मनोनीत किया गया। सन् 1968 में संशोधित नियम एवं उपाधियों का 1967 में पुनः प्रकाशित कर लागू किये जाने की अनुमति दी गयी।

21) संघ के 29वें अधिवेशन के पश्चात 7 वर्ष तक संघ की गतिविधियां शिथिल हो गयी केवल एक कार्यकारिणी की बैठक कानपुर में आयोजित हुई जिसे तत्कालीन सचिव राजाराम वर्मा, लखनऊ ने आहूत किया और इसमें 31 शाखाओं ने भाग लिया और इस बैठक में संघ की गतिविधियां शून्य और शिथिल होने पर विचार विमर्श किया गया। इस मध्य शाखाएं सुषुप्ता अवस्था में रही और किसी भी विषय पर अपनी सहमति केन्द्रीय संगठन को आर्थिक सहयोग के रूप में नही दिया। सभी प्रयास तत्कालीन महासचिव के निरर्थक रहे क्योंकि कोई आर्थिक सहयोग और जनशक्ति नही मिली। यह वह समय था जब कर्मचारीगण अपनी मागों और कठिनाईयों

"लखनऊ चलो"
कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गये चित्र की झलकी

लखनऊ में आयोजित ३०वें वार्षिक अधिवेशन में माननीय न्याय मूर्ति श्री हरिस्वरूप जी भाषण देते हुए।

के बारे में जागरूक नही रहे और कर्मचारियों की शिथिलता के कारण प्रशासन ने उसका भरपूर लाभ उठाया और कर्मचारियों को नाना प्रकार से प्रताडित किया और अधिकारियों ने छोटे-छोटे मामलों में कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने व उन्हे दंडित करने का रवैया अख्तियार किया। क्योंकि उस समय उनको संरक्षण देने और उच्च अधिकारियों को उनकी समस्याओं को बताने की स्थिति में कोई नही था। लखनऊ जनपद को 1 माह की अनिश्चित कालीन हड़ताल इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को दूर करने के लिये लखनऊ जजी के कर्मचारियों ने संयुक्त प्रयास किये और संघ को उपरोक्त वर्णित कठिनाईयों से उबारने का प्रयास किया गया जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। लखनऊ जजी के कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में तमाम प्रयास किये, जिससे विभिन्न जनपदीय शाखाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और उन्होने लोगों को उत्साहित करके संगठन के प्रति जागरूक करने के लिये जो तत्समय सुप्तप्राय था, को जगाने का प्रयास किया।

22) लखनऊ जजी के कर्मचारियों ने जनवरी 1977 से मई 1977 के मध्य अधिकारियों से अपनी समस्याओं को दूर किये जाने के लिये लम्बा आन्दोलन किया जिसके परिणामस्वरूप संघ का 30वाँ अधिवेशन लखनऊ में 25-26 दिसम्बर 1977 को आयोजित किया गया। यह अधिवेशन लखनऊ के कर्मचारियों में सर्व श्री राजाराम वर्मा, श्यामसुन्दर लाल, कुलदीप कुमार तथा अतहर अली खान, नंदकुमार श्रीवास्तव, श्री विजय कुमार (लखनऊ) एवं कानपुर जनपद के राजेन्द्र प्रसाद आर्य के अथक प्रयास से आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री हरिस्वरूप

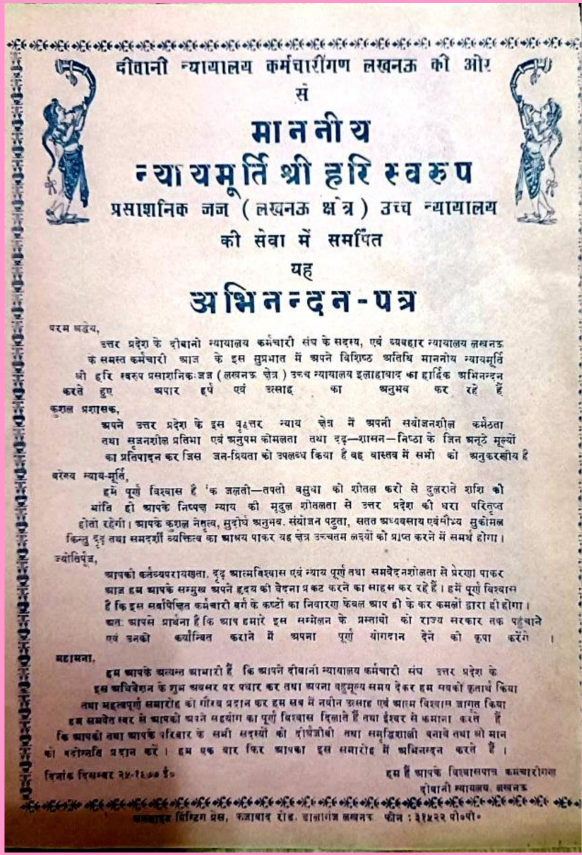

दीवानी न्यायालय कर्मचारीगण लखनऊ की ओर
से
माननीय
न्यायमूर्ति श्री हरि स्वरुप
प्रसाशनिक जज (लखनऊ क्षेत्र) उच्च न्यायालय
की सेवा में समर्पित
यह
अभिनन्दन-पत्र

परम श्रद्धेय,
उत्तर प्रदेश के दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के सदस्य, एवं व्यवहार न्यायालय लखनऊ के समस्त कर्मचारी आज के इस सुप्रभात में अपने विशिष्ठ अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री हरि स्वरुप प्रसाशनिक जज (लखनऊ क्षेत्र) उच्च न्यायालय इलाहाबाद का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए अपार हर्ष एवं उत्साह का अनुभव कर रहे हैं

कुशल प्रशासक,
अपने उत्तर प्रदेश के इस वृहत्तर न्याय क्षेत्र में अपनी संयोजनशील कर्मठता तथा सृजनशील प्रतिभा एवं अनुपम कोमलता तथा दृढ़—शासन—निष्ठा के जिन अनूठे मूल्यों का प्रतिपादन कर जिस जन-प्रियता को उपलब्ध किया है वह वास्तव में सभी को अनुकरणीय है

वरेण्य न्याय-मूर्ति,
हमें पूर्ण विश्वास है कि जलती—तपती वसुधा को शीतल करों से दुलराते शशि की भांति ही आपके निष्पक्ष न्याय की मृदुल शीतलता से उत्तर प्रदेश की धरा परितृप्त होती रहेगी। आपके कुशल नेतृत्व, सुदीर्घ अनुभव, संयोजन पटुता, सतत अध्यवसाय एवंसौम्य सुकोमल किन्तु दृढ़ तथा समदर्शी व्यक्तित्व का आश्रय पाकर यह क्षेत्र उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होगा।

ज्योतिपुंज,
आपकी कर्तव्यपरायणता, दृढ़ आत्मविश्वास एवं न्याय पूर्ण तथा समवेदनशीलता से प्रेरणा पाकर आज हम आपके सम्मुख अपने हृदय की वेदना प्रकट करने का साहस कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस सर्वापेक्षित कर्मचारी वर्ग के कष्टों का निवारण केवल आप ही के कर कमलों द्वारा ही होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस सम्मेलन के प्रस्तावों को राज्य सरकार तक पहुँचाने एवं उनको कार्यान्वित कराने में अपना पूर्ण योगदान देने की कृपा करेंगे।

महामना,
हम आपके अत्यन्त आभारी हैं कि आपने दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के इस अधिवेशन के शुभ अवसर पर पधार कर तथा अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबको कृतार्थ किया तथा महत्वपूर्ण समारोह को गौरव प्रदान कर हम सब में नवीन उत्साह एवं आत्म विश्वास जागृत किया हम समवेत स्वर से आपको अपने सहयोग का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं तथा ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको तथा आपके परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घजीवी तथा समृद्धिशाली बनावे तथा को मान को बढ़ोन्नति प्रदान करें। हम एक बार फिर आपका इस समारोह में अभिनन्दन करते हैं।

दिनांक दिसम्बर २४-१९७७ ई०

हम हैं आपके विश्वासपात्र कर्मचारीगण
दीवानी न्यायालय, लखनऊ

प्रिंटिंग प्रेस, फ़ैज़ाबाद रोड, लालगंज लखनऊ फोन : ३१५२२ पी०पी०

प्रशासनिक न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय उ०प्र० द्वारा किया गया। तथा इस अधिवेशन के खुले सत्र का उद्घाटन श्री ओम प्रकाश सिंह तत्कालीन न्यायमंत्री खण्डपीठ लखनऊ द्वारा किया गया। लखनऊ के तत्कालीन सदर मुंसरिम श्री नंद किशोर श्रीवास्तव द्वारा चेयरमैन स्वागत समिति के रूप में अतिथियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इस अधिवेशन में श्री महेश प्रकाश माथुर एटा जनपद अध्यक्ष एवं लखनऊ जनपद के नंदकुमार श्रीवास्तव महासचिव चुने गये। संघ का यह चुनाव खुले सत्र में मतदान द्वारा संपादित किया गया। श्री हरदेव सिन्हा सदर मुंसरिम (हमीरपुर), श्री सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सदर मुंसरिम (आजमगढ़) श्री राजाराम वर्मा, सदर मंसरिम (फैजाबाद) तथा श्री विद्यादत्त शर्मा, सदर मुंसरिम (देहरादून) उपाध्यक्ष चुने गए। सन् 1967 में संशोधित नियमों के अनुसार कोषाध्यक्ष के नवीन पद पर श्री विजय कुमार (लखनऊ) को चुना गया। श्री शिवप्रसाद शर्मा, अम्बू, आजमगढ़ श्री गिरीश कुमार शर्मा, ‘‘विरस’’ लखीमपुर को क्रमशः संगठन सचिव और सांस्कृतिक सचिव चुना गया। जबकि सर्व श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य, कानपुर तथा लखनऊ की कुमारी आज्ञावती सोखी को संयुक्त सचिव के पद पर चुना गया। संघ के पदाधिकारियों की नई टीम ने पूरे विश्वास और प्रयास से और अपने कर्तव्यबोध के साथ अधिवेशन में पारित मांग पत्र का ज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय तथा उ०प्र० शासन के समक्ष रखा। अधिकतर पदाधिकारियों ने पूरी इकाईयों से व्यक्तिगत रूप

से संपर्क स्थापित किया और उनमें संघ के प्रति पूरा विश्वास एवं पुर्नगठन की भावना जाग्रत करने का प्रयास किया। विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय अधिवेशन आयोजित कर संघ की प्रगति हेतु एवं कर्मचारियों की समस्याओं और कठिनाइयों से उन्हे अवगत कराया गया परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य रहा सरकार ने कोई भी ध्यान हमारी मांगो के प्रति जिन्हे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संस्तुति किया गया था, ध्यान नही दिया। इस कारण सारे उत्तर प्रदेश के सिविल कोर्ट कर्मचारियों को ‘‘लखनऊ चलो’’ रैली के रूप में दिनांक 09-04-79 को आहूत किया गया। इस रैली में 40 जिलो की शाखाओं के कर्मचारी जिसमें लगभग 5000 न्यायिक कर्मचारी थे, ने भाग लिया 24 सूत्री भागों को ज्ञापन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। परन्तु राज्य सरकार हमारी मांगो के प्रति सर्वथा उदासीन रही। परिणामस्वरूप 17 सितम्बर 1979 को सम्पूर्ण उ०प्र० के अधीनस्थ कर्मचारी हड़ताल पर चले गये। इस पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने हमारे मामलों पर विचार करने का आश्वासन दिया और संघ ने उसे स्वीकार करते हुए संघ की कार्यवाहन समिति में कृष्णस्वरूप की अध्यक्षता में 16-10-79 को प्रदेश व्यापी हड़ताल वापस ले ली। इस हड़ताल के परिणामस्वरूप उ०प्र० शासन ने अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारियों के लिये वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी अंतरिम आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिसमें कर्मचारियों को बहुत राहत मिली और संघ ने पुनरीक्षित वेतनमान, जो मुख्यतः निम्न श्रेणी (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों के लिये था, प्राप्त हुआ।

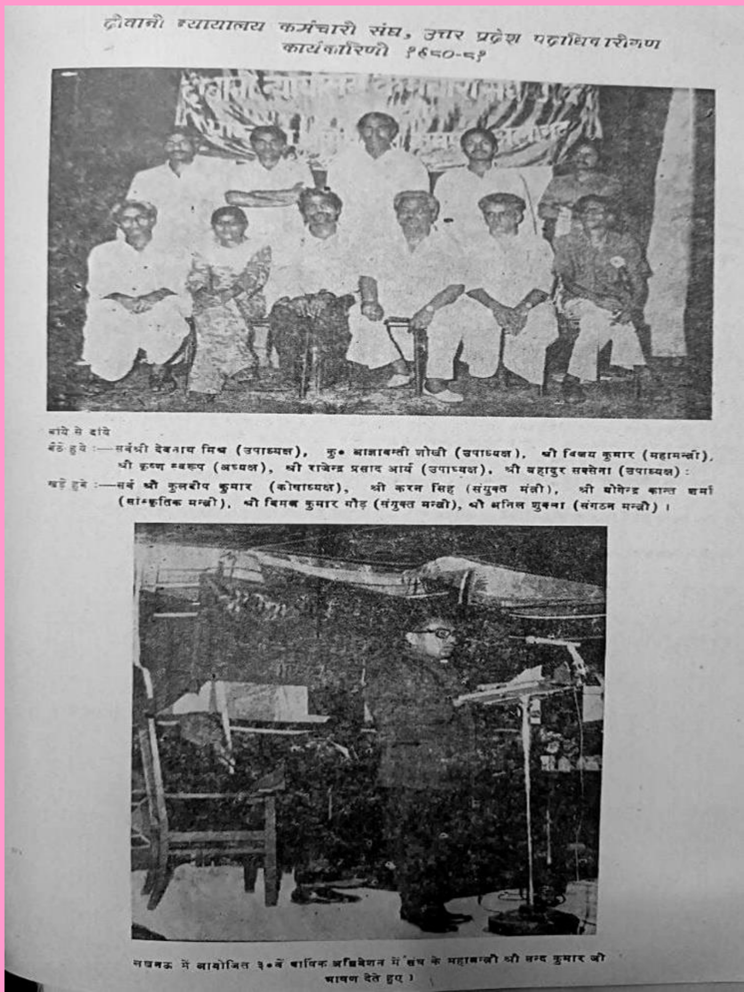

23) संघ का 31वाँ अधिवेशन दिनांक 12/13-04-1980 को अलीगढ़ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन माननीय न्यायमर्ति श्री गोपीनाथ जी, प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च नयायालय ने किया था। इस अधिवेशन में 41 जिला शाखाओं के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री एन० के० भल्ला, सदर मुंसरिम अलीगढ़ ने स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में पूरी निष्ठा से सहयोग और प्रतिनिधियों का स्वागत किया था। वहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रान्तीय पदाधिकारियों के प्रयास से मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव क्रमशः सर्व श्री उमाशंकर मेहता, इंदौर, तथा नीलकंठ दूबे देवास से एवं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ से अध्यक्ष एवं महासचिव क्रमशः मुरलीधर मिश्रा एवं मुकुटबिहारी गुप्ता, जयपुर से पधारे थे। इस आयोजन में उच्च न्यायालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ लखनऊ से संयुक्त सचिव श्री गौरी शंकर तिवारी भी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे इस आयोजन में सर्वप्रथम अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी महासंघ के गठन पर विचार हुआ था। सर्वप्रथम इस अधिवेशन में गुप्त मतदान द्वारा चुनाव प्रस्तावित किया गया और श्री नीलकंठ दुबे महासचिव, मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के द्वारा चुना अधिकारी के रूप में चुनाव सम्पन्न कराया गया। इस अधिवेशन में श्री कृष्ण स्वरूप (फैजाबाद) तथा श्री विजय कुमार (लखनऊ) संघ क्रमशः प्रादेशिक अध्यक्ष और महासचिव चुने गए। सर्व श्री श्याम बहादुर सक्सेना, अलीगढ़ कु० आंशवती सोखी, लखनऊ,

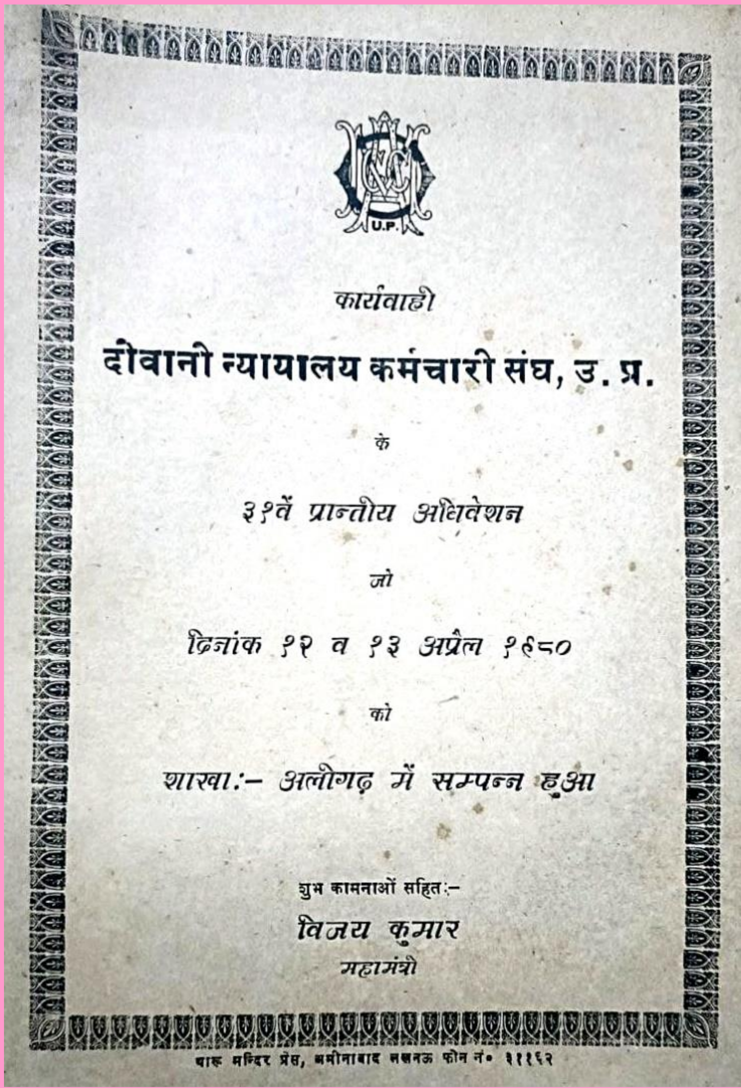

कार्यवाही

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ. प्र.

के

३१वें प्रान्तीय अधिवेशन

जो

दिनांक १२ व १३ अप्रैल १९८०

को

शाखा:– अलीगढ़ में सम्पन्न हुआ

शुभ कामनाओं सहित:–

विजय कुमार

महामंत्री

बाल मन्दिर प्रेस, अमीनाबाद लखनऊ फोन नं० ११११२

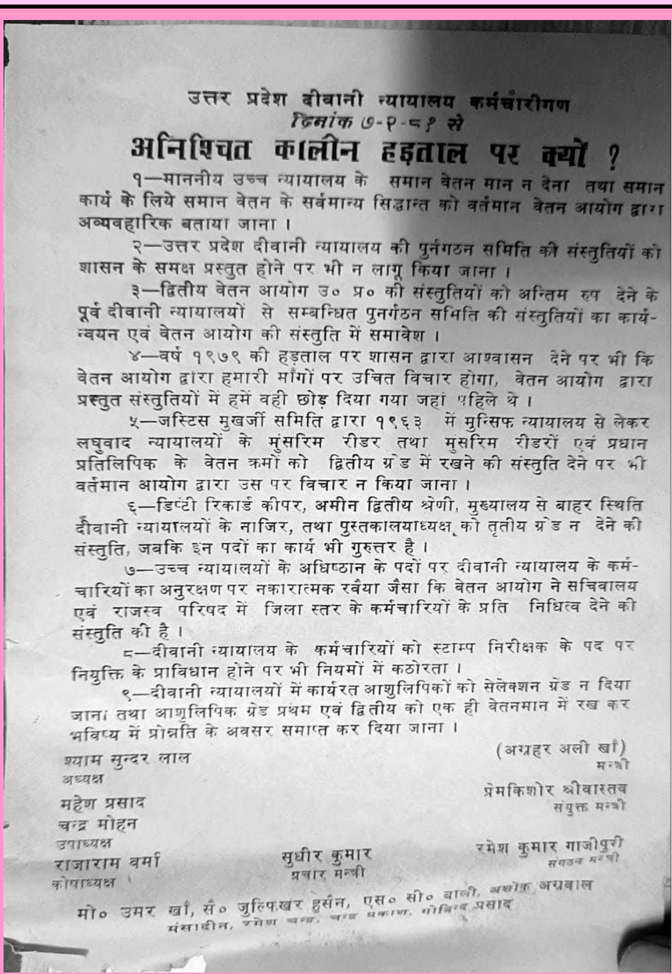
उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारीगण
दिनांक ७-२-८१ से
अनिश्चित कालीन हड़ताल पर क्यों ?

१—माननीय उच्च न्यायालय के समान वेतन मान न देना तथा समान कार्य के लिये समान वेतन के सर्वमान्य सिद्धान्त को वर्तमान वेतन आयोग द्वारा अव्यवहारिक बताया जाना।

२—उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय की पुर्नगठन समिति की संस्तुतियों को शासन के समक्ष प्रस्तुत होने पर भी न लागू किया जाना।

३—द्वितीय वेतन आयोग उ० प्र० की संस्तुतियों को अन्तिम रुप देने के पूर्व दीवानी न्यायालयों से सम्बन्धित पुनर्गठन समिति की संस्तुतियों का कार्यन्वयन एवं वेतन आयोग की संस्तुति में समावेश।

४—वर्ष १९७९ की हड़ताल पर शासन द्वारा आश्वासन देने पर भी कि वेतन आयोग द्वारा हमारी माँगों पर उचित विचार होगा, वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों में हमें वही छोड़ दिया गया जहां पहिले थे।

५—जस्टिस मुखर्जी समिति द्वारा १९६३ में मुन्सिफ न्यायालय से लेकर लघुवाद न्यायालयों के मुंसरिम रीडर तथा मुंसरिम रीडरों एवं प्रधान प्रतिलिपिक के वेतन क्रमों को द्वितीय ग्रेड में रखने की संस्तुति देने पर भी वर्तमान आयोग द्वारा उस पर विचार न किया जाना।

६—डिप्टी रिकार्ड कीपर, अमीन द्वितीय श्रेणी, मुख्यालय से बाहर स्थिति दीवानी न्यायालयों के नाजिर, तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को तृतीय ग्रेड न देने की संस्तुति, जबकि इन पदों का कार्य भी गुरुत्तर है।

७—उच्च न्यायालयों के अधिष्ठान के पदों पर दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों का अनुरक्षण पर नकारात्मक रवैया जैसा कि वेतन आयोग ने सचिवालय एवं राजस्व परिषद में जिला स्तर के कर्मचारियों के प्रति निधित्व देने की संस्तुति की है।

८—दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों को स्टाम्प निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के प्राविधान होने पर भी नियमों में कठोरता।

९—दीवानी न्यायालयों में कार्यरत आशुलिपिकों को सेलेक्शन ग्रेड न दिया जाना तथा आशुलिपिक ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय को एक ही वेतनमान में रख कर भविष्य में प्रोन्नति के अवसर समाप्त कर दिया जाना।

श्याम सुन्दर लाल
अध्यक्ष

(अग्रहर अली खाँ)
मन्त्री

महेश प्रसाद
चन्द्र मोहन
उपाध्यक्ष

प्रेमकिशोर श्रीवास्तव
संयुक्त मन्त्री

राजाराम वर्मा
कोषाध्यक्ष

सुधीर कुमार
प्रचार मन्त्री

रमेश कुमार गाजीपुरी
संगठन मन्त्री

मो० उमर खाँ, सै० जुल्फिखर हुसैन, एस० सी० बाली, अशोक अग्रवाल, गोविन्द प्रसाद
मंसादीन, रमेश

राजेन्द्र प्रसाद आर्य कानपुर, देवनाथ मिश्र आजमगढ़ संघ के उपाध्यक्ष चुने गये। जबकि कुलदीप कुमार लखनऊ कोषाध्यक्ष, श्री योगेन्द्रकांत शर्मा, गाजियाबाद, उपाध्यक्ष चुने गये। इस प्रांतीय अधिवेशन में संघ ने 19 सूत्रीय मांगपत्र पारित कर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और राज्य सरकार को विचार और अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। वर्ष 1980-81 में हमारी मांगो के सम्बन्ध में संघ ने राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय से विचार कर पुनर्गठन समिति की संस्तुतियों को नये पदों के सृजन हेतु लागू करने का अनुरोध किया परंतु राज्य सरकार द्वारा लागू न किये जाने के कारण अपनी मांगो को पूरी कराने हेतु 7 फरवरी 1981 से प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारम्भ किया गया। यह हड़ताल एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार द्वारा कतिपय नये पद सृजित किये जाने के कारण वापस ले ली गयी।

24) संघ का अगला अधिवेशन वाराणसी में किये जाने का निर्णय लिया गया किंतु अपरिहार्य कारणों से यह अधिवेशन वाराणसी के तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री आर०बी०एल० खंडेलवाल द्वारा वहां के कर्मचारियों को निरूत्साहित किये जाने के कारण आयोजित नही किया जा सका। कोई

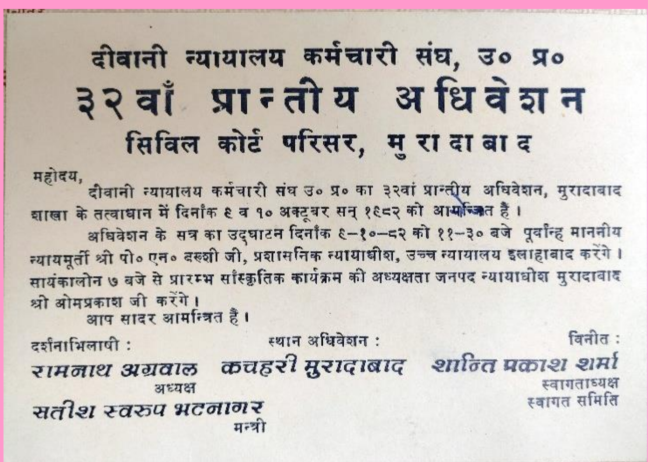
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ० प्र०
३२वाँ प्रान्तीय अधिवेशन
सिविल कोर्ट परिसर, मुरादाबाद

महोदय,
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ० प्र० का ३२वां प्रान्तीय अधिवेशन, मुरादाबाद शाखा के तत्वाधान में दिनाँक ९ व १० अक्टूबर सन् १९८२ को आयोजित हैं।
अधिवेशन के सत्र का उद्घाटन दिनाँक ९–१०–८२ को ११–३० बजे पूर्वान्ह माननीय न्यायमूर्ती श्री पी० एन० बख्शी जी, प्रशासनिक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद करेंगे। सायंकालीन ७ बजे से प्रारम्भ सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद श्री ओमप्रकाश जी करेंगे।
आप सादर आमन्त्रित हैं।

दर्शनाभिलाषी :
रामनाथ अग्रवाल
अध्यक्ष
सतीश स्वरुप भटनागर
मन्त्री

स्थान अधिवेशन :
कचहरी मुरादाबाद

विनीत :
शान्ति प्रकाश शर्मा
स्वागताध्यक्ष
स्वागत समिति

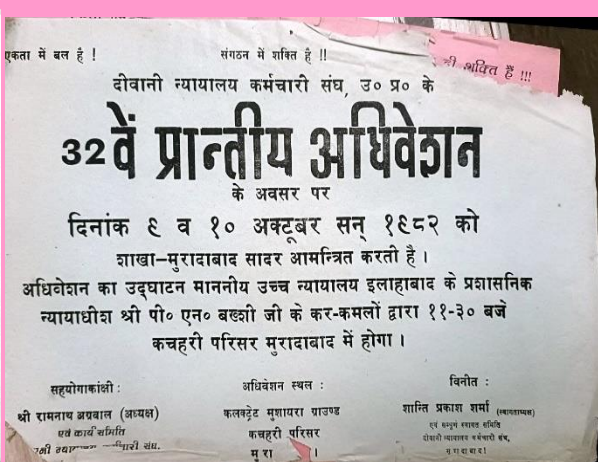
एकता में बल है ! संगठन में शक्ति है !! ...शक्ति है !!!
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ० प्र० के
32वें प्रान्तीय अधिवेशन
के अवसर पर
दिनांक ९ व १० अक्टूबर सन् १९८२ को
शाखा–मुरादाबाद सादर आमन्त्रित करती है।
अधिवेशन का उद्घाटन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री पी० एन० बख्शी जी के कर-कमलों द्वारा ११-३० बजे कचहरी परिसर मुरादाबाद में होगा।

सहयोगाकांक्षी :
श्री रामनाथ अग्रवाल (अध्यक्ष)
एवं कार्य समिति

अधिवेशन स्थल :
कलक्ट्रेट मुशायरा ग्राउण्ड
कचहरी परिसर
मुरा

विनीत :
शान्ति प्रकाश शर्मा (स्वागताध्यक्ष)
एवं सम्पूर्ण स्वागत समिति
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ,
मुरादाबाद।

अन्य विवाद उत्पन्न होता इसलिये अगला अधिवेशन मुरादाबाद में किये जाने का निर्णय लिया गया।

25) इस प्रकार संघ का 32वाँ अधिवेशन मुरादाबाद जनपद में 9-10 अक्टूबर, 1982 में आयोजित किया गया। श्री शान्ति प्रकाश शर्मा स्वागताध्यक्ष (मुरादाबाद) ने आगन्तुक अतिथियों का स्वागत किया। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय श्री पी०एन० बख्शी ने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अधिवेशन में 37 जनपदीय शाखाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शाखाओं की इतनी कम संख्या होने के कारण यह था कि तत्समय जनपद मुरादाबाद में सांप्रदायिक दंगा हो गया था। इस अधिवेशन की पूर्व संध्या पर विषय

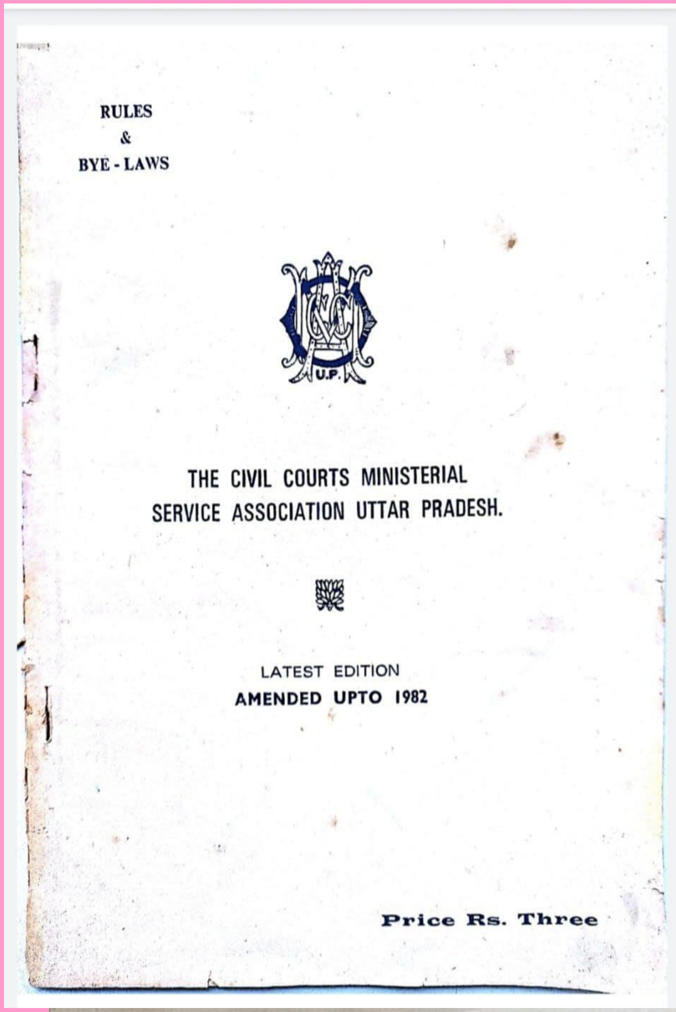

समिति की बैठक में 1978 में प्रकाशित संशोधित नियमावली और उपविधियों को उ०प्र० (सेवा संघ की मान्यता नियमावली 1981 दिनांक 27-03-81 के अनुसार संशोधित किया गया ताकि सदस्यों में अनुशासन बना रहे और नियमित आर्थिक सहयोग तथा सदस्यता के संबंध में दंड नियम का प्राविधान किया गया। शाखाओं से प्राप्त संशोधन आलेखों को संकलित कर आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तैयार कर अगले सत्र में रखे जाने हेतु प्रस्तावित किया गया। जैसे ही संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वह सदन द्वारा पारित किया गया और अन्य संकलित प्रस्ताव को, जो संघ की मांगो के सम्बन्ध में थे, पारित किया गया। सदन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जैसे ही संशोधित नियम प्रकाशित की हो और संघ के नये पदाधिकारीगण पद भार ग्रहण करें, शाखाओं में संशोधित नियमावली प्रसारित की जाए। पुनः नयी कार्यकारिणी का चयन गुप्त मतदान से जैसे कि संघ नियमावली में प्राविधानित किया गया था, सम्पन्न किया गया। संघ के अध्यक्ष श्री कृष्ण स्वरूप ने इस बार अध्यक्ष के चुनाव में भाग न लेने की इच्छा व्यक्त की

और इस पर उन्हे चुनाव अधिकारी बनाया गया और शांतिपूर्ण ढंग से नयी कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न कराया गया। परिणामस्वरूप श्री श्याम बहादुर सक्सेना (अलीगढ़) और डा० विजय कुमार (लखनऊ) महासचिव चुने गये। सर्व श्री योगेन्द्र कांत शर्मा (गाजियाबाद), सतीश स्वरूप भटनागर (मुरादाबाद), देवनाथ मिश्र (आजमगढ़) मुक्तिनाथ गुप्ता (गोण्डा) को चुनाव अधिकारी महोदय ने संघ का पांचवा उपाध्यक्ष नामित किया गया। श्री कुलदीप कुमार (लखनऊ) को कोषाध्यक्ष और श्री चन्द्र प्रकाश भारतीय (लखनऊ) को संगठन सचिव, श्री राजीव गर्ग (देहरादून) को सांस्कृतिक सचिव चुना गया। इसके अतिरिक्त श्री विजय कौशिक (बुलंदशहर) व मरगूब हुसैन जैदी, बरेली को संयुक्त सचिव चुना गया।

26) दिनांक 12-07-1988 से दिनांक 29-07-1988 तक अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल कतिपय मांगो के संबंध में की गयी है।

27) संघ का 33 वाँ अधिवेशन जनपद न्यायालय मथुरा में दिनांक 13-14 अप्रैल, 1985 को आयोजित किया गया। जनपद न्यायालय मथुरा के सदर मुंसरिम श्री रामनरायन सक्सेना जी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा उसकी व्यवस्था की। इस अधिवेशन में प्रदेश की बड़ी संख्या में संघ के लोगो ने भाग लिया और इस अधिवेशन की विशेषतः बात यह रही कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये हुये प्रतिनिधियों ने भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली के विभिन्न धार्मिक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का का लाभ भी उठाया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष और महासचिव श्री श्याम बहादुर सक्सेना, अलीगढ तथा महासचिव डॉ विजय कुमार (लखनऊ) को चुना गया।

28) संघ का 34वाँ प्रांतीय अधिवेशन जनपद शाखा बरेली में 19-20 अगस्त, 1989 में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय

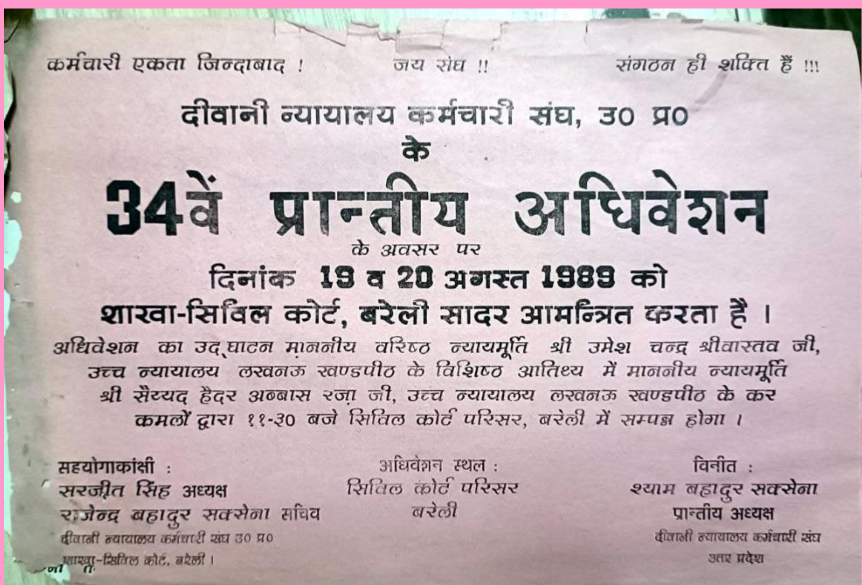
कर्मचारी एकता जिन्दाबाद ! जय संघ !! संगठन ही शक्ति हैं !!!

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ० प्र०
के
34वें प्रान्तीय अधिवेशन
के अवसर पर
दिनांक 19 व 20 अगस्त 1989 को
शाखा-सिविल कोर्ट, बरेली सादर आमन्त्रित करता है ।

अधिवेशन का उद्घाटन माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव जी, उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के विशिष्ठ आतिथ्य में माननीय न्यायमूर्ति श्री सैय्यद हैदर अब्बास रज़ा जी, उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के कर कमलों द्वारा ११-३० बजे सिविल कोर्ट परिसर, बरेली में सम्पन्न होगा ।

सहयोगाकांक्षी :
सरजीत सिंह अध्यक्ष
राजेन्द्र बहादुर सक्सेना सचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ० प्र०
शाखा-सिविल कोर्ट, बरेली ।

अधिवेशन स्थल :
सिविल कोर्ट परिसर
बरेली

विनीत :
श्याम बहादुर सक्सेना
प्रान्तीय अध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

न्यायमूर्ति श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा किया जाना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से उनके न

पधारने के कारण उनके स्थान पर न्यायमूर्ति श्री एस०एच०ए० रजा उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अधिवेशन में श्री हरीश चन्द्र सक्सेना जिला जज बरेली ने अपनी उपस्थिति दी। इस अधिवेशन में डा० विजय कुमार (लखनऊ) को प्रांतीय अध्यक्ष पद पर चुना गया था। शाहजहांपुर के सदस्य श्री सुधीर विद्यार्थी को महासचिव के पद पर चुन गया था। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि जिस समय 19-08-89 को संघ के अधिवेशन का उद्घाटन किया जा रहा था उस समय अधीनस्थ न्यायालयों को प्रत्येक जिलों के लिये एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का सृजन इसी दिवस को किया गया। श्री सुधीर विद्यार्थी महासचिव द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों से अपने कार्यकाल में महासचिव के पद पर कार्य नही कर सके और गाजियाबाद बैठक में त्यागपत्र दे दिया। और अंतरिम काल के लिये गाजियाबाद के श्री करन सिंह को कार्यवाहक महासचिव मनोनीत किया गया।

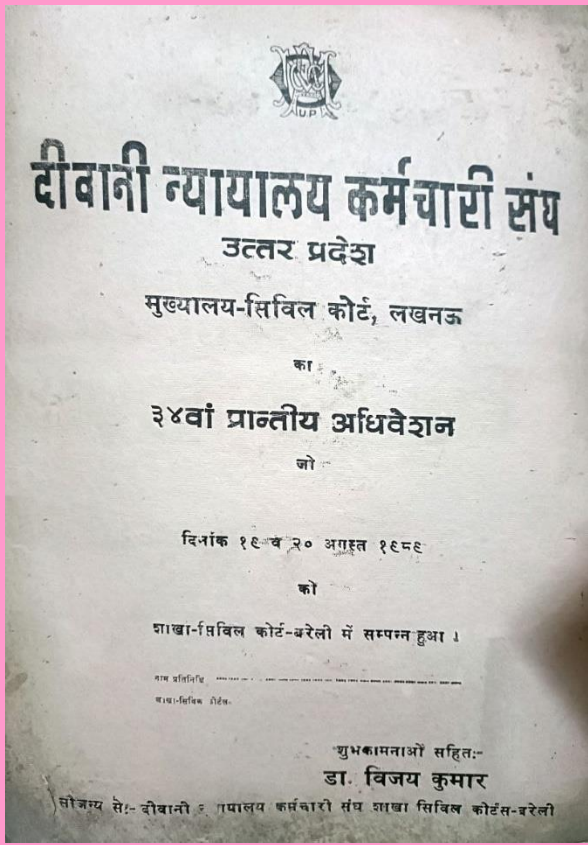

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ

उत्तर प्रदेश

मुख्यालय-सिविल कोर्ट, लखनऊ

का

३४वां प्रान्तीय अधिवेशन

जो

दिनांक १९ व २० अगस्त १९८९

को

शाखा-सिविल कोर्ट-बरेली में सम्पन्न हुआ।

शुभकामनाओं सहित:-

डा. विजय कुमार

सौजन्य से:- दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा सिविल कोर्टस-बरेली

29) संघ का 35वाँ प्रांतीय अधिवेशन रायबरेली जनपद में 09-10 मई, 1992 को आयोजित किया गया और इस अधिवेशन का उद्घाटन न्यायालय श्री एस०एच०ए० रजा द्वारा किया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष रायबरेली के श्री एस०एन०पी० सिन्हा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विभिन्न जनपदों से आये हुये प्रतिनिधियों तथा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अधिवेशन की सफलता का श्रेय शाखा के सचिव और अध्यक्ष क्रमशः श्री जगदेव प्रसाद एवं श्री त्रिभुवन नाथ श्रीवास्तव को जाता है। इस अधिवेशन में श्री कुलदीप सक्सेना (झाँसी) तथा प्रतापगढ़ के श्री मनोकनिका उपाध्याय को क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव चुना गया। परन्तु इस चुनाव में फर्जी वोट डालने के कारण यह चुनाव विवादित रहा। इस विवाद के चलते ही शाहजहांपुर कांड जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित था, जिसमें भूतपर्व महासचिव श्री सुधीर विद्यार्थी द्वारा चुनाव विवाद को टालने तथा कतिपय अन्य कारणों से प्रदेश व्यापी आंदोलन घोषित कर दिया और चुनाव सम्बन्धित विवाद का निपटारा न किये जाने से संघ की

गतिविधियां व्यापक उत्पीड़न के उपरांत आंदोलन असफल रहा और इस आंदोलन के चलते अधीनस्थ न्यायालय के विभिन्न जनपदों के तमाम कर्मचारियों जो संघ से लगाव रखते थे, उनका एक जनपद से दूसरे जनपद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप हमारे संघ की शक्ति क्षीण हुई और संगठन की गतिशीलता अवरूद्ध हो गयी।

30) सन् 1994 में संघ का 36वाँ अधिवेशन दिनांक 12-13 नवम्बर 1994 में जनपद वाराणसी में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन उ०प्र० के राज्यपाल मोतीलाल बोरा जी द्वारा किया गया तथा समापन प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किया गया। जनपद न्यायाधीश श्री पी०सी० अग्रवाल वाराणसी की अध्यक्षता को सम्पन्न हुआ। शाखा द्वारा खुले सत्र के उपरान्त कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में रायबरेली में जो चुनाव संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ था, को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से बिना कोई चुनाव कराये संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव का चुनाव सहमति के आधार पर कराया गया। जिन्होने कालान्तर में अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। इस अधिवेशन में श्री अनन्त कुमार शुक्ल (कानपुर) को अध्यक्ष तथा वाराणसी के जुझारू सदस्य श्री उमेश प्रसाद सिंह को महासचिव चुना गया।

31) संघ का 37वाँ अधिवेशन जनपद न्यायलय इलाहाबाद में 9-10 मई, 1998 को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन माननीय न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी०पी० महापात्र जी द्वारा किया गया इस अधिवेशन में न्यायमूर्ति श्री आर०आर० के त्रिवेदी, न्यायामूर्ति श्री ओ०पी० गर्ग, महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री एस०एस० कुलश्रेष्ठ ने उपस्थित होकर संघ के अधिवेशन को गौरवान्वित किया। इस अधिवेशन में प्रान्तीय अध्यक्ष के रूप में पुनः डॉ० विजय कुमार (लखनऊ) को चुना गया तथा महासचिव के पद पर श्री अनिल कांत दीक्षित को चुना गया। श्री अनिल कांत दीक्षित एवं श्री जर्नादन

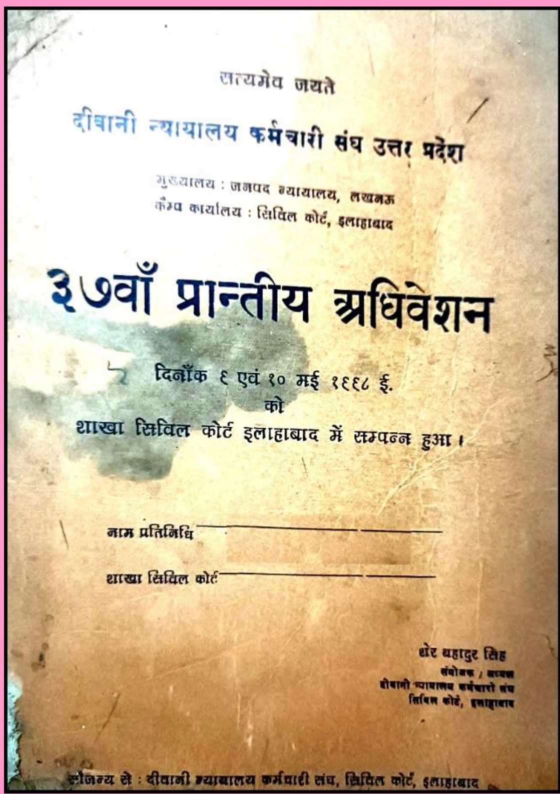

द्विवेदी कोषाध्यक्ष किसी भी बैठक में उपस्थित नही हुये जिससे संघ का कार्य करने में भारी कठिनाई आयी थी। इसलिये संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री अनिल कान्त दीक्षित एवं जर्नादन द्विवेदी के स्थान पर क्रमशः श्री अमर बहादुर सिंह इलाहाबाद तथा श्री कुलदीप कुमार लखनऊ को महासचिव व कोषाध्यक्ष नामित किया गया।

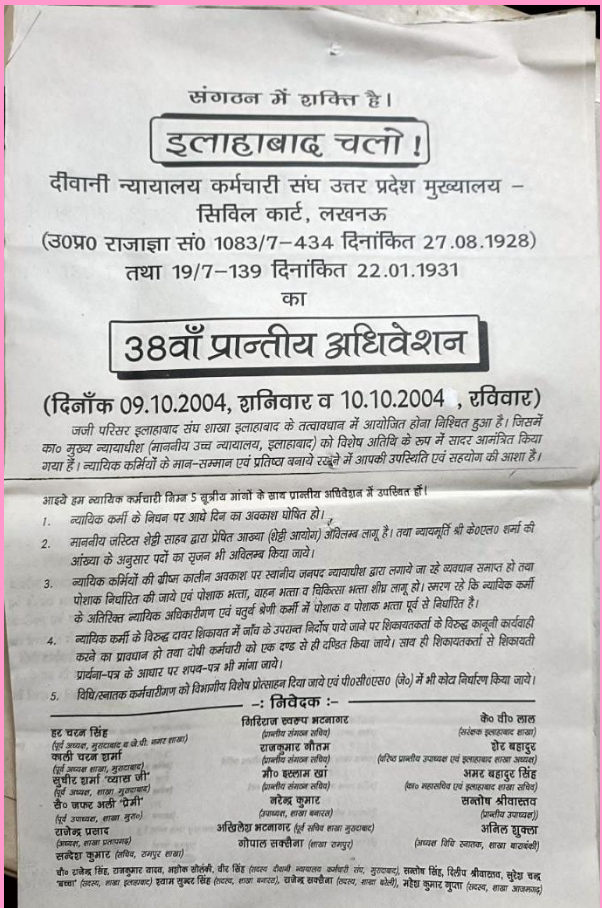

संगठन में शक्ति है।

इलाहाबाद चलो!

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश मुख्यालय – सिविल कार्ट, लखनऊ

(उ0प्र0 राजाज्ञा सं0 1083/7–434 दिनांकित 27.08.1928) तथा 19/7–139 दिनांकित 22.01.1931 का

38वाँ प्रान्तीय अधिवेशन

(दिनाँक 09.10.2004, शनिवार व 10.10.2004, रविवार)

जजी परिसर इलाहाबाद संघ शाखा इलाहाबाद के तत्वावधान में आयोजित होना निश्चित हुआ है। जिसमें का० मुख्य न्यायाधीश (माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) को विशेष अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया गया है। न्यायिक कर्मियों के मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा बनाये रखने में आपकी उपस्थिति एवं सहयोग की आशा है।

आइये हम न्यायिक कर्मचारी निम्न 5 सूत्रीय मांगों के साथ प्रान्तीय अधिवेशन में उपस्थित हों।

1. न्यायिक कर्मी के निधन पर आधे दिन का अवकाश घोषित हो।
2. माननीय जस्टिस शेट्टी साहब द्वारा प्रेषित आख्या (शेट्टी आयोग) अविलम्ब लागू है। तथा न्यायमूर्ति श्री के0एल0 शर्मा की आंख्या के अनुसार पदों का सृजन भी अविलम्ब किया जाये।
3. न्यायिक कर्मियों की ग्रीष्म कालीन अवकाश पर स्थानीय जनपद न्यायाधीश द्वारा लगाये जा रहे व्यवधान समाप्त हो तथा पोशाक निर्धारित की जाये एवं पोशाक भत्ता, वाहन भत्ता व चिकित्सा भत्ता शीघ्र लागू हो। स्मरण रहे कि न्यायिक कर्मी के अतिरिक्त न्यायिक अधिकारीगण एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मी में पोशाक व पोशाक भत्ता पूर्व से निर्धारित है।
4. न्यायिक कर्मी के विरुद्ध दायर शिकायत में जाँच के उपरान्त निर्दोष पाये जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान हो तथा दोषी कर्मचारी को एक दण्ड से ही दण्डित किया जाये। साथ ही शिकायतकर्ता से शिकायती प्रार्थना-पत्र के आधार पर शपथ-पत्र भी मांगा जाये।
5. विधि/स्नातक कर्मचारीगण को विभागीय विशेष प्रोत्साहन दिया जाये एवं पी0सी0एस0 (जे0) में भी कोटा निर्धारण किया जाये।

–: निवेदक :–

हर चरन सिंह (पूर्व अध्यक्ष, मुरादाबाद व जे.पी. नगर शाखा)
काली चरन शर्मा (पूर्व अध्यक्ष शाखा, मुरादाबाद)
सुधीर शर्मा 'व्यास जी' (पूर्व अध्यक्ष, शाखा मुरादाबाद)
सै० जफर अली 'प्रेमी' (पूर्व उपाध्यक्ष, शाखा मुरा०)
राजेन्द्र प्रसाद (अध्यक्ष, शाखा प्रतापगढ़)
सन्देश कुमार (सचिव, रामपुर शाखा)

गिरिराज स्वरूप भटनागर (प्रान्तीय संगठन सचिव)
राजकुमार गौतम (प्रान्तीय संगठन सचिव)
मो० इस्लाम खां (प्रान्तीय संगठन सचिव)
नरेन्द्र कुमार (उपाध्यक्ष, शाखा बनारस)
अखिलेश भटनागर (पूर्व सचिव शाखा मुरादाबाद)
गोपाल सक्सैना (शाखा रामपुर)

के० वी० लाल (संरक्षक इलाहाबाद शाखा)
शेर बहादुर (वरिष्ठ प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं इलाहाबाद शाखा अध्यक्ष)
अमर बहादुर सिंह (का० महासचिव एवं इलाहाबाद शाखा सचिव)
सन्तोष श्रीवास्तव (प्रान्तीय उपाध्यक्ष)
अनिल शुक्ला (अध्यक्ष विधि स्नातक, शाखा बाराबंकी)

चौ० राजेन्द्र सिंह, राजकुमार यादव, अशोक सोलंकी, वीर सिंह (सदस्य दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, मुरादाबाद), सन्तोष सिंह, दिलीप श्रीवास्तव, सुरेश चन्द्र 'बच्चा' (सदस्य, शाखा इलाहाबाद) श्याम सुन्दर सिंह (सदस्य, शाखा बनारस), राजेन्द्र सक्सैना (सदस्य, शाखा बरेली), महेश कुमार गुप्ता (सदस्य, शाखा आजमगढ़)

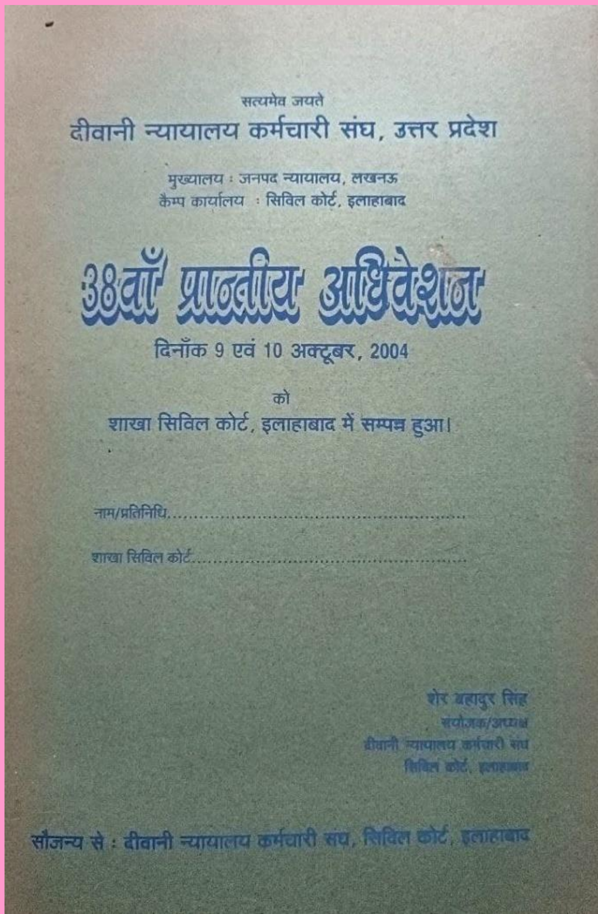

सत्यमेव जयते

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय : जनपद न्यायालय, लखनऊ
कैम्प कार्यालय : सिविल कोर्ट, इलाहाबाद

38वाँ प्रान्तीय अधिवेशन

दिनाँक 9 एवं 10 अक्टूबर, 2004

को

शाखा सिविल कोर्ट, इलाहाबाद में सम्पन्न हुआ।

नाम/प्रतिनिधि...

शाखा सिविल कोर्ट...

शेर बहादुर सिंह
संयोजक/अध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
सिविल कोर्ट, इलाहाबाद

सौजन्य से : दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, सिविल कोर्ट, इलाहाबाद

32) संघ का 38 वाँ अधिवेशन 10 व 11 अक्टूबर को एक बार पुनः जनपद इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मार्केन्डेय काटजू ने किया। माननीय न्यायमूर्ति श्री डी०पी० सिंह व माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील अम्बवानी जी विशिष्ट अतिथि तथा श्री ओ०एन० खण्डेलवाल, महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा श्री जगमोहन पालीवाल जनपद न्यायाधीश लखनऊ व श्री आर के रस्तोगी जिला न्यायाधीश इलाहाबाद में विशिष्ट अतिथि के रुप में अधिवेशन को गौरवान्वित किया। इस अधिवेशन को दिनांक 10-10-2004 को सम्बोधित करते हुये समस्याओं और कठिनाइयों से माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति महोदय को अवगत

कराया। इस अधिवेशन में शेर बहादुर सिंह (इलाहाबाद) व श्री श्याम सुन्दर सिंह (वाराणसी) महासचिव चुने गये।

33) संघ का 39वाँ अधिवेशन जनपद न्यायालय आगरा में 8 व 9 जनवरी 2011 में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एफ०आई० जी की उपस्थिति में सम्पादित हुआ यह अधिवेशन श्री सुरेन्द्र कुमार जिला जज आगरा की अध्यक्षता में हुआ था। जिसमें विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश गुप्ता महानिबंधक मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद थे। जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री शेर बहादुर सिंह व महासचिव के रूप में श्री राजेश कुमार यादव निर्वाचित हुए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर बहादुर सिंह, उपाध्यक्ष पं० राजकुमार गौतम, श्री चतर सिंह व श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव निर्वाचित हुये। संयुक्त सचिव सत्येन्द्र बहादुर सिंह, श्रीमती अल्का बख्शी, श्री नीरज मिश्र, श्री विनोद कुमार दीक्षित तथा संगठन सचिव के रूप में श्री दिगपाल सिंह, कु० प्रतिभा तोमर, श्री विनोद कुमार सक्सेना, श्री सन्तोष ओझा निर्वाचित हुए। सांस्कृतिक सचिव श्री दिलीप श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, आडिटर सन्तोष कुमार सिंह निर्वाचित घोषित हुये। संरक्षक के रूप में श्री श्याम सुन्दर सिंह सर्व सम्मति से मनोनीत किया गया।

34) संघ का 40वाँ अधिवेशन 27 व 28 मई 2016 को गांधी भवन, लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर डॉ० नृपेन्द्र सिंह (बदायूं) एवं महासचिव पद पर श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह (श्रावस्ती) निर्वाचित हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प० राजकुमार गौतम, उपाध्यक्ष पद पर श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह (इटावा), श्री पूरन सिंह भण्डारी (मेरठ), श्री हरेन्द्र मोहन सारस्वत (एटा), श्री संजीव कुमार पाण्डेय (वाराणसी) निर्वाचित हुए। संयुक्त सचिव पद पर श्री विनोद कुमार दीक्षित (चन्दौली), श्री विनोद कुमार सक्सेना (अलीगढ़), श्री राघवेन्द्र सिंह यादव

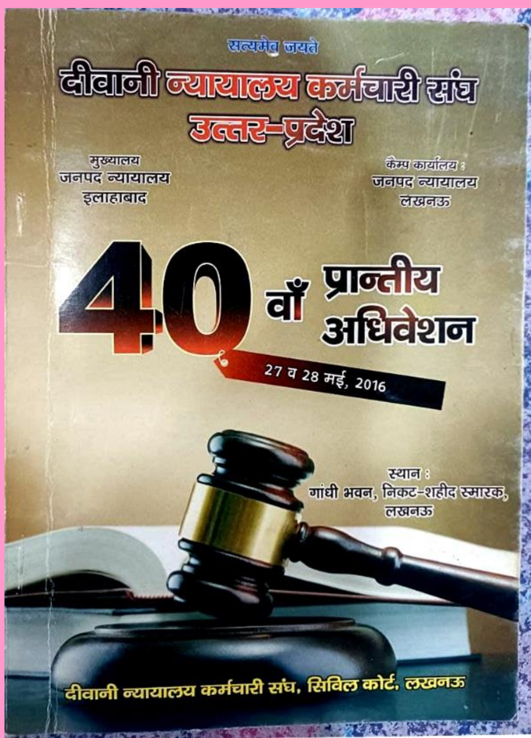

(लखनऊ), दुर्गेश श्रीवास्तव (आजमगढ़) निर्वाचित हुए। संगठन सचिव पद पर श्री विवेक दत्त उपाध्याय (फर्रूखाबाद), श्री हर्ष बाबू (बुलन्दशहर), श्री क्षेमेन्द्र जैन (कौशाम्बी), श्री प्रदीप

भटनागर (मुरादाबाद) निर्वाचित हुए। श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव लखनऊ कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। सांस्कृतिक सचिव पद पर श्री अक्षय प्रताप सिंह बुलन्दशहर निर्वाचित हुए। संरक्षक के रूप में श्री अनिल सिंह को सर्व सम्मति से मनोनीत किया गया। श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव (लखनऊ), श्री सैय्यद मोहम्मद ताहा (बाराबंकी), श्री संदीप चौहान (लखीमपुर), सुश्री प्रतिभा तोमर (हापुड़), श्री अनुराग श्रीवास्तव (सोनभद्र) एवं श्री राजेश कुमार यादव (लखनऊ) को सर्व सम्मति से उपाध्यक्ष पद पर नामित किया गया। इस अधिवेशन के बाद कर्मचारी हितों के प्रयासों की श्रृखला में दिनांक 24-07-2016 को जनपद मुरादाबाद में स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री महबूब अली मुख्य अतिथि के रूप से उपस्थित रहे। डॉ० नृपेन्द्र सिंह (प्रांतीय अध्यक्ष) एवं श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह (प्रांतीय महासचिव) के सशक्त नेतृत्व में दिनांक 14 अक्टूबर 2017 को लक्ष्मण झूला मैदान में शेट्टी कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने के लिये प्रदेश भर के कर्मचारियों द्वारा विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

35) संघ का 41वाँ अधिवेशन दिनांक 13 व 14 मार्च 2021 को जनपद बाराबंकी में श्री जयशंकर त्रिवेदी के संयोजन में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय बृजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री (विधि एवं न्याय) उ० प्र० शासन द्वारा किया गया। 41वें अधिवेशन में एक बार पुनः डॉ० नृपेन्द्र सिंह (बदायूं) ने अपना विजय परचम लहराया एवं कर्मचारियों में लोकप्रिय श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह (श्रावस्ती) दोबारा महासचिव पद पर निर्वाचित हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री अभिषेक सिंह (इलाहाबाद) निर्वाचित हुए। श्री हरिशंकर श्रीवास्तव (लखीमपुर), श्री सैय्यद मोहम्मद ताहा (बाराबंकी), श्री विवेक दत्त उपाध्याय (फर्रूखाबाद) उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (अंबेडकरनगर), श्री प्रिय रंजन किशोर (बागपत), श्री प्रेम नरायन (सीतापुर), श्री संदीप कुमार

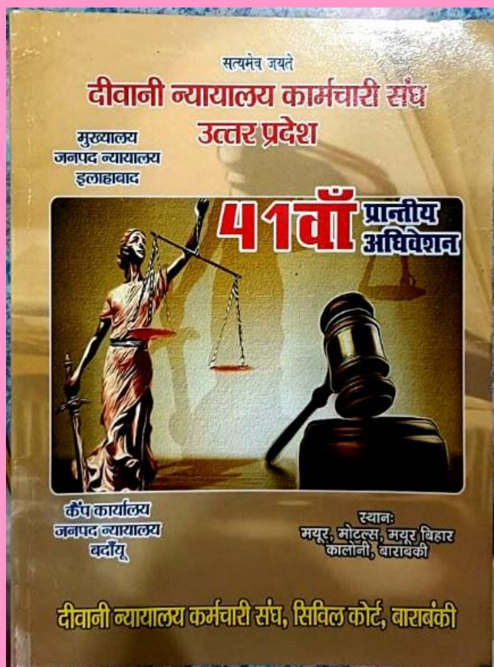

यादव (सहारनपुर) संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित हुए। श्री देवराज सिंह (अलीगढ़), श्री अवधेश खरे (ललितपुर), श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (श्रावस्ती) व श्री सुधीर कुमार विश्नोई (बिजनौर) संगठन सचिव के पद पर निर्वाचित हुए। श्री नीरज श्रीवास्तव (लखनऊ) कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए एवं श्री रतन कुमार श्रीवास्तव (इलाहाबाद) सांस्कृतिक सचिव के पद पर निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश में संघ को प्रत्येक जिले में विस्तार करने के साथ मजबूत बनाने व ''सशक्त कर्मचारी-समर्थ कर्मचारी'' की अवधारणा को धरातल पर लाने के उद्देश्य से अनुभव व उर्जा को एक साथ समाहित करते हुए श्री अमरेश चन्द्र दूबे (मिर्जापुर), श्री जयशंकर त्रिवेदी (बाराबंकी), श्री संजीव विश्वकर्मा (गौतमबुद्धनगर), सुश्री प्रतिभा तोमर (हापुड़), श्री विवेक

त्रिपठी (चन्दौली), श्री धीरेन्द्र सिंह (कानपुर देहात) व श्री अवनीश श्रीवास्तव (इलाहाबाद) को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद हेतु नामित किया गया। संघ में युवा ऊर्जा के रुप में श्री भागवत शुक्ल (बस्ती) को संयुक्त सचिव पद पर मनोनीत किया गया। श्री अजय गर्ग (मुजफ्फर नगर) को संगठन सचिव पद पर नामित किया गया। श्री संदीप चौहान (लखीमपुर) को संघ का संरक्षक नामित किया गया।

प्रांतीय अध्यक्ष डॉ० नृपेन्द्र सिंह व प्रांतीय महासचिव श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह के के कुशल नेतृत्व व मार्गशन में श्री भावगत शुक्ल (प्रांतीय संयुक्त सचिव) द्वारा संघ का गौरवशाली इतिहास दुरूस्त कराया गया, तथा संघ को पूर्ण रूप से डिजीटल प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से संघ की वेबसाइट **www.dnksup.com** का उद्घाटन एम०एन० भण्डारी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद जी द्वारा दिनांक **04-08-2021** को किया गया एवं संघ तक अपनी बात सहजता से पहुंचाने व प्रत्येक कर्मचारी तक संघ की पहुंच सुनिश्चत करते हुए बदलते परिवेश को देखते हुए संघ को समस्त डिजिटल प्लेटफार्म पर पूर्ण रूप से सक्रिया किया गया। सम्पूर्ण प्रदेश को एक सूत्र मे बांधने व सम्पूर्ण प्रदेश सभी कर्मचारीगण को अपनी बात रखने के लिए एक स्वच्छंद मंच के रूप में **उद्घोष नामक एक त्रैमासिक ई–पत्रिका की शुरूआत की गयी**। जिसके मुख्य सम्पादक श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह (प्रांतीय महासचिव) व सह सम्पादक श्री भागवत शुक्ल (प्रांतीय संयुक्त सचिव) हैं। प्रदेश में संगठन को सशक्त बनाने के लिए **संघ सशक्तिगरण माह** की शुरूआत की गयी जिसके अर्न्तगत प्रथम चरण **सितम्बर 2021** में लगभग 33 जिलों में संघ का पुर्नगठन हुआ। नवनियुक्त कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघ पहली बार खुलकर अन्य संगठनों के सहयोग हेतु आगे आया व पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार के विरूद्ध भौतिक रूप से व डिजिटल मंचो पर नवनियुक्त कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया।

प्रस्तुति : टीम सम्पादक समिति ‘‘उद्घोष’’ त्रैमासिक ई-पत्रिका

तुम्हारे मुख पर शान्ति
जैसे ठंडी राख
तुम्हारी आँखों में
जीवन का विकराल सत्य
तुम्हारे ललाट पर
मानो ब्रह्मांड टिका हो
तुम्हारी भंगिमा पर
मानो प्रकृति निर्भर
तुम्हारी जटाओं में
मानो काल बंधा हो
चन्द्रमा की शीतलता
और गंगा की पवित्रता ने
जिसको पावन और निर्मल कर रखा हो

साथ में शक्ति स्वरूपा प्रीति
तुम्हारी अर्धांगिनी
तुम विनाश को
अपने तीसरे नेत्र में
संपीडित किये
ध्यान योग में तल्लीन
हे देवों के देव महादेव
कितना अद्भुत
और धन्य है तुम्हारा रूप!

प्रभात शुक्ल
(असिस्टेंट रजिस्ट्रार)
मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ

कविता

त्रैमासिक पत्रिका “उद्घोष”

आओ, सबमिल कदम बढ़ायें
प्रेम बढ़ायें, सद्भाव बढ़ायें
मन विचार को निर्मल करलें
मिट जाए, सब दोष-प्रदोष
इस उद्देश्य का पोषण करती
त्रैमासिक पत्रिका “उद्घोष”

तेरे मेरे मन की, पाती
शब्दों का, संसार सजाती
गद्य-पद्य की, धाराओं से
तूफानों सा, भरती जोश
इस उद्देश्य का पोषण करती
त्रैमासिक पत्रिका “उद्घोष”

सबको है, एक मंच पे लाती
कोई धर्म, या कोई जाति
सामाजिक सद्भाव, बढ़ाती
कर देती, सबको मदहोश
इस उद्देश्य का पोषण करती
त्रैमासिक पत्रिका “उद्घोष”

इक परिवार का बोध कराती
सबको है, सम्मान दिलाती
रचनाओं का, करे प्रकाशन
मिट जाते, सबके सब रोष
इस उद्देश्य का पोषण करती
त्रैमासिक पत्रिका “उद्घोष”

राजेश बंसल
(वरिष्ठ सहायक)
जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा

अपनी लेखनी के माध्यम से टीम उद्घोष त्रैमासिक ई–पत्रिका का उत्साह बढ़ाने के लिये श्री राजेश बंसल जी का हृदय से आभार।

वक्त कहाँ

वक्त कहाँ अब कुछ पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूँ,
वक्त कहाँ बाबा के शिकवे, फटकारें और डाँट सहूँ।

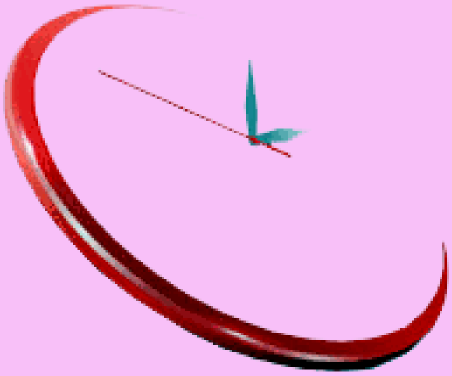

कहाँ वक्त है माता-पिता के दुःख दर्द चुराने का,
और पड़ोसी के मुस्कराते रिश्ते खूब निभाने का।

रिश्तों की गरमाहट पर कब ठंडी-सूखी बर्फ जमी,
सोंधी-सोंधी मिट्टी में कब फिर लौटेगी वही नमी।

जब पतंग की डोर जुड़ेगी, भीतर के एहसासों से,
भीनी-भीनी खुशबू फिर महकेगी कब इन सांसो से।

सूने-से इस कमरे में कब तैरेगी मीठी यादें,
बिछड़े साथी कब लौटेंगे अपना अपनापन साधे।

कब आयेगा समझ मुझे क्या जीवन का असली मतलब,
खुशियों को आकार मिलेगा, होंगे सपने अपने जब।

कभी मिले कुछ वक्त अगर तो, ठहर सोचना तुम कुछ पल,
यूँ ही वक़्त कटेगा या कुछ बेहतर होगा अपना कल ।।

सालिक राम यादव (कनिष्ठ सहायक)
जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्ती

(योगेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, मथुरा

(1)

तोहमत बेवफाई की तुझपे, लगाता कैसे
रुसवाई तेरी दुनिया में, कराता कैसे
तेरे लिखे ख़त हैं, जरिया मेरे जीने का
नफरत की आग में, जलाता कैसे
ठुकरा के मोहब्बत मेरी, दामन गैरों का थामा
फिर आँख मुझसे वो, मिलाता कैसे
कुछ जमीं ने बेवफाई, जरूर की होगी वरना
तूफान दरख़्तों को यूँ, गिराता कैसे
साकी की रहनुमाई में, गर न पीते शराब
दिल से उसके नक़्श, मिटाता कैसे
तन्हाईयाँ कचोटती थीं, बंद कमरे में मुझे
दीवार से तेरी तस्वीर, हटाता कैसे
दास्तान ए इश्क जमाने पे, जाहिर होने न दी
हाल अपना आईने से, छिपाता कैसे

(2)

इतराता फिरता है वो, इस गफलत में
हम भी हैं परेशान, उसकी मोहब्बत में
ना हुआ गर बोसा, पेशानी पे उसकी
शरीक ए ख्याल तो हैं, उसकी नफरत में
बाशिंदे थे गुमनामी के, अंधेरों के हम
हो गए नामवर, उसकी सोहबत में
मदहोश उसकी आँखों में, होकर तो देख
नजर आयेगी जन्नत, उसकी नजारत में
मेरी हर इब्तिदा पर, मुँह बिचकाता ही रहा
हम नाहक मर मिटे, उसकी उलफत में

शहर जाते हुए गुफ्तगू हुई मेरी परछाई से

शहर जाते हुए गुफ्तगू हुई मेरी परछाईं से
कहने लगी हर वक्त मुझे साथ ले जाना ठीक नहीं,
आखिर मैं भी तो थकती हूँ,
जो साथ तुम्हारे मैं भी तो चलती हूं,
कुछ देर कहीं ठहर जाया करो,
ना इतना तुम शहर जाया करो,
शहर के उजाले में तुम मुझे भूल जाते हो,
देख चकाचौंध क्यों इतना फूल जाते हो,
तुम्हारी हिफाजत में कभी आगे, कभी पीछे रहती हूं,
बिना कुछ कहे हर बार एक ही बात कहती हूं,
ना हो अकेले मैं साथ हूं तुम्हारे,
अमावस की रात हो या हों दिन के उजाले,
शहर जाते हुए गुफ्तगू हुई मेरी परछाई से।

निखिल शुक्ल (आशुलिपिक)
जिला एवं सत्र न्यायालय, सिद्धार्थनगर

अनुभवहीन

मेरे शब्द को तू ना बांध विवशता
मैं अन्तर्द्वंद में रहता हूँ
मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ
पर कुछ भी मैं ना कहता हू।

बड़ी बेडियां हैं मेरे ही पांव में,
पर वो भी कभी न दिखती है।
पर आँख देखता अदृश्य दृश्य,
और वेदना सहता रहता हूँ।

हो सकता मुझसे द्वेश सही,
पर कभी ना द्वेष में रहता हूँ।
मैं सब कुछ करता रहता हूँ,
और सब कुछ सुनता रहता हूँ।

यहां लय-ताल हैं बिगड़े हुए,
और धुंध पड़े हैं यंत्र यहां।
यहा वाणी में बड़ी कर्कशता
मैं कान बन्द शान्त रहता हूँ।

सब उलझे यहां मांझे से,
पर पतंग तो सबकी कटनी है
जब आसमान में कहीं हवा नहीं,
मैं दुकान में पड़ा ही रहता हूँ।

कोई आना है,कोई जाना है,
क्या खाना है, ना खाना है
मैं अपना समुद्र सा पेट लिए,
शिथिल पड़ा ही रहता हूँ।

मै निकला था जब देश बदलने,
देश ने मुझको बदल दिया।
अब जिस देश में जाता हूँ
मैं वही पड़ा ही रहता हूँ।

मारुति
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, वाराणसी

जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान

घृणा का उग्र रूप भय है और भय का प्रचंड रूप ही साहसः निंदा, क्रोध और घृणा ये सभी दुर्गुण हैं, लेकिन मानव जीवन में से अगर इन दुर्गुणों को निकाल दीजिए, तो संसार नरक हो जायेगा। यह निंदा का ही भय है, जो दुराचारियों पर अंकुश का काम करता है। यह क्रोध ही है, जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है और यह घृणा ही है जो पाखंड और धूर्तता का दमन करती है। निंदा का भय न हो, क्रोध का आतंक न हो, घृणा की धाक न हो तो जीवन विश्रृंखल हो जाय और समाज नष्ट हो जाय।

इनका जब हम दुरुपयोग करते हैं, तभी ये दुर्गुण हो जाते हैं, लेकिन दुरुपयोग तो अगर दया, करुणा, प्रशंसा और भक्ति का भी किया जाय, तो वह दुर्गुण हो जायेंगे। अंधी दया अपने पात्र को पुरुषार्थ–हीन बना देती है, अंधी करुणा कायर, अंधी प्रशंसा घमंडी और अंधी भक्ति धूर्त। प्रकृति जो कुछ करती है, जीवन की रक्षा ही के लिए करती है। आत्म–रक्षा प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है और हमारी सभी भावनाएँ और मनोवृत्तियाँ इसी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं।

कौन नहीं जानता कि वही विष, जो प्राणों का नाश कर सकता है, प्राणों का संकट भी दूर कर सकता है। अवसर और अवस्था का भेद है। मनुष्य को गंदगी से, दुर्गन्ध से, जघन्य वस्तुओं से क्यों स्वाभाविक घृणा होती है? केवल इसलिए कि गंदगी और दुर्गन्ध से बचे रहना उसकी आत्म–रक्षा के लिए आवश्यक है। जिन प्राणियों में घृणा का भाव विकसित नहीं हुआ, उनकी रक्षा के लिए प्रकृति ने उनमें दबकने, दम साथ लेने या छिप जाने की शक्ति डाल दी है। मनुष्य विकास–क्षेत्र में उन्नति करते–करते इस पद को पहुँच गया है कि उसे हानिकर वस्तुओं से आप ही आप घृणा हो जाती है। घृणा का ही उग्र रूप भय है और परिष्कृत रूप विवेक। ये तीनों एक ही वस्तु के नाम हैं, उनमें केवल मात्रा का अंतर है। तो घृणा स्वाभाविक मनोवृति है और प्रकृति द्वारा आत्म–रक्षा के लिए सिरजी गयी है। या यों कहो कि वह आत्म–रक्षा का ही एक रूप है। अगर हम उससे वंचित हो जाएँ, तो हमारा अस्तित्व बहुत दिन न रहे। जिस वस्तु का जीवन में इतना मूल्य है, उसे शिथिल होने देना, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है।

हममें अगर भय न हो तो साहस का उदय कहाँ से हो। बल्कि जिस तरह घृणा का उग्र रूप भय है, उसी तरह भय का प्रचंड रूप ही साहस है। जरूरत केवल इस बात की है कि घृणा का परित्याग करके उसे विवेक बना दें। इसका अर्थ यही है कि हम व्यक्तियों से घृणा न करके उनके बुरे आचरण से घृणा करें। धूर्त से हमें क्यों घृणा होती है? इसलिए कि उसमें धूर्तता है। अगर आज वह धूर्तता का परित्याग कर दे, तो हमारी घृणा भी जाती रहेगी। एक शराबी के मुँह से शराब की दुर्गन्ध आने के कारण हमें उससे घृणा होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसका नशा उतर जाता है और उसके मुँह से दुर्गन्ध आना बंद हो जाती है, तो हमारी घृणा भी गायब हो जाती है।

एक पाखंडी पुजारी को सरल ग्रामीणों को ठगते देखकर हमें उससे घृणा होती है, लेकिन कल उसी पुजारी को हम ग्रामीणों की सेवा करते देखें, तो हमें उससे भक्ति होगी। घृणा का उद्देश्य ही यह है कि उससे बुराइयों का परिष्कार हो। पाखंड, धूर्तता, अन्याय, बलात्कार और ऐसी ही अन्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति हमारे अंदर जितनी ही प्रचंड घृणा हो उतनी ही कल्याणकारी होगी। घृणा के शिथिल होने से ही हम बहुधा स्वयं उन्हीं बुराइयों में पड़ जाते हैं और स्वयं वैसा ही घृणित व्यवहार करने लगते हैं। जिसमें प्रचंड घृणा है, वह जान पर खेलकर भी उनसे अपनी रक्षा करेगा और तभी उनकी जड़ खोदकर फेंक देने में वह अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। महात्मा गाँधी इसलिए अछूतपन को मिटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं कि उन्हें अछूतपन से प्रचण्ड घृणा है।

जीवन में जब घृणा का इतना महत्व है, तो साहित्य कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता है, जो जीवन का ही प्रतिबिंब है? मानव–हृदय आदि से ही सु और कु का रंगस्थल रहा है और साहित्य की सृष्टि ही इसलिए हुई कि संसार में जो सु या सुंदर है और इसलिए कल्याणकर है, उसके प्रति मनुष्य में प्रेम उत्पन्न हो और कु या असुंदर और इसलिए असत्य वस्तुओं से घृणा। साहित्य और कला का यही मुख्य उद्देश्य है। कु और सु का संग्राम ही साहित्य का इतिहास है। प्राचीन साहित्य धर्म और ईश्वर द्रोहियों के प्रति घृणा और उनके अनुयायियों के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भावों की सृष्टि करता रहा।

विनय कुमार शुक्ल
प्रांतीय उपमहासचिव
चतुर्थ श्रेणी न्यायिक
कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

आगे तो अब बढ़ना होगा

कब तक घुट-घुट कर यूं मरना होगा
तुमको भी कुछ करना होगा
आगे तो अब बढ़ना होगा
शोर उठे और आंधी आए
तिनका तिनका जब बह जाए
उस आंधी में स्थिर होकर
धीरे-धीरे चलना होगा
तुमको भी कुछ करना होगा,
आगे तो अब बढ़ना होगा।
हो निशीथ का घोर अंधेरा
प्रलय डाल ले अपना पहरा
पूस रात के सर्द पहर में
नंगे पांव चलना होगा
तुमको भी कुछ करना होगा
आगे तो अब बढ़ना होगा

आशाओं से क्या होता है
दृढ़ निश्चय अब करना होगा
छुटपुट राहे तोल चुके हो
चोटी पर अब चढ़ना होगा
कब तक घुट-घुट कर यूं मरना होगा ।
तुमको भी कुछ करना होगा,
आगे तो अब बढ़ना होगा

नगेन्द्र कुमार जायसवाल
जनपद न्यायालय, सीतापुर

'सही सोच का नतीजा'

कहा जाता है कि जितनी बडी सोच हमारी होगी उतना ही ज्ञान का विस्तार भी होगा। यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति अन्य लोग से अधिक होगी। जिससे हम हर समस्या को आसानी से पार कर सकते है।

एक बार एक गांव मे एक सरपंच जी रहते थे उनकी प्रखर बुद्धि से उन्हे जाना जाता था। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। तथा गांव की खुशहाली के लिए सरपंच जी खूब मेहनत करते थे। यही नही दूर दूर से भी लोग उनके पास न्याय मांगने आते थे।

एकबार दूर गांव से उनको मिलने एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैने किसी व्यक्ति को रात मे रहने के लिए जगह दी थी। किन्तु वह कीमती चीज लेकर भाग गया।

सरपंच जी कहते है कि उस व्यक्ति को और जिसने उसे पकड़ा उसे यहां पेश करो। दूसरे दिन दोनों को पेश किया जाता है । सरपंच जी पहले अतिथि से पूछते है।कि क्या तुमने चोरी की है। वह कहता है नही मै तो आराम से कमरे मे सो रहा था मैने चोरी कि आवाज सुनी तो चोर के पीछे भागा और मुझे ही दोषी बताया गया। फिर दूसरे कैदी से पूछते हैं जो की गांव का ही चौकीदार था। वह कहता है कि मैने इसे भागते हुए देखा तभी मैने इसको पकडा। सरपंच की कुछ समझ मे नही आ रहा था। उन्हे दूसरे दिन आने को कहा लेकिन दूसरे दिन भी कुछ न हुआ। फिर सरपंच जी ने तरीका सोचा और कहा कि गांव के बाहर एक बक्सा पडा है तुम दोनों उसे मेरे पास लादो तो तुम दोनों का गुनाह माफ हो जायेगा। दोनों दौड़ते हुए जाते है और दोनो चले जाते है बक्सा लाते समय दोनो बाते करते है कि तू गांव का चौकीदार है तो फिर चोरी क्यों करता है।
तबतक चौकीदार कहता है कि मै तो चोरी कर रहा था तो तुमने मुझे पकडा क्यों फिर दोनों सरपंच के पास पहुच जाते है और कहते है इसमे इतना भारी क्या है।

सरपंच जी बक्सा खोलते है, तो उससे एक आदमी निकलता है । वह आदमी सबकुछ कहता है जो उसने सुना था। आखिर चौकीदार को सजा होती है और अतिथि को सम्मानित किया जाता है। आखिर सरपंच जी की सोच ने एक सही फैसला सुनाया जिससे वह अतिथि निर्दोष साबित हुआ।

इसीलिए कहा गया है कि सोच बडी होनी चाहिए उससे हर समस्या के हल निकल जाता है

'सदैव प्रसन्न रहिये।'
'जो प्राप्त है, पर्याप्त है।।'

ऋषि यादव
अध्यक्ष : दीवानी न्यायालय कर्मचरी संघ,
उत्तर प्रदेश शाखा-फर्रूखाबाद
सदस्य सम्पादकीय समिति : उद्घोष त्रैमासिक ई-पत्रिका

तो क्या ?

जूही सक्सेना
कनिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी

लिख दूं हर जज़्बात कि
वो लफ्ज नहीं..
हर लम्हा जो मुस्कुराते हैं
तो क्या गम नहीं...
न कहूं कि कुछ बुरा है
तो क्या कोई हद नहीं...
खामोशी अगर पहचान है
तो क्या आवाज नहीं...
कट गई यूं ही पूरी रात
तो क्या नींद नहीं...

दर्द से रिश्ता गहरा है
तो क्या मरहम नहीं...
घायल हो जाए परिंदा
तो क्या पंख नहीं...
घिर जाऊ अंधेरों में
तो क्या रोशनी नहीं...
गर्दिश में अगर तारे हैं
तो क्या रहमत नहीं...

जाग उठ ऐ मंजिल के मुसाफिर
कि ये थकान तेरी मंजिल नहीं...

भारतीय समाज

भारतीय समाज के संबंध में कोई सटीक व्याख्या करना अथवा उसे एक परिभाषा से परिभाषित करना बिल्कुल वैसा ही है, जैसा भारत जैसे महान देश में बह रहीं नदियों की कलधाराओं को एक साथ मिला देना और एक ही जलप्रवाह बनाना। किसी भी देश का समाज वहाँ की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों यथा भौगोलिक, राजनितिक, क्षेत्रीय परिस्थितियां आदि से फलता-फूलता है। चूंकि भारत एक महान प्राचीन एवं विशाल देश है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एवं पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ यह क्षेत्र अपने अंदर तमाम विविधताएं समेटे हुए हैं। इसके अंदर विशाल मैदान, पर्वत, नदियां, पठार, रेगिस्तान, गंगा यमुना का दोआब उपजाऊ क्षेत्र फैला हुआ है। उसी तरह राजिनितिक एवं क्षेत्रीय व भाषाई विविधता भी पूरे देश में देखने को मिलती है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारतीय समाज भी उपरोक्त विविधताओं की तरह ही अपने अंदर भी अनेक विविधता समेटे हुए है। चूंकि भारत में तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक तरह के रीति-रिवाज हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार से लोगों का रहन-सहन है और भी तमाम प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं तथा भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ निवास करते हैं। लेकिन क्षेत्र बदलने पर भाषा बदल जाती है। रीति-रिवाज अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के अलग-अलग तरह के होते हैं। चूंकि समाज की प्रथम इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति से ही समाज बनता है। एक क्षेत्र के व्यक्तियों का दूसरे क्षेत्र के व्यक्तियों से भिन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह अलग-अलग तरह की बहती नदियों में समानता है, उनका जलप्रवाह अलग-अलग स्थानों से निकलकर भी संगम-समागम होता हुआ बहता है और उसका उद्देश्य लोक कल्याण करते हुए समुन्द्र में मिल जाना होता है, इसी प्रकार हमारा समाज भी भिन्न-भिन्न होते हुए भी लोक कल्याण की एक ही दिशा में अग्रसर होना चाहिए।

चूंकि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ है और उक्त विविधता के बहुत से कारक है, जिनमें कुछ क्षेत्रीय हैं, तो कुछ राष्ट्रीय है। वर्तमान परिस्थितियों में हम समाज एवं उससे संबंधित तथ्यों पर गहराई से चिंतन करें कि क्या वर्तमान समाज में नैतिक उत्थान की प्रक्रिया चल रही है तो पाते हैं कि शायद पूर्ण रूप से नहीं। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजिनितिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय अथवा भाषाई क्षेत्र के। लेकिन जो प्रमुख हैं वो है लोगों की मानवीय संवेदनाओं का नष्ट हो जाना और धर्मांधंता।

वर्तमान परिस्थितियों पर दृष्टि डाले तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों की मानवीय संवेदनाए नष्ट हो चुकी है और होती जा रही हैं और उक्त संवेदनाए सिर्फ मानव के प्रति ही नहीं, अपितु जानवरों के प्रति भी समाप्त हो रही हैं। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी ही घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने इस बिंदु पर विचार करने पर विवश किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अतीत में जब किसान अपना खेत जोतता था तो बैल के गोबर करने के समय जुताई का कार्य रोक देता था। चूंकि यह एक सामान्य क्रिया थी, लेकिन अगर देखा जाये तो इसका बहुत बड़ा महत्व था। यह कोई बहुत समय पहले की बात भी नहीं है। मुंशी प्रेमजन्द्र जी ने पूस की रात में जानवर व इंसान के आत्मिक रिश्ते का बड़ा ही आलौकिक वर्णन किया है, जिसमें एक मालिक और उसका कुत्ता पूस की ठंडी रात में अपने खेत की रखवाली करते हैं। उस समय मनुष्य, मनुष्य के प्रति ही नहीं बल्कि जानवरों के प्रति भी बहुत लगाव रखता था और जानवरों को अपने घर परिवार का हिस्सा समझा जाता था। लेकिन आज गाय को भी सड़कों पर खुला घूमते हुए देखा जा सकता है और यह बहुत ही दुख व अफसोस की बात है। मनुष्य के मन से मानवीय संवेदनाओं के नष्ट होने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है और वह है मनुष्य का स्वार्थी स्वभाव। ऐसा नहीं है कि अतीत

भारतीय समाज ....

में स्वार्थी स्वभाव के मनुष्य नहीं थे, लेकिन तब मानवीय मूल्यों को वर्तमान से अधिक महत्व दिया जाता था।

वर्तमान में हम जितना विकास कर रहे हैं और आधुनिक हो रहे हैं, उतनी ही हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। चूंकि मनुष्य विकास एवं आधुनिकता की अंधी दौड़ में स्वार्थवश अपनी आवश्यकताएं बढ़ाता ही जा रहा है और इसी स्वार्थ के कारण हमारी संवेदनाओं का हनन हो रहा है। चूंकि हमारी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही हैं तो आये दिन हमें ऐसी ही घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती है, जो हमारे दिल-दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। आपराधी प्रवृत्ति के लोग आम एवं बेकसूर जनता को परेशान करते हैं, उसे उत्पीड़ित करतें हैं तो कुछ अपराधियों की संवेदनाएं तो इस हद तक खत्म हो चुकी हैं कि वे अपना अच्छा अथवा बुरा भी नहीं सोच पा रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण है कि अभी हाल में ही एक अपराधी व्यक्ति ने पुलिस को मारा तो वहीं एक स्थान पर एक गर्भवती हथिनी को विस्फोटक से भरा हुआ फल खिला दिया गया। दोनों ही घटनाओं में संवेदनहीनता की हद पार की गयी थी और उक्त घटनाएं स्वार्थवश ही कारित की गयी हैं। दोनों घटनाएं भी समान ही हैं बस फर्क मनुष्य एवं जानवर का था, जो इन घटनाओं में काल का ग्रास बने। ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं और न जाने कितनी तो समाजिक पटल पर प्रकाश में आ भी नहीं पाती हैं।

हमारे समाज के उत्थान में बाधा उत्पन्न करने का एक दूसरा बड़ा कारण है धर्मांधता। वास्तविक रूप से जो धर्म हैं, वह तो है ही नहीं। चूंकि धर्म तो समाज के उत्थान को परिभाषित करता है एवं उसमें अपना योगदान देता है, लेकिन लोग धर्म को न मानकर धर्मांधता में इतने अंधे हो चुके हैं कि कोई सत्य को समझने अथवा उस पर विचार करने को तैयार ही नहीं है। इसमें चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को यह समझना चाहिए, वे ही इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि वर्तमान में धर्म की सही व्याख्या नहीं की जाती है और क्यों नहीं की जाती है, यह एक अलग विषय है, लेकिन व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी तो है ही कि वह सही और गलत में अंतर करके सही का अनुसरण करें, लेकिन लोग तो गलत का ही अनुसरण करने में लगे हुए हैं और यही धर्मांधता है। व्यक्तियों के निजी विचार समान होते हुए भी जब वे धर्म के विषय पर आते हैं तो उनके विचारों में विरोधाभाष उत्पन्न हो जाता है और कभी-कभी तो यह विरोधाभाष खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है और यही वह स्थिति होती है, जब कुछ स्वार्थी व्यक्ति यहाँ भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग जाते हैं।

चूंकि ये बहुत विषम स्थितियां हैं और वर्तमान में हमें ऐसी स्थितियों से निपटना ही होगा, तभी समाज का पूर्ण रूप से उत्थान का सपना साकार हो सकेगा और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकेगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि हम गहन चिन्तन, धैर्य, समझ एवं सहयोग की भावना अपने अंदर विकसित कर लें।

अनवर अंसारी
वैक्तिक सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, ललितपुर

हम वो आखिरी पीढ़ी है
जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है
जिनको इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं ज्ञात है
न ही कम्प्यूटर के संबंध में कुछ पता है।

हम वो आखिरी पीढ़ी है
जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है।
जिनको ऑनलाईन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है
न ही उनके पास कोई स्मार्ट फोन है।

हम वो आखिरी पीढ़ी है
जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है
ना फोन है, ना सेल्फी का चाव है।
ना उनको स्मार्ट फोन का
लाक खोलना आता है।
ना ही उनको अपनी जन्मतिथि
पता है।

हम वो आखिरी पीढ़ी है
जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है
जिनको ऑनलाईन शॉपिंग के बारे में नही पता है
न कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट है।

हम वो आखिरी पीढ़ी है
जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है।
उन्होने बहुत कम सुख-सुविधाओं में
अपना सारा जीवन निकाल लिया है,
बिना किसी शिकायत के ।

जी हां, हम आखिरी पीढ़ी है
जिनके पास ऐसी मासूम माँ है।

रवि कुमार चन्द्रा
वरिष्ठ सहायक/सेशन कर्लक
जिला एवं सत्र न्यायालय, ललितपुर

कितना मुझको आजमाया जाएगा।
और अब कितना सताया जाएगा।।

मेरे चेहरे के तासुर को पढने के लिए।
फिर वही फसाना सुनाया जाएगा।।

जब तलक खाक न हो जाए हस्ती।
तब तलक मुझको रुलाया जाएगा।।

अमित मिश्रा
(सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर)
जनपद न्यायालय, लखनऊ

रहेगी और कोई राह न बाकी जब।
मुझको मजबूरी में भुलाया जाएगा।।

जब हो जाएंगी अन्धेरी बस्तियां सारी।
रोशनी को घर जलाया जाएगा।।

काम सारे जरूरी कर चुका है '**केवल**'।
मौत का अब जश्न मनाया जाएगा।।

आजादी का अमृत महोत्सव
गौरवशाली है आज का दिन,
अधूरी है हर खुशी इसके बिन।
जीवन का सबसे बड़ा है यह उत्सव,
क्योंकि यह है
''आजादी का अमृत महोत्सव'' ।

गांधी नेहरू के सपने होंगे साकार,
देश लेगा एक नया आकार ।
परंतु चल रहा है कुछ नया व्यापार,
फिर कैसे होगी देश की नैया पार।।

इसीलिए......
हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।
बहुत सो चुके सोने वालों,
भोर हुई अब उठना होगा।

उठ कर देखो इस धरती को,
क्यों हो रहे इतने अत्याचार,
क्यों बढ़ रही अराजकता,
क्यों बिक रहा धर्म बीच बाजार।।

जाति धर्म पर लड़ने वाले,
झूठी शान पर मरने वाले,
बना रहे मन में दीवार,
क्यों हो रहे देश के टुकड़े हजार।।

रूप बदल कर चलते हैं,
सबके बीच में पलते हैं,
कहीं जात पात, कहीं ऊंच-नीच,
बस इन्हीं बात पर करते विचार,
क्यों बढ़ रहा हैं देश में अत्याचार।।

पाक चाइना तो नाम के हैं,
हमारे नेता किस काम के हैं....
अनपढ़ अपराधियों से भरे गोदाम,
क्या हो रहा है इसका अंजाम,
थोड़ा इस पर करो विचार,
क्यों बढ़ रहा है देश में अत्याचार।।

सरकारी नौकरियों की होड़ में,
आगे बढ़ने की दौड़ में,
देश के होनहार जा रहे विदेश,
वह करते हैं ज्ञान का निवेश,
कुछ नेताओं के चक्कर में,
पढ़ें लिखे हो रहे बेरोजगार,
क्यों बढ़ रहा है देश में अत्याचार।।

इस देश का सिस्टम क्यों बिगड़ रहा,
यह देश क्यों नहीं आगे बढ़ रहा,
अपनी जेबे भरने के खातिर,
मीडिया भी तो बिक रहा,
क्या सही, क्या गलत,
धन कमाने की ललक,
सभी नीलाम हो रहे बीच बाजार,
क्यों बढ़ रहा है देश में अत्याचार।।

हम कैसे उनको भूल गए,
जिनके सपनों में आजादी थी,
दिलों की, मजहब की, सरहदों की,
जिनके खून में रवानी थी,
सोचो क्यों उन्होंने अपनी जान गवाई,
क्या उनकी इच्छा हमने जानी,
इस बात पर हम करें विचार,
अब ना करें इस देश के टुकड़े हजार ।।

हम उस देश के वंशज हैं,
जहां राम और रहीम को भेजते हैं,
मन में गीता और कुरान बसते हैं,
ईद और होली साथ में मनते हैं,
फिर हम आपस में क्यों बटते हैं,
आओ मिलकर हम करें विचार,
ना बढने दे देश मे अत्याचार,
न करें देश के टुकड़े हजार।।

यह सपना हमारा होगा साकार,
क्योंकि.........
हम मना रहे हैं जीवन का सबसे बड़ा उत्सव,
यह है ''आजादी का अमृत महोत्सव'',

''आजादी का अमृत महोत्सव''

स्नेहलता सिंह
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, उन्नाव
सम्बद्ध: मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

आखिर ये लोकतंत्र है

सुबह के 9 बज चुके थे। सड़क पर अचानक सरकारी अमले की चहल-पहल बढ़ गयी थी। गणेश भी अब अपनी दुकान खोलने की तैयारी में था। उसकी दुकान 'राहुल आटो पंचर सेंटर' इस व्यस्त सड़क पर स्कूटर, मोटरसाइकिल एवं कार के पंचर बनाने की एकमात्र दुकान थी।

दुकान के बोर्ड पर प्रसिद्द रोमांटिक अभिनेता का मुस्कुराता हुआ फोटो बना था। गणेश का पुत्र प्रमोद एयर कम्प्रेसर ऑन करने के बाद एक बड़ी बाल्टी में पानी भर लाया था। सुबह-सुबह ही एक मोटा सा आदमी एक दुबली पतली स्कूटी ले कर आया था जो पंचर थी। प्रमोद पंचर की जाँच करने लग गया था।

गणेश ने गुटखे की पुड़िया फाड़ी, अपना मुँह गुटखे से भरा और सड़क पर जा पहुँचा। सड़क पर उसने एक अफसर सरीखे मनुष्य से पूछा - "भैया आज कुछ हो रहा है क्या। मतलब कोई फंक्शन वगैरह है क्या ? बड़ी साफ सफाई हो रही है।"

"हाँ मंत्री जी आ रहे हैं पुलिस लाइन में फीता काटने।" - अफसर सरीखे व्यक्ति ने उत्तर दिया।

" कौन से मंत्री जी ?"- गणेश ने उत्सुकता व्यक्त की।

"गृहमंत्री श्यामसुन्दर शास्त्री चलो जाओ अपना काम करो।"- अफसर सरीखे व्यक्ति ने गणेश को झिड़का।

उधर दुकान से प्रमोद ने चुटकी लेते हुए कहा -"खुश न हो पापा ! उनकी गाड़ी पंचर नहीं होगी।" गणेश ने प्रमोद की बात को अनसुना कर दिया और दुकान पर आ कर एक ग्राहक की मोटरसाइकिल में हवा भरने लगा।

सड़क पर चहल-पहल कुछ अधिक हो चली थी। अधिकतर इतनी चहल-पहल साढ़े दस के बाद ही हुआ करती थी। अभी तो सवा नौ ही बजा था। साढ़े दस बजे से शाम छह बजे तक इस सड़क पर इतनी भीड़ होती थी और इतनी गाड़ियां आती जाती थी कि ढाई-तीन सौ रुपये तो हवा भर कर ही मिल जाया करते थें। थोड़ा सा फुटपाथ घेर कर गणेश ने इतना स्थान बना लिया था कि मोटरसाइकिल और स्कूटर बना सके।

गणेश ने अपनी मेहनत से इस दुकान को बनाया था और 'राहुल अहटो पंचर सेंटर' की साख निर्मित की थी। गणेश की दुकान बहुत छोटी सी थी। औजार रखने के बाद एक व्यक्ति ही कठिनाई से बैठ पाता था। जब से गणेश ने दुकान में कम्प्रेशर रखा था तब से तो जगह और भी कम हो गयी थी। बहुत परिश्रम किया था गणेश ने अन्यथा उसकी परिस्थितियों में तो कोई काम करना ही मुश्किल होता। गणेश के रिश्तेदार, पड़ोसी एवं परिचित उसके परिश्रम की दाद दिया करते थें। परन्तु गणेश अपनी पत्नी गीता को यह श्रेय दिया करता था।

गीता ही तो गणेश के जीवन में परिवर्तन की धारा बन कर आयी थी अन्यथा गणेश आज भी साइकिलें और मोटरसाइकिलें ही चुरा रहा होता। तीस वर्ष पूर्व गणेश और उसका दोस्त शामू साइकिलें और मोटरसाइकिलें चोरी कर उनके पुर्जे बाजार में बेच दिया करते थें। एक बार गणेश पकड़ा गया। पुलिस ने उसे बहुत पीटा। गणेश को दो वर्ष का कारावास हुआ। जेल से निकलने के उपरान्त गणेश की पत्नी गीता ने उसे बहुत समझाया कि वह चोरी चकारी का कार्य छोड़ दे। दूसरी तरफ शामू ने उसे बहुत समझाया - "यार आज तक एक बार ही तो पकड़े गए हो। धन्धा मत छोड़ो।" पर गणेश ने वाहन चोरी का काम छोड़ दिया। गणेश ने अपना शहर छोड़ दिया ताकि नये स्थान पर उसे नयी पहचान मिले। यहाँ उसने साइकिल रिपेयर की दुकान खोल ली।

आकाश में मेघ थे पर उमस बहुत अधिक थी। गणेश ने कमीज उतार कर दुकान में टांग दी और मात्र बनियाइन पहन कर सड़क पर खड़ा हो गया। उसकी दुकान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मिठाई की दुकान थी। सुबह के इस समय वहाँ भीड़ हुआ करती थी। पर आज कुछ अधिक ही भीड़ थी। दुकान का मालिक अचानक चिल्ला-चिल्ला कर बोलने लगा। गणेश उस मिठाई की दुकान की तरफ चल पड़ा। चलते-चलते गणेश ने देखा कि मिठाई की दुकान के मालिक को किसी ने थप्पड़ मार दिया। गणेश दौड़ पड़ा।

वहाँ पहुँच कर गणेश ने देखा कि दुकान का मालिक गाल सहलाता हुआ सिर झुकाये खड़ा है और उसे मारने वाला व्यक्ति धाराप्रवाह गालियां बक रहा है। गणेश ने उस व्यक्ति से कहा – ''ऐसे आप किसी शरीफ आदमी को मार रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे लगते हैं ?'' अचानक चटाक की ध्वनि हुयी। गणेश समझ नहीं सका कि क्या हुआ ? अरे ! उस व्यक्ति ने तो गणेश को भी थप्पड़ जड़ दिया। अब वह गणेश को गालियां बक रहा था।

लेकिन गणेश उस दुकानदार की तरह नहीं था जो चुपचाप थप्पड़ और गालियां सहन कर लेता। गणेश ने विरोध किया –''आप कोई भी हों इस तरह बत्तमीजी नहीं कर सकते। मेरे बेटे की उमर आपके इतनी ही है।''

उस व्यक्ति ने कहा –''मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं अभी दो मिनट में पता चल जाएगा। बंद करो साले को !''

पुलिस के दो सिपाहियों ने गणेश को पकड़ कर एक गाड़ी में बैठा दिया। एक सिपाही ने कहा –''जानता नहीं किससे बत्तमीजी कर रहा है। साहब आई.ए.एस. हैं।''

देर रात उसे छोड़ दिया गया।

गणेश बहुत दुखी था। पहली बार उसका इस प्रकार अपमान हुआ था। उसकी इच्छा तो हो रही थी कि आत्महत्या कर ले पर हिम्मत नहीं हुयी। वह बिना खाये ही रात को सो गया।

सुबह घर पर सभी उदास थें। गणेश ने चाय पी और दुकान जाने को उठा।

तभी गीता ने उससे पूछा –''कहाँ जा रहे हो?''

''दुकान''

''तुम्हें शायद नहीं पता आज गृहमंत्री आ रहा है सारी दुकानें बंद रखने का आर्डर है।''

गणेश शांत हो कर बैठ गया और टेलीविजन देखने लगा। गीता रसोई में काम करने लगी। उसका पुत्र प्रमोद घर पर नहीं था। गणेश टी.वी. चलता ही छोड़ कर घर के बाहर आ गया। दुकान तो आज बंद ही रहनी थी फिर भी गणेश दुकान की ओर चल पड़ा।

अचानक गणेश को लगा कि वह कहीं और आ गया। किन्तु यह तो वही सड़क है – पुलिस लाइन वाली। एक रात में इतनी बदल कैसे गयी। अचानक गणेश ने ध्यान दिया – सड़क चौड़ी हो गयी थी। सड़क के किनारे एक भी दुकान नहीं थी। रातोंरात सड़क चौड़ी कर दी गयी थी। गणेश दौड़ कर वहाँ गया जहाँ उसकी दुकान हुआ करती थी। सड़क से कुछ दूरी पर 'राहुल अह्टो पंचर सेंटर' का बोर्ड औंधा पड़ा था जिस पर रोमांटिक अभिनेता मुस्कुरा रहा था। कुछ दूरी पर गणेश का पुत्र प्रमोद दुकान के मलवे से सामान निकाल रहा था।

प्रमोद ने उदास स्वर में कहा – ''कल नगरपालिका वालों ने जरा भी टाइम नहीं दिया। बहुत मुश्किल से बस कम्प्रेशर ही हटा सका।''

''ऐसा कैसे कर सकते हैं ? क्या गरीब की रोजी रोटी की कोई औकात नहीं ? नगरपालिका वाले समझते क्या हैं अपने आपको ? मैं मुकदमा करूँगा। हाईकोर्ट- सुप्रीमकोर्ट तक घसीटूंगा इन सालों को।''- गणेश के नेत्रों से अश्रु बह रहे थें। उसकी आवाज में कम्पन, उत्तेजना, क्रोध वेदना का मिश्रण था जिसका उनलोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था जो गृहमंत्री श्यामसुन्दर शास्त्री का स्वागत करने खड़े थें। उनमें से एक ने कहा –''चचा ! अपना ड्रामा मंत्रीजी के जाने के बाद दिखा लेना।''

थोड़ी ही दूरी पर गणेश को वह अधिकारी उसे अपनी तरफ घूरता दिखा जिसने कल उसे थप्पड़ मारा था। गणेश सहम कर स्वागतकर्ताओं की भीड़ में छुप गया।

बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। सड़क पर अब न तो फुटपाथ था न ही उसे अतिक्रमित कर बनी दुकानें। मात्र एक बरगद का वृक्ष सड़क के किनारे सीना ताने अपनी विशाल बाहें फैलाये खड़ा था। इस तेज वर्षा में गृहमंत्री के स्वागत एवं दर्शन हेतु आग्रही भीड़ इसी वृक्ष के नीचे खड़ी थी। पता नहीं तीव्र वर्षा का प्रकोप था अथवा मन्त्री जी के आगमन के अवसर पर पुलिस बन्दोबस्त का प्रभाव कि थोड़ी ही देर में पूरी सड़क खाली हो गयी थी। बरगद

के वृक्ष के नीचे अपनी अपनी बात कहते लोगों की ध्वनि, जो कोलाहल का रूप ले चुकी थी, भी वर्षा की मोटी-मोटी बूंदो की तड़-तड़ ध्वनि के समक्ष बौनी सिद्ध हो रही थी। तभी आनन-फानन में सौ स्कूली बालिकाओं को, जिनके हाथ में पुष्पगुच्छ थें, सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया।

भीड़ में किसी ने कहा -''इतनी तेज बारिश में तो मन्त्री जी क्या ही आएंगे ? आएंगे तो भी देरी से। बेचारी बच्चियों को खामखाह में भींगने के लिये खड़ा कर दिया।''

तब तक भीड़ से ही किसी ने उत्तर दिया - ''अरे नहीं भाई ! मंत्री जी समय के बहुत पाबन्द है।''

इसी मध्य हूटर की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। भीड़ में आवाजें आने लगी -''सही बात है। मंत्री हो तो ऐसा। बिलकुल सही समय पर आ रहा है।''

पुलिस की गाड़ियां सड़क से गुजरने लगी थीं। गणेश अब भीड़ में सबसे आगे की पंक्ति में आ कर खड़ा हो गया था। उसने देखा कि एक काले रंग की बड़ी सी कार चली आ रही है। उसने अनुमान लगाया कि हो न हो मंत्री श्यामसुन्दर शास्त्री इसी गाड़ी में है।

अचानक तेज वर्षा हल्की फुल्की रिमझिम में रूपान्तरित हो गयी। मंत्री जी की कार भीड़ और पुष्पगुच्छ लिये बालिकाओं को देख कर मंद गति से चलने लगी।

तभी अचानक एक व्यक्ति मंत्री जी की गाड़ी के आगे कूद गया। खलबली मच गयी - कोहराम मच गया - हंगामा हो गया। पुलिस एवं प्रशासन के अफसरों की जान सूख गयी। यह व्यक्ति गणेश था।

पुलिस के सिपाही गणेश की तरफ दौड़ पड़े और गणेश को बूटों की ठोकरों से और थप्पड़ों से मारने लगे। वे उसे सड़क से हटा रहे थें। पर गणेश हट नहीं रहा था। वह चिल्ला रहा था - ''गरीब की रोजी रोटी छीन कर उसे जिन्दा रखने का क्या फायदा। मेरी दुकान तोड़ दी, मुझे भी जीप से कुचल कर मार दो मंत्री जी।''

पता नहीं कितना बल आ गया था दुबले पतले गणेश के शरीर में कि पुलिस के दस सिपाही भी उसे नियन्त्रित नहीं कर पा रहे थें। वे उसे मंत्री जी की गाडी से दूर हटाते, पर गणेश पुनः गाडी के सामने आ कर गिर पड़ता।

अचानक कार का दरवाजा खुला। स्वयं गृहमंत्री श्यामसुन्दर शास्त्री कार से बाहर निकले। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया पर वे रुके नहीं। सीधे गणेश के पास पहुँच गये।

गणेश भौचक्का था। मंत्रीजी ने गणेश से कहा -''मुझे पता है कि सड़क को चौड़ा करने के लिये गैरकानूनी दुकानें हटा दी गयी हैं। सम्पूर्ण देश प्रगति कर रहा है। क्या तुम देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दोगे ?''

गणेश बदहवास था। पुलिस अधिकारी उसके इर्दगिर्द खड़े थें, गृहमंत्री उसके सामने खड़ा था। उसके मुँह से शब्द निकले - ''अबे शामू ! तू ? मंत्री ?श्यामसुन्दर शास्त्री?''

गणेश के साथ उसके चोरी के धन्धे का एक समय का साथी एवं आज का गृहमंत्री श्यामसुन्दर शास्त्री उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने गणेश को गले लगाते हुए कहा - ''गणेश ! मेरे भाई !''

फिर मंत्रीजी ने वहाँ उपस्थित भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहा - ''हम दोनों दोस्त कभी एक साथ मेहनत मजदूरी किया करते थे। एकमात्र हमारी पार्टी ही है जहाँ एक गरीब मजदूर को भी गृहमंत्री बनने का अवसर सुलभ है। बाकी दूसरी पार्टियों में तो उन्हीं को पद मिल पाता है जो या तो पार्टी का संस्थापक हो अथवा उसकी संतान। मात्र हमारी पार्टी ही है जो जाति-धर्म की नहीं अपितु गरीब-किसान-मजदूर के हक की बात करती है। आखिर ये लोकतंत्र है !''

भीड़ नारे लगा रही थी - ''इण्डियन डेमोक्रेटिक पार्टी - जिन्दाबाद ! गृहमंत्री श्यामसुन्दर शास्त्री - जिन्दाबाद !''

श्यामसुन्दर शास्त्री अपनी गाड़ी में बैठे और समारोह स्थल पर चले गये।

अगले दिन के समाचारपत्रों में गृहमंत्री की गणेश को गले लगाते फोटो छपी थी। समाचारपत्रों ने शीर्षक लिखा था - ''सत्ता का झोपड़ी से मिलन।'' एक समाचारपत्र ने तो इस घटना पर ''कृष्ण-सुदामा'' शीर्षक से एक लेख भी प्रकाशित किया था जिसमें सूरत की किसी फैक्ट्री का उल्लेख था जहाँ गणेश एवं श्यामसुन्दर शास्त्री साथ-साथ कार्य किया करते थें।

दो दिन और बीतें। गणेश समझ नहीं पा रहा था कि शामू किस प्रकार श्यामसुन्दर शास्त्री बन गया। और क्या भाषा थी उसकी ? क्या शब्द बोल रहा था - अपितु, संस्थापक, संतान।
तभी गीता ने उससे कहा - ''जल्दी जा कर देखो, प्रमोद किसी पुलिस वाले से उलझा हुआ है।''
गणेश ने घबराते हुए पूछा - ''कहाँ?''
गीता -''वहीं दुकान वाली जगह पर।''
गणेश भागता हुआ वहीं पहुँचा। वहाँ का दृश्य देखते ही उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गयी। प्रमोद के समीप वहीं अधिकारी खड़ा था जिसने गणेश को थप्पड़ मार कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
गणेश अधिकारी के पैर पकड़ने चला ताकि वह प्रमोद को क्षमा कर दे।
किन्तु यह क्या ? उस अधिकारी ने तपाक से गणेश के चरण स्पर्श किये और कहा - ''अंकल प्रणाम ! मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि दुकान थोड़ी सी पीछे कर लें नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर रहेगा।''
प्रमोद ने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया और कहने लगा - ''साहब इस दुकान पर गरीब और मजदूर अपनी साइकिल में हवा भरवाने आते हैं। आप क्या चाहते हैं कि उन्हें तकलीफ हो। एक काम करता हूँ - शामू चाचा से आपकी बात करा ही देता हूँ।''
अधिकारी घबरा गया - ''नहीं - नहीं ! मंत्री जो को क्यों डिस्टर्ब करते हैं। जैसा ठीक लगे आप कर लीजियेगा। कोई परेशानी हो तो सीधे मुझसे बात कर लीजियेगा।''
अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठ कर जाने लगा। जाते-जाते उसने गणेश से कहा - ''अंकल ! उस दिन की गुस्ताखी के लिये माफ कर दीजियेगा। मंत्री जी से शिकायत मत करियेगा।''
अधिकारी चला गया।
गणेश ने प्रमोद से कहा - ''क्या तेरे पास शामू का फोन नंबर है ?''
प्रमोद ने कहा - ''पापा कब समझोगे आप? मंत्री के दोस्त रुतबे के लिये जरूरी नहीं है कि मंत्री के दोस्त के पास मंत्री का नंबर हो। जब मोबाइल हवा में लहरा कर ही काम चल जाता हो तो नंबर की जरूरत ही क्या। मम्मी ने मुझे आपके और शामू चाचा के सारे किस्से सुनाये हुए हैं। जब शामू गृहमंत्री श्यामसुन्दर शास्त्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं 'राहुल आटो पंचर सेंटर' की जगह राहुल टू-व्हीलर हास्पिटल खोल सकते हैं? लोकतंत्र सिर्फ शामू चाचा के लिये ही नहीं आया था बल्कि अब वो हमारे लिये भी आ चुका है। मैं तो समझ गया कि लोकतंत्र के समुन्दर में कैसे तैरना है। आप कब समझोगे।''
एक सप्ताह में ही सड़क किनारे दुकानों का जंगल फिर से उग आया। इसमें सबसे बड़ी दुकान थी 'राहुल टू-व्हीलर हास्पिटल' जो अपने पूर्ववर्ती प्रतिष्ठान 'राहुल आटो पंचर सेंटर' से पंद्रह फुट अधिक चौड़ी तथा दस फुट अधिक लम्बी थी और जिसका नया मालिक प्रमोद नवस्थापित पुलिस लाइन सड़क व्यापार मण्डल का संस्थापक एवं अध्यक्ष था।
सड़क का परिदृश्य अब पूरी तरह बदल गया था यहाँ तक कि गणेश की दुकान का बोर्ड भी जिस पर अब लिखा था 'राहुल टू-व्हीलर हास्पिटल - प्रो. प्रमोद'। किन्तु अभी भी कुछ ऐसा था जो नहीं बदला था - वह था बोर्ड पर रोमांटिक छवि वाला अभिनेता वाले अभिनेता का चेहरा जो गणेश की दुकान के बोर्ड पर अभी भी मुस्कुरा रहा था। भला क्यों न मुस्कुराता **– आखिर ये लोकतंत्र है !**

राजेश तिवारी
समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ

दे तसल्ली कोई

कोई जाता है यहाँ से न कोई आता है,
ये दीया अपने ही अँधेरे में घुट जाता है।

सब समझते हैं वही रात की किस्मत होगा,
जो सितारा बुलंदी पर नजर आता है।

मैं इसी खोज में बढ़ता ही चला जाता हूँ,
किसका आँचल है जो पर्बतों पर लहराता है।

मेरी आँखों में एक बादल का टुकड़ा शायद,
कोई मौसम हो सरे-शाम बरस जाता है।

दे तसल्ली कोई तो आँख छलक उठती है,
कोई समझाए तो दिल और भी भर आता है।

ये जो है हुक्म

ये जो है हुक्म मेरे पास न आये कोई,
इसलिए रूठ रहे हैं कि मनाये कोई।

ताक में है निगाह-ए-शौक खुदा खैर करे,
सामने से मेरे बचता हुआ जाए कोई।

हाल अफलाक-ओ-जमीन का जो बताया भी तो क्या,
बात वो है जो तेरे दिल की बताये कोई।

आपने दाग को मुँह भी न लगाया अफसोस,
उसको रखता था कलेजे से लगाये कोई।

हो चुका ऐश का जलसा तो मुझे खत भेजा,
आप की तरह से मेहमान बुलाये कोई।

सौरभ श्रीवास्तव
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, कासगंज
सम्बद्ध : मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
सदस्य संपादकीय समिति
उद्घोष ई-पत्रिका

ईद मुबारक

‘‘क्या बात है ? आज इतनी मायूस क्यों हो बेगम ?’’

‘‘कुछ नहीं जी । बस अपने चश्मों-चिराग की याद आ रही थी । आज वो होता तो हमारी भी ईद , ईद होती । वो साल भर चाहे जिस पोस्टिंग पे रहे लेकिन हर ईद पर हमेशा हमारे पास आ ही जाता था ।’’

‘‘जाने दो न नजमा उन पुराने जख्मों को क्यों खुरेद रही हो । छह महीने लग गए, मुझे ये यकीन करने में कि अब वो हमारे बीच नहीं है । लेकिन आज फिर तुमने उसकी बात करके जख्म ताजा कर दिये । न जाने वो नामुराद आतंकी अपने ही मुस्लिम भाई की जान लेके किस जन्नत की खोज में थे ।’’

‘‘चलो तुम रोवो नहीं । मुझे यकीन है कि वो आज भी हमारे आस पास ही है । और आज भी हमारे साथ ही ईद मनाएगा ।’’

‘‘ठीक है जी आप सेवैयाँ ले आइए । मैं दूध रख देती हूँ ।’’

‘‘वही जुम्मन वाली ले आता हूँ उसे वहीं की पसंद थी न ?’’

‘‘जी !’’

‘‘चलो फिर मैं अभी आता हूँ ।’’

’’’’

ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग......

‘‘अब ये दरवाजे पे कौन है ? ... जी आप कौन ?’’

‘‘आंटी जी नमस्ते । मैं अहमद का दोस्त हूँ, अर्जुन ।’’

‘‘अर्जुन ? कहीं तुम वो अर्जुन तो नहीं जिसके किस्से वो हर बार घर आने पे सुनाता था ?’’

‘‘हाँ आंटी जी । मैं वही अर्जुन हूँ और उसकी आखिरी पोस्टिंग पे, मैं भी उसी के साथ था ।’’

‘‘आओ आओ ! बेटा बैठो । पर अहमद तो बताता था कि तुम इंदौर के हो फिर यहाँ लखनऊ ? कोई जरूरी काम से आये थे क्या ?’’

‘‘हाँ आंटी । एक बहुत जरूरी काम से आया था और शायद हर साल आना पड़े ।‘‘

‘‘अच्छा ! कोई बात नहीं बेटा, तुम जरा भी परेशान मत होना तुमको जब भी आना हो बेहिचक यहीं हमारे घर रुक जाना ।’’

‘‘अरे बेगम ! आज के दिन ये हमारे यहाँ मेहमान कौन है भई ?’’

‘‘नमस्ते अंकल । मैं अर्जुन हूं ।...’’

‘‘ अजी ! ये वही अर्जुन है जिसके किस्से अहमद हमें बड़े चाव से सुनाया करता था । बेचारा किसी काम से लखनऊ आया था तो हमसे मिलने चला आया ।’’

''अच्छा-अच्छा। बहुत बढ़िया किया तुमने बेटे जो आ गए। लो बेगम सेवैयाँ तैयार करो भई। भूखा भी होगा ये ।''

कुछ देर बाद डिनर टेबल पर .....

''तो बेटा सेवैयाँ कैसी लगी ?''

''बहुत अच्छी हैं आंटी ।''

''ये तो है बेटा कि तुम्हारे आने से हमारी ईद ईद हो गयी वरना हमने तो सोंचा था कि इस साल ईद न ही आये तो ही बेहतर होगा । ये तो इत्तेफाक अच्छा था जो तुम्हारा भी इसी बार लखनऊ आना हुआ ।''

''अरे ! ऐसे मत कहिए अंकल ,आज से आप मुझे अपना बेटा अहमद ही समझे और अब से ये इत्तेफाक नहीं होगा । साल भर कहीं भी रहूँ पर आपका ये बेटा ईद मनाने आपके पास जरूर आ जाया करेगा ।''

अब कुछ शब्द बाकी नहीं बचे थे जो अहमद के अम्मी-अब्बू बोल पाते । बस दो विपरीत भावों का संगम था उनके चेहरे पे, आँखों में आँसू थे और चेहरे पे झरझरी मुस्कान ।

अर्जुन उन दोनों की तरफ निहारता हुआ मन ही मन कुछ पल के लिए सरहद पर लड़ाई के समय अहमद के साथ बिताए समय मे खो गया -

''यार अहमद एक बात कहूँ ?''

''हाँ बोल अर्जुन ।

''मुझे आज बहुत डर लग रहा है यार ।''

''क्यूँ यार । फौजी हो के मौत से कैसा डर ?''

''यार मौत से नहीं डर रहा । बस ये डर लग रहा है कि मैं तो अकेला हूँ अपने माँ-बाप का , अगर मैं न रहा तो जो हर दीवाली वो मेरे साथ मनाते थे उन्हें अकेले ही मनाना पड़ेगा ।''

''हाँ ये बात तो तूने सही कही वैसे अकेला तो मैं भी हूँ घर में और हर साल मैं कहीं भी रहूँ ईद तो मैं भी अपने अम्मी-अब्बू के साथ ही मनाता हूँ ।''

''अच्छा तो चल आज एक वायदा करते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तू हर साल दीवाली मनाने मेरे घर जाएगा और भगवान न करे तुझे कुछ हुआ तो हर साल ईद मनाने मैं तेरे घर जाया करूँगा।''

दिनेश कुमार गुप्ता
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद

मै तो निकला हूं,शहर घूमने लेकिन
यहां कही कोई मिलता ही नहीं ।
ऐसा मंजर तेरे शहर का ऐ दोस्त
पहले तो कभी मैने देखा ही नहीं।।
कल की रात मैने बहती हवाओ से
गुफ्तगू की थी।
आज किससे करूंगा मुलाकात
कुछ पता ही नहीं।।
आज एक चांद अकेले ही
सफर पर है देखो।
उससे कोई बेअदबी न कर दे
इस बात का डर ही नहीं।।
अब तो लगता है बहारें भी
लौट जाएंगी घर को अपने।
वरना इस बियाबान में खुदकुशी कर ले
ऐसा लगता तो नहीं ।।
इन हालात में मेरे प्यार की
उसमें तड़प कैसी होगी ''शैलेंद्र''।
ये तो मैं बस सोंच रहा हूं
ऐसा लगता तो नहीं ।।

शैलेन्द्र कुमार चौधरी
सेवानिवृत पेशकार
जनपद न्यायालय, उन्नाव

एक चाँद अधूरा था कुछ बात अधूरी थी

एक रात न पूरा था, हर ख्वाब अधूरा था
बेचैन थे मिलने को वो, हर सांस अधूरा था,
आंखों में काजल था झुल्फों में बादल था,
फिर भी न जाने क्यों श्रृंगार अधूरा था,
एक चाँद अधूरा था कुछ बात अधूरी थी,
बेचौन थे मिलने को वो, हर सांस अधूरा था,
जो गीत बनाये थे हमने, संगीत सजाये थे हमने
वो साज अधूरा था, एक राग अधूरा था,
यूँ तो लबों पर उनके सुबह की लाली थी,
सौ रंग संजोये वो, फूलों की डाली थी,
फिर भी न जाने क्यों मधुमास अधूरा था,
कुछ वो अधूरे थे, कुछ हम अधूरे थे,
बेचौन थे मिलने को वो, हर सांस अधूरा था,
एक चांद अधूरा था कुछ बात अधूरी थी.......

विवेक कुमार
प्रधान सहायक
जनपद न्यायालय, अमेठी
सम्बद्ध : मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

चंद पंक्तियाँ इलाहाबाद वालों की नजर से

महादेवी की विरासत और बच्चन की मधुशाला !
धर्मवीर की कहानियाँ और कालजयी निराला !!
तहजीब गंगा-जमुनी और तबियत फिराक वाला !
कंपनी बाग की सैर और लोकनाथ का शिवाला !!
महफिल में बहस और काफी हाउस का प्याला !
अमरुद की खुशबु और एलचिको का निवाला !!
दशहरे का मेला और होली हुडदंग चौक वाला !
सीनेटहाल की घड़ी और पुराने किले का हवाला !!
ईद की सिवइयां और गड्डा दीपावली वाला !
बकैती की कला और रसगुल्ला देहाती वाला !!
लक्ष्मी टाकिज की चाय और मेला माघ वाला !
गया - गोकुल का कपडा और हरी समोसे वाला !!
सरस्वती घाट की शाम और मुँह में पान मसाला !!
मातादीन की गजक और पारक हाथी वाला !
यमुना का नया पुल और रास्ता अरैल वाला !!
दारागंज की गलियाँ और सिनेमा पैलेस वाला !
ईसीसी की ईमारत और अक्सर कहना अब्बे साला !!
ना जाने कितनी गिफ्ट-रैप हसीन यादे संग लिए भटकता है दूर
सफर पर निकला हर इलाहाबाद वाला !!
सभी इलाहाबादियों को समर्पित....

मोहम्मद शकील
सेशन कर्लक
जनपद न्यायालय, ऐटा

"माता की ममता" क्या?

अभिनव तिवारी
जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ

क्या धरती का उपहार है तू।
क्या वसुधा का अभिमान है तू।।

क्या तुझे गरज है सेवा की?
क्या तुझे फर्क है दुनिया की?
क्यों भूख का है आभास तुझे?
क्यों दर्द का है एहसास तुझे?

क्यों करती है तू लाड मुझे?
क्यों कहती है तू लाल मुझे?
हाँ, हूं उपहार मैं धरती का।
अभिमान नही वरदान हूँ मैं।

मुझे गरज नही है सेवा की।
सेवा की ही तो जननी मैं।
मुझे फर्क नही है दुनिया की।
दुनिया तो मुझसे चलती है।

तेरी भूख नही मेरी भूख है वो।
तेरा दर्द नही मेरी पीर है वो।
तू रक्त मेरा, मेरा माँस है तू।
इस कारण कहती हूं लाल तुझे।

तू खुद का न, मेरे खुद का तू।
इस कारण करती हूँ लाड तुझे।
ममता का है वरदान मुझे।
इस कारण करती हूँ प्यार तुम्हें।।

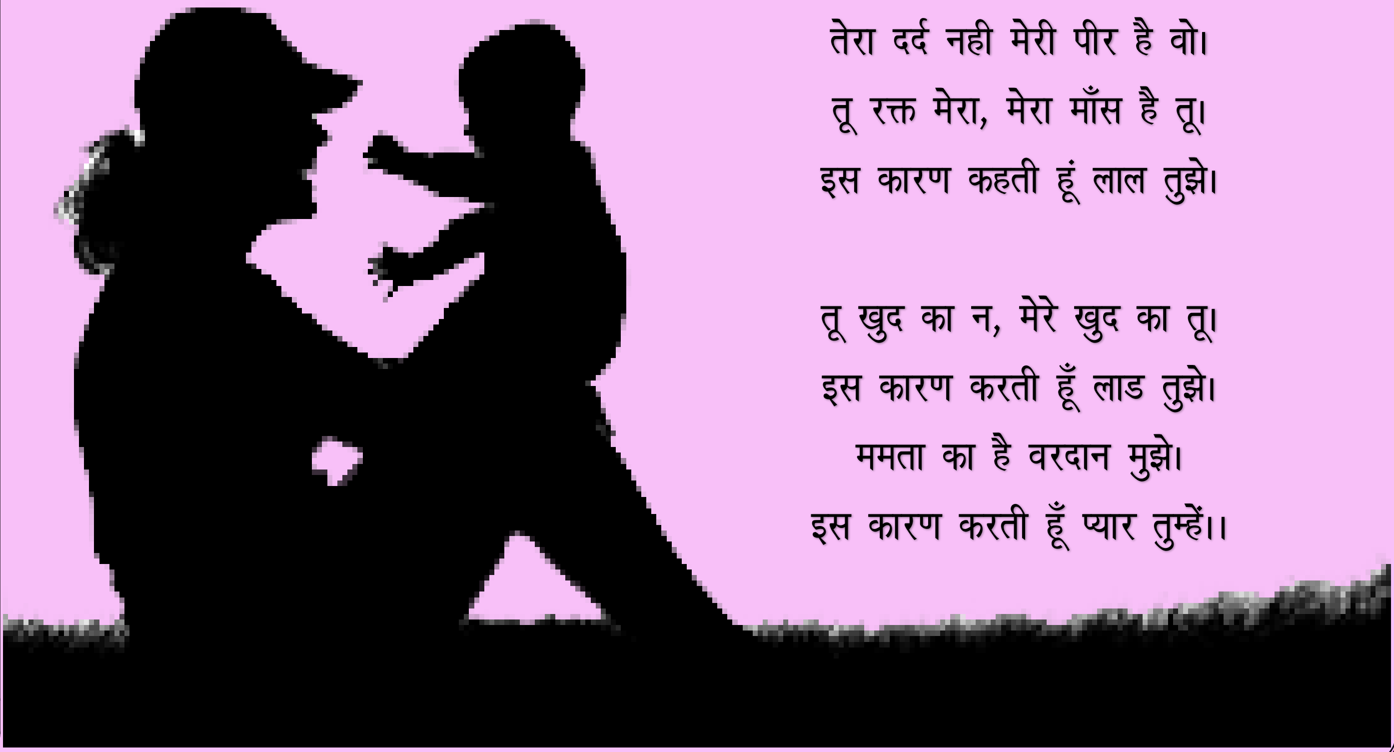

"आज की नारी"

जिसके सर पर घर की हो सारी जिम्मेदारी,
वह है आज की नारी।
घर हो या आफिस, है वह सब पर भारी,
वह है आज की नारी ।
हर गलती पर दे सबको जवाब करारी,
वह है आज कि नारी।
पारदर्शिता नई तकनीकें है उसको प्यारी,
हां हां वह है आज की नारी।
पोशाक पहने चाहे जींस या साड़ी, फिर भी वो है जनादेश आभारी,
वह है आज की नारी ।
हर रंग में चमकती है हर एक नारी चाहे गोरी हो या कारी,
वह है आज की नारी ।
हर ऊंचाइयों को छूने की है लगन ढेर सारी
वो तैयार हैं क्योंकि वो हैं आज की नारी,
हम हैं आज की नारी।।

स्नेहलता सिंह
वरिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय, उन्नाव
सम्बद्ध: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अंजली चन्द्रा
जनपद-मुरादाबाद

कयामत तक दौड़ो ये मौत का इशारा है,
जिंदगी अधूरी-सी पर जीवन सारा है।

चलना तो पड़ेगा रूककर क्या करोगे,
ठहरोगे, सोचोगे और फिर चल पड़ोगे।
कांटो की राह में फूलों के एहसास-सा,
कुछ दूर और है और फिर कुछ पास-सा।
कहीं पेड़, छाया, नदियों का किनारा है।
जिंदगी अधूरी-सी पर जीवन सारा है।

मंजिल तक पहुचेगें ये कौन जानता है,
फिर भी मंजिल को हसरत मानता है।
इंसान भी अबीज है रास्ते की ठोकर-सा।
जंगल के शेर-सा तो सर्कस के जोकर-सा।
स्वंय को भ्रम का एकमात्र सहारा है।
जिंदगी अधूरी सी पर जीवन सारा है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष

मैं हूँ अपनी एकमात्र पहचान,
पूरे करती अब मैं अपने अरमान।
नहीं देखूँ अब मैं कोई सहारा,
मैनें खुद अपना नसीब सँवारा।

सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की उपलब्धियों एवं योगदान का जश्न मनाने के लिए कई विशेष कार्यक्रम, समारोह आदि का आयोजन किया गया। यह जानना जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते क्यों हैं-

अमेरिका के न्यूयार्क में वर्ष 1908 में करीब 15 हजार महिलाओं ने कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव, असमान वेतन और वोटिंग के अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था। इसके बाद वर्ष 1910 में एक जर्मन मार्क्सवादी सिद्धांतकार कार्यकर्ता और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली क्लारा जेटकिन ने महिला दिवस को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार दिया एवं विश्व भर में यह अपने- अपने तरीके से मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को वर्ष 1975 में मनाना शुरु किया। वर्तमान समय में इस वास्तविकता को जानें कि घर के कामकाज के साथ अब महिलाएं अन्य महत्वपूर्ण और चुनौती भरे क्षेत्रों में भी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं। जबकि, यहाँ तक का सफर तय करने के लिए महिलाओं को काफी मुश्किलों एवं संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन, महिलाओं ने ही ये साबित किया है कि वे हर कार्य को करने में सक्षम हैं।

राष्ट्र की प्रगति व सामाजिक स्वतन्त्रता में शिक्षित महिलाओं की भूमिका उतनी ही अहम है जितनी कि पुरूषों की। महान विद्वान स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है-

"दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है, जब तक कि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा। पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है।"

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

(अंजू सागर)
वाद लिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्ती

अपने इस व्यवहार जगत के समझो

सभी नियम अद्भुत हैं
गलती तो तारे करते हैं
पर बदनाम गगन होता है

ये अपनी संख्या के बल पर
हरदम हैं उत्पात मचाते
चंदा को अनुशासित रखते
औ हरदम हैं नाच नचाते

हर मंदिर के दरवाजे पर
पंडा और पुजारी बैठे
गल्ती तो इनकी रहती है
पर बदनाम हवन होता है

आज मिलावट की दुनियां में
कुछ भी शुद्ध नहीं होता है
बुद्धम शरणं मे जाने से
कोई बुद्ध नहीं होता है

अपराधी मानस को लेकर
हैं मानस की कथा बांचते
गल्ती मठाधीश करते हैं
पर बदनाम भजन होता है

स्वर्ण रेत की परिभाषा में
सबसे अधिक मिलावट होती
प्लास्टिक के फूलों से देखो
सबसे अधिक सजावट होती

ऊंची दूकानों मे फीके
पकवानों की कमी नहीं है
गल्ती स्वर्णकार करता है
पर बदनाम रतन होता है

यौवन की हर रूप राशि पर
जाने कितने नयन मचलते
अंधों के भी मन में जाने
कैसे कैसे सपन मचलते

सभी जानते सारे सपने
संचालित कैसे होते हैं
गल्ती तो मन की रहती है
पर बदनाम नयन होता है

–वियोगी

सर्ववेद चौबे
मुंसरिम
जिला एवं सत्र न्यायालय,
वाराणसी

पतझड़ देते है संदेशे

रंग गुलालों के मौसम ने
ढ़ेरों खुशियाँ लायी है ।
पतझड़ देते है संदेशे
फागुन की ऋतु आयी है।।
पेड़ों पर पत्तों के किसलय
कोंपल बन कर आयी है।
मनमोहक ऋतुराज यहाँ है
मादकता भी छायी है
आम्र के बौरों और महुआ का
गंध यहाँ खींच लायी है।
पतझड़ देते ....।

फाल्गुन के कोरे चुनर पर
मौसम ने रंग फेका है
तितली आयेंगी बगियन में
फूलों को अंदेशा है
मंगल गुंजन करते भौरें
गूँज उठी शहनाई है।
पतझड़................।

ऐपन थाप जब भाभी देती
शोख ननद के गालों पर
रंग उड़ेल कर भागे देवर
उलझे –बिखरे बालों पर
सबसे छोटकी देवरानी ने
पटक के रंग लगायी है
पतझड़................।

खेलूँगा मै राधा के संग
कृष्ण भी आस लगाये है
फाग हो ब्रज या बरसाने का
गोपी संग हर्षाये है।
ग्वाल –बाल सब ताल ठोकते
श्याम न वंशी बजायी है।
पतझड़................।

डॉ0 कुमार विनोद
प्रशासनिक कार्यालय
जिला एवं सत्र न्यायालय,
बलिया

जीवन में हर रोल को निभाता मैं एक कलाकार हूं,

खुश हूं अगर, तो मैं खुद में ही त्योहार हूं।

उदास हूं, तो मैं एक दुखद समाचार हूं।

अपने ही ताने-बाने में लगा मैं एक इंसान हूं।

भावनाओं के सागर में गोते लगाता एक पतवार हूं।

गंभीर मामलों में थोड़ा सा उलझा पर समझदार हूं।

आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों से लड़ने को तैयार हूं।

हां, मैं अपने परिवार की खुशियों का पहरेदार हूं।

कभी मां का लाडला तो कभी पत्नी का कदरदान हूं।

मस्ती के मूड में आ जाऊं तो मैं ही रविवार हूं।

मीठी बोली से सभी के लिए मैं वीणा की मधुर झंकार हूं।

जीवन के उतार-चढ़ाव को जो रंगीन बना दे, ऐसा मैं चित्रकार हूं।

मैं भी एक परिवार हूं

व

परिवार का किरदार हूं।

(लवकुश सरोज)
आशुलिपिक
जनपद न्यायालय, बहराईच

आज एक अजनबी से, मुलाकात हो गई
इशारों ही इशारों में, उससे बात हो गई
पूछा मैंने कौन हो देवी, कृपया अपना नाम बतायें
मुलाकात हमारी पहली है, एक दूसरे को जान जायें
क्योंकि आपको मैं तो, जानता ही नहीं
पहले भी कभी मिले हैं, मन मानता ही नहीं
वह बोली मन के झंझट, छोड़ मुझको पहचान लो
और जो मैं कहती हूँ, उसको ही सच मान लो
मेरा तुमसे सम्बन्ध तो, युगांतरों पुराना है
हर जीवनान्त् में मेरा आना, और तुम्हारा जाना है
मैं ही सत्य हूँ, इस भ्रमित जीवन का
हर जीव चर अचर, जन जन का
नाम सुनो मैं मौत हूँ
जिंदगी की मैं सौत हूँ
जिस जिंदगी पर तुम इतना इतराते हो
मेरा नाम सुनकर हो व्यथित घबराते हो
सिवा दुखों के क्या तुमने जिंदगी से पाया है
अनगिनत राहों में तुमको, इसने भटकाया है
हर पल पीड़ा देकर, इसने तुम्हे रुलाया है
बैरी तृष्णाओं को दे हवा, अतिशय भड़काया है
तृष्णा अपूर्ण रहने पर, क्रोध को उपजाया है
क्रोध की परिणति में, बुद्धि नाश कराया है
याद रखना एक दिन यह, तुम्हारा साथ छोड़ देगी
पुकारते रह जाओगे यह, तुमसे मुँह मोड़ लेगी
बेसहारा जब तुम्हें यह, जिंदगी छोड़ जायेगी
याद उस पल मुझको, तुम्हारी बहुत आयेगी
अवश्य उस पल मैं, करीब तुम्हारे आऊँगी
वादा है तुमको साथ, अपने लेकर जाऊँगी
आज मैं तुमको रहस्य, बतलाये जाती हूँ
जीवन का गूढ़ मंत्र, सिखलाये जाती हूँ
जीवन का मैं अन्त नहीं, आरम्भ हूँ
एक नये युग जीवन का, प्रारम्भ हूँ
वास्तव में जीवन तो जीना, उन्हीं को आता है
जो सामने देखकर भी मुझको, तनिक नहीं घबराता है
जो हँसकर मुझे गले लगाता है
निश्चय ही वह अमर लोक को पाता है
वह अमर लोक को पाता है....

(योगेश कुमार शर्मा)
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, मथुरा

पिता पुत्र की पहचान

कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं
वो उसके सपनों की जान होता है,
पिता सिर्फ पिता ही नहीं होता
पिता पुत्र की पहचान होता है।
प्यार करता है पुत्र से
उसके हक के लिए खड़ा होता है
पिता की ही छत्र छाया में
पुत्र धीरे-धीरे बड़ा होता है,
एक रिश्ते से बढ़कर वो
पुत्र का सम्मान होता है
पिता सिर्फ पिता ही नहीं होता
पिता पुत्र की पहचान होता है।
खुद घूमता है पैदल
पुत्र को कन्धों पर घुमाता है
कैसे जीना है इस दुनिया में
पिता ही तो ये सिखाता है,
जो किताबों से नहीं मिलता
ये वो ज्ञान होता है
पिता सिर्फ पिता ही नहीं होता
पिता पुत्र की पहचान होता है।
खुद सहता है तंगी
पुत्र के पूरे हर अरमान करता है
उसी के भविष्य की खातिर
अपना जीवन कुरबान करता है,
कितनी भी आयें तकलीफें

वो न कभी परेशान होता है
पिता सिर्फ पिता ही नहीं होता
पिता पुत्र की पहचान होता है।
जीवन की राहों में जब पुत्र
राह भटकता जाता है
बन गुरु पिता उसको तब
राह सही दिखलाता है,
दुखों से रखता दूर उसे
वो उसके चेहरे की मुस्कान होता है
पिता सिर्फ पिता ही नहीं होता
पिता पुत्र की पहचान होता है।
पिता पुत्र का मित्र
उसका सच्चा सखा होता है
उसके हाथों से ही उसका
सुनहरा कल लिखा होता है,
मानव के रूप में मिला हुआ
वो साक्षात् भगवान होता है
पिता सिर्फ पिता ही नहीं होता
पिता पुत्र की पहचान होता है।

शुभम जैन
शाखा अध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
शाखा-ललितपुर

सलाह

माँ–बाबा रेलगाड़ी से शाम को आने वाले थे। उनकी 5 बजे की रेलगाड़ी थी। मैं और मेरी बेटी रूही उन्हें लेने स्टेशन जा रहे थे। रूही अपने नाना–नानी से मिलने के लिए उतावली हो रहीं थी। बार–बार पूछ रही थी, कि "माँ अब कितनी दूर है स्टेशन ?" मैं उसकी उत्सुकता देखकर हँस दी। मैं मन–ही–मन थोड़ा घबरा रहीं थी कि कहीं माँ रूही को कुछ कह ना दें, तो फिर से वो उदास हो जाए या अपने प्यार के जवाब में प्यार ना पाकर उसका चेहरा मुर्झा ना जाए और वो मुझसे फिर से वही सवाल ना करने लगे कि "नानी मुझे पसन्द क्यूँ नहीं करती। मेरे बाकी दोस्तों के नाना–नानी तो उनके साथ खेलते हैं, उनके लिए चाकलेट लाते हैं पर मेरे नाना–नानी ऐसा क्यूँ नहीं करते।" अब मैं उस चार साल की बच्ची को कैसे समझाऊँ कि उसके नाना–नानी, खासतौर पर माँ उसे इसलिए पसंद नहीं करतीं क्यूंकि मैं उसे अनाथालय से गोद लेकर आयी हूँ। मेरे पति शाश्वत के इस दुनिया से जाने के बाद मैंने कभी भी शादी ना करने का निर्णय लिया था, सिंगल मदर बनने की ठान ली थी और माँ–बाबा की नाराजगी के बावजूद मैं सारी औपचारिकता पूरी करके रूही को घर ले आयी थी। और कहीं ना कहीं मेरी शादी ना करने के लिए माँ–बाबा रूही को जिम्मेदार ठहराते थे।

हम सब घर आ गए। रात के खाने के समय माँ–बाबा ने फिर से मेरी दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। और मेरा वही टका–सा जवाब सुनकर माँ–बाबा गुस्सा होकर अगले दिन की रेलगाड़ी से चले गए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक–ना–एक दिन माँ–बाबा रूही को जरूर अपनाएंगे।

माँ–बाबा के इस तरह से नाराज होकर जाने से मन बहुत उदास था। मैं शाम को रूही के साथ पार्क में गई। रूही बाकी बच्चों के साथ खेलने चली गयी और मैं बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते देखने लगी पर मन अब भी माँ–बाबा की चिंता में लगा था। समझती हूँ मैं, उन पर बनता सामाजिक दबाव, वो पड़ोसियों की घूरती निगाहें कि आप की बेटी शादी कब कर रही है, ये रूही किसकी बेटी है। ये सब केवल सवाल ना थे, कहीं–ना–कहीं ये मेरे चरित्र पर उठते प्रश्न भी थे, कि जरूर इसका कोई चक्कर होगा, आखिर पति को गए 6 साल हो गए और ना जाने किसकी बेटी को रख रखा है।

मैं इसी उधेड़–बुन में थी कि तभी सामने वाली बिल्डिंग की मिसेज शर्मा आकर मेरी बगल वाली बेंच पर बैठ गयीं। मैंने उनके हैलो का जवाब एक फिकी मुस्कान के साथ दिया। मिसेज शर्मा ने बात आगे शुरू की, "वो कामवाली बता रही थी कि आपके माँ–बाबा आए हुए थे, बड़ी जल्दी चले गए।" मैंने जवाब दिया, "हाँ, अचानक एक जरूरी काम आ जाने से उन्हें जाना पड़ा।" मिसेज शर्मा ने आगे बात जारी रखी, "एक बात बोलूँ, आप शादी क्यूं नहीं कर लेतीं, रूही को भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा, आपके माँ–बाबा भी खुश हो जायेंगे।"

मुझे कामवाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने मेरा घरेलू मामला अब सामाजिक मसला बना दिया था। मिसेज शर्मा ने आगे कहा, "आप तो जानती हैं कि बिल्डिंग में लोग तहर-तरह की बाते करते हैं, ऐसे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।" अब मेरे सब्र का बाँध टूट चुका था, फिर भी मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, "आपकी सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिसेज शर्मा। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, तभी कामवाली से सारी जानकारी समय-समय पर लेती रहती हैं। आपसे मुझे बस एक बात बतानी है कि ये जो सलाह होती है ना इसकी एक खास बात होती है। इसकी प्रकृति वैकल्पिक होती है, बाध्यकारी नहीं। इसको मानना या ना मानना सलाह लेने वाले पर निर्भर करता है। मेरे घर में दिलचस्पी दिखाने की बजाय अगर आप अपने पति और उनकी सेक्रेटरी में दिलचस्पी दिखाएंगी तो बेहतर होगा।" बस इतना सुनना था कि मिसेज शर्मा पैर पटकते हुए बड़बड़ाते हुए चली गईं, "आजकल किसी को सलाह देना भी गुनाह हो गया है। भलाई का तो जमाना ही ना रहा।"

रूही ने मिसेज शर्मा को गुस्से से जाते हुए देख लिया था, उसने मुझसे बड़ी मासूमियत से पूछा, "मम्मी ! आंटी ऐसे गुस्से से क्यूँ चली गयी?" मैनें जवाब दिया, "बेटा ! कभी-कभी आपकी चुप्पी दूसरों के लिए आपकी जिंदगी में दखलअंदाजी का मौका होता है, आपको उनको आईना दिखाना जरूरी होता है और साथ ही ये भी बताना कि आप अपनी जिंदगी के निर्णय लेने में सक्षम हैं।" रूही ने प्रश्नवाचक नजरों से मेरी ओर देखा, ये बड़ी-बड़ी बातें उस छोटी बच्ची के दिमाग में कहाँ आने वाली थीं। मैंने उससे कहा, "तुम ऐसे क्यों नहीं समझती जैसे कि मैंने आंटी की पसन्दीदा चाकलेट लाकर उन्हें नहीं दी तो वो गुब्बारे की तरह मुँह फुलाकर चली गईं।" इतना सुनकर रूही हँसने लगी और मैं भी उसकी खिलखिलाहट देखकर मुस्कुरा दी।

(निशा तिवारी)
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, कानपुर नगर

उठ देख उमंग तो उपवन की
तू क्यों थक हारे बैठा है।
बन गई सुमन का कलियां सारी
तू पंत निहारे बैठा है।

हो गई सुबह फिर उपवन में
खेल रहे पुष्प फिर मधुबन में
कर रहे भ्रमर फिर चंचलता
आ रही महक फिर उपवन में
कल तक थी जो रौनक इनमें
है आज भी वैसे का वैसा
उठ देख उमंग तू उपवन की
तू क्यों थकारे बैठा है।

(विष्णु कुमार शुक्ल)
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, संतकबीर नगर

कर तेज तू अपने प्रज्ञा को
जो पर्वत से भी भारी है
भर ले तू नई उमंगों को
अब फिर से तेरी बारी है
कर प्राप्त लक्ष्य को तू अपने
ना देख तू पीछे फिर मुड़कर
है मंजिल कुछ ही दूर पर
प्रज्ञा पर हारे बैठा है,
क्यों मन में व्याकुल कर बैठा है।
उठ देख उमंग तू उपवन की
तू क्यों थक हारे बैठा है।

न्यायिक सुधार की आवश्यकता क्यों ?

भारत के न्यायालयों में सुधार की माँग का लम्बा इतिहास रहा है, लेकिन ऐसे सुधारों को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) इनमें से एक रहा है, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी।

वर्तमान में न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण फिर से सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। निम्नलिखित समस्याएं हैं, जिस पर समाधान अविलंब आवश्यक है–

1- न्यायालय में लंबित मामले :–

सरकारी आंकड़ों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 58700, उच्च न्यायालय में करीब 44 लाख और निचली अदालतों में करीब ३ करोड़ मामले लंबित हैं। इनका मुख्य कारण न्यायालयों की कमी तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर भर्ती न होना है। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 18 न्यायाधीश हैं, जो कि विधि आयोग के आंकड़ों से बहुत निम्न हैं। जिसके अनुसार 10 लाख लोगों पर 50 जज होना चाहिए।

2- पारदर्शिता का अभाव :–

भारतीय संदर्भ में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक मुख्य समस्या पारदर्शिता का अभाव लंबे समय से रहा है। न्यायालयों में नियुक्ति, स्थानांतरण में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान में नियुक्ति प्रणाली कालेजियम में उच्चतम न्यायालय के संबंध में निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश समेत 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के संबंध में इनकी संख्या 3 है। इस प्रणाली की क्रियाविधि जटिल और अपारदर्शी होने के कारण सामान्य नागरिक की समझ से परे है। NJAC के माध्यम से इसमें सुधार का भी असफल प्रयास किया जा चुका है।

3- न्यायालयों में भ्रष्टाचार :–

सामान्य मानवीय हर जगह प्रयास करने के बाद अंततः वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, ताकि उसे न्याय मुहैया हो। लेकिन, यदि न्याय प्रदान करने वाला न्यायालय ही भ्रष्टाचार जैसे गहन आरोपों के दायरे में आ जाए तो एक सामान्य नागरिक न्याय कहाँ पा सकता है। यह मेरे ख्याल से विचारणीय प्रश्न है और इस पर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद हो या एपेक्स कोर्ट हो। इस पर बहस एक अनिवार्य पहलू है।

4- न्याय मिलने में देरी तथा विचाराधीन कैदियों की संख्या :–

"न्याय मे देरी, न्याय से वंचित होने के समान है" यह अंग्रेजी कहावत आज कहीं न कहीं भारत की न्यायिक व्यवस्था को संगर्भित करता है। आज भारत के न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लंबित मामले हैं। यही नहीं, इनमें से बहुत संख्या में विचाराधीन कैदी हैं, जिनको न्याय नहीं मिल सका है। ऐसी स्थिति न्याय की दृष्टि से अन्याय को जन्म देती है। इस स्थिति में त्वरित सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

मार्टिन लूथर किंग के एक वाक्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

वो कहते हैं कि– **"Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere"**

(सत्यम वर्मा)
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बस्ती

न डरा हूँ मैं,
इन चलती–फिरती लाशों से।
न डरा हूँ मैं,
इन राष्ट्र–विरोधी श्वासों से।।
न डरा हूँ मैं,
इन आती–जाती रातों से,
न डरा हूँ मैं,
इन जहर घोलती बातों से।।
न डरा हूँ मैं,
इन लश्कर–वश्कर जातों से।
न डरा हूँ मैं,

सुनील कुमार ''सौरभ''
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बाराबंकी

इन झुण्ड–झुण्ड औकातों से।।
मैं शिशु हूँ गाँधी नायक का,
मैं भक्त भगत अधिनायक का।
मैं रक्षक 'हिन्द' जवान का,
मैं तिलक हूँ तिलक महान का।।
बस धर्म मेरा है रक्षा ही,
मर जाऊँ चाहे कच्चा ही।
मैं प्राण त्याग तो सकता हूँ,
पर मैं भारत माता का,
अपमान नहीं सह सकता हूँ।
अपमान नहीं सह सकता हूँ।।

क्या होता ?

ये इंतजार न होता
तो क्या हो जाता
तुम्हारे बिन ये वक्त
कटता तो कटता कैसे
ये प्यार ना होता
तो क्या होता

वो बरसात के मौसम
धान के खेत
महुआ की महक
आम की बाग में
कोयल की कुहुक
ये दिल बेकरार न होता
तो क्या होता

वो बचपना
वो ख्वाहिशों का बखत
वो उसकी लहराती जुल्फें
उसके खूबसूरत नयन
मैं उनपे निसार न होता
तो क्या होता

कुछ भी तो मिलता नही
हाथ कुछ लगता नही
कभी हैं ख्वाब
कोई है कल्पना
कहीं कुछ हो जाने की चाह
ये सपना साकार न होता
तो क्या होता

कहीं है गम
कोई खुशी
कहीं व्यथा
कोई शाम हंसी
किसी से मेल
कहीं अनबन
प्यार की आस
कोई दूर
कोई पास
आखिर ये संसार न होता
तो क्या होता

कोई अकिंचन
कोई शहंशाह
किसी को मिली मंजिल
कोई खोजता है राह
कोई पथ के
कांटो से न डरता
कोई घर से ही न चलता
इस जीवन में सार न होता
तो क्या होता

सभी की दौड़ है
रोजी और रोटी की
सभी की अभीप्सा बस
सुकून और आराम की
ये दुनिया का कारोबार न होता
तो क्या होता

कहां है वो
जिसने श्रृष्टि
सृजित की है
कहां हैं हम
कौन है क्या
कौन किसका
ये मन का विचार न होता
तो क्या होता

कोई चेहरे का
उतारता अक्स
कोई खींचता है
नयन नक्श
कोई मूरत में
खोजता है उसे
कोई अंतस में
ताकता है उसे
कोई निस्सीम
मानता है उसे
कोई डोरी में
बांधता है उसे
सोचो वो निराकार न होता
तो क्या होता

मेरा ये मौन पूछता है
हमेशा मुझसे
तरंग जिंदगी की
उठती है तो गिरती
क्यों है
ये चढ़ाव- उतार न होता
तो क्या होता

ये इंतजार न होता
तो क्या हो जाता
तुम्हारे बिन ये वक्त
कटता तो कटता कैसे
ये प्यार ना होता
तो क्या होता

इन्द्रेश कुमार
लिपिक
जनपद न्यायालय, बहराईच

नमस्कार! ''उद्घघोष'' ई-पत्रिका के सम्पादकीय समिति, सभी कर्मचारीयों एवं सभी पाठकों को हसीं - खुशी के रंगो से भरे पावन त्योहार 'होली' और मर्यादा पुरूषोतम भगवान श्रीराम के जन्मदिवस 'रामनवमी' पर मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं अनेकानेक शुभकामनाएं।

''ये द्वंद्व चलता रहेगा''

नीरज मणि त्रिपाठी
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बस्ती

जब तक है जिंदगी, तेरा ये द्वंद्व चलता रहेगा।
कभी खुशी - कभी गम..
ये है जीवन के रंग..
इस रंग में तू हमेशा रंगता रहेगा।
जब तक है जिंदगी, तेरा ये द्वंद्व चलता रहेगा।
सदियों से चॉद और सुरज इस बात के गवाह है।
कि कुछ लोग खुश है, और लाखों तबाह है।
इस तबाही में भी, तू चंद सांसे, जीने के लिए लड़ता रहेगा।
जब तक है जिंदगी, तेरा ये द्वंद्व चलता रहेगा।
ये फूलों का बिस्तर नहीं, काटों भरा सफर है।
कितना भी चलो बच के लगती ठोकरों भरी डगर है
कभी तकदीर के प्रहार पे,
कभी अपने कर्म के हार पे, तू अपना हाथ मलता रहेगा।
जब तक है जिंदगी, तेरा ये द्वंद्व चलता रहेगा।
ये संघर्ष तो जीवन के शुरूआत से है,
कभी इस बात पे तो कभी उस बात पे है।
ये मत भुलना बिना सघर्ष जीवन अधुरा है,
सघर्ष में जो जी भर जीया उसी का जीवन पूरा है
जीवन का ये हकीकत तू किस किस से कहेगा,
ये जिन्दगी का सफर है यूहीं आगे बढ़ता रहेगा।
जब तक है जिंदगी, तेरा ये द्वंद्व चलता रहेगा।

"ना जाने कब इतने समझदार हो गए"

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो चांद में चांदनी और तारो में प्यार दिखने लगा,
वरना बचपन में बस चंदा मामा दिखते थे।

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो रोने के लिए कोना और
हंसने को तमीज जरूरत पड़ गई,
वरना बचपन में एक डांट में रो
और एक टाफी में हंस दिया करते थे।

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो मां ने नहलाना भी छोड़ दिया,
वरना बचपन में तो मां
मोजे से रगड़ के नहलाया करती थी।

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो बहनों की बाते समझने लगे और मानने लगे,
वरना बचपन में तो
बिना लड़े नींद नहीं आया करती थी।

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो अपने पराए की समझ आने लगी,
वरना बचपन में तो हर चीज
बिन मतलब ही मांग लिया करते थे।

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो टीचर की डांट अच्छी लगने लगी,
वरना बचपन में तो पीछे
खूब उल्टा-सीधा बोला करते थे।
ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो मां-बाप की डांट अब बुरी लगने लगी,
वरना बचपन में तो
रोने पर भी मां-मां चिल्लाते थे।

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो बिस्तर पर अकेला सोना सीख गए,
वरना बचपन में
मां के आंचल बिना नींद नहीं आती थी।

ना जाने कब इतने समझदार हो गए
जो अकेले सफर करना सीख गए,
वरना बचपन में तो सड़क भी
पापा की उंगली ही पार कराती थी।
नही रहना चाहता में अपनी उन यादों से दूर,
बस इतनी सी गुजारिश है'

लौटा दे मुझे मेरा भारी सा बस्ता,
ये समझदारी का बोझ मुझसे संभाला नही जाता मां।।'

सूरज कमल
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद

"न हम जानते हैं, न तुम जानते हो"

न हम जानते हैं, न तुम जानते हो,
चलो एक-दूजे को हम जानते हैं।

तुम्हारे ख्यालों में खोकर कसम से,
हुए कितना हम बेशरम मानते हैं।

ये नफरतों की दीवारें गिराकर,
मोहब्बत का अपना चमन मांगते हैं।

अभी बेखबर हूं शायरी के हुनर से,
मेरे दोस्त मुझसे गजल चाहते हैं।

'अनपढ़' तुझी से मुकम्मल जहां है,
तुझी को हम अपना खुदा मानते हैं।

नितेश कुमार 'अनपढ़'
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बाराबंकी

योगेश कुमार 'योगी'
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बदायूं

कहाँ हमारे ठाठ निराले हैं ।
हम तो एनपीएस वाले हैं।।

हमें कहाँ पुरानी पेंशन मिल पाती है।
पेंशन के नाम पर तनख्वा भी कट जाती है।
बुढ़ापे की लाठी टूटी सी नजर आती है।
अपनी तो गिनती एनपीएस में आती है।।
हम 2004 के बाद वाले हैं।
हम तो एनपीएस वाले हैं।।

अपना कहाँ सरकारी तिजोरी से रहा अब नाता है।
अपना तो पैसा शेयर बाजार में लग जाता है।
इनकम का तो पता नहीं पर टैक्स बहुत लग जाता है।
कटपिट कर गर बचे अंत में तब बन्दा पेंशन पाता है।
अपने दिन तो शेयर बाजार के हवाले हैं।
हम तो एनपीएस वाले हैं।।

बेसिक की 50 फीसदी पेंशन पाना एक सपना है।
जीपीएफ की सुविधा का मुश्किल अब मिलना है।
हर इनकम पर अब टैक्स भरना है।
शेयर बाजार के हवाले अब हाल अपना है।

हम

nps

वाले हैं

बेशक हम सरकारी नौकरी वाले हैं।
पर हम तो एनपीएस वाले हैं।।

रिटायरमेंट के बाद कहाँ मंहगाई भत्ता मिल पायेगा।
भत्ता तो छोड़ो ग्रेच्युटी भी कर्मचारी कहाँ पायेगा।
अपनी जमा पूँजी भी वो नहीं ले पायेगा।
शेयर बाजार से जो बचेगा बन्दा अब वही पायेगा।
इस रिस्क से अब कहाँ बचने वाले हैं।
हम तो एनपीएस वाले हैं।।

जीपीएफ से हमारी दूरी है।
अब तो देना टैक्स मजबूरी है।
मेडिकल की सुविधा भी अधुरी है।
फिर भी एनपीएस में शामिल होना जरुरी है।
इस बोझ को ढो रहे हम बड़े दिलवाले हैं।।
हम एनपीएस वाले हैं।
कहाँ हमारे ठाठ निराले हैं।।

मारुति
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, वाराणसी

मै भी मिट्टी हो जाऊँ,
और तुम भी पानी हो जाओ,
मै सनकर तुममें मिल जाऊँ,
तुम घुलकर मिट्टी मे खो जाओ
उपर बैठे कुम्हार कृपा से,
आकृति तू अपनी,मै खुद की पाऊँ,
मै भी मूरत हो जाऊँ
और तुम भी सूरत हो जाओ
मै भी गुड्डा हो जाऊँ,
और तुम भी गुड्डी हो जाओ,
मै जब जब तेरे सामने आऊँ
तब तुम भी सामने आ जाओ,
जब तेरे नैना, मेरी आँखें,
टिक जाए एक दूसरे पर,
मै भी तुझमें खो जाऊँ
और तुम भी मुझमें खो जाओ
मै भी मिट्टी हो जाऊँ
तुम माटी की मूरत हो जाओ
मै भी जमी पर जमा रहूँ
और तुम भी वही जकड़ जाओ,
मै भी वही ठहर जाऊँ
और तुम भी वही पर रुक जाओ,
मै भी मिट्टी हो जाऊँ
और तुम भी पानी हो जाओ
मै भी बुड्ढा हो जाऊँ
और तुम भी बुड्ढी हो जाओ
समय अगर तुम्हें खंडित कर दे
मै भी खंडित हो जाऊँ
फिर मै भी मिट्टी हो जाऊँ
और तुम भी पानी हो जाओ।।

AJAB nps Ki Ghazab Kahani

गजब हो गया इस चुनाव में, एक ओ.पी.एस. विरोधी मर गया ओ.पी.एस. का विरोध करते–करते। मुसीबत भारी क्या–क्या बताये, जॉच करने जज साहब न्यायालय में आये। उन्होंने पूॅछा क्या किसी ने इन्हें पीटा या करंट लगाया था, तब सभी कर्मचारियों ने कहा नहीं साहब न तो इन्हें किसी ने पीटा था न ही करंट लगाया था, मगर जज साहब, अभिषेक यादव ने सारा दिन इन्हें ओ.पी.एस. के फायदे गिनाये थे। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया ओ.पी.एस. विरोधी, यह इनके ओ.पी.एस. के फायदे गिनाने का प्रकोप है। जज साहब ने कहा तुम्हें फॉसी का दण्ड मिलेगा, बहुत गिनाते हो ओ.पी.एस. के फायदे सब का मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूॅ और हुजूर अगर बुरा न माने तो ओ.पी.एस. के फायदे आज हम आप को गिनाना चाहता हूॅ। मेरी बात सुनकर जज साहब ने कहा तेरी बात सुनकर मुझे एक नया जोश नजर आता है और फायदे–ओयदे रहने दे मेरे बच्चे तू मुझे निर्दोष नजर आता है।

अभिषेक कुमार यादव
आशुलिपिक
जनपद न्यायालय, झांसी

'न्यायिक कर्मचारी की समस्या व संघर्ष'

दुनिया मे हर इंसान की दुख समस्या वाद विवाद के समाधान हेतु न्यायालय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य हर किसी को न्याय देना था, प्राचीन काल से आज तक सारे विवादों का समाधान न्यायिक रूप से ही सरलता और सुगमता से संभव है। हर देश की तरह हमारे देश मे भी न्याय देने के लिए विभिन्न तरह की न्यायालय कार्य कर रही है, जिसका एक मात्र उद्देश्य है कि सभी को न्याय मिल सके।
इस न्यायिक प्रकिया में सारे न्यायिक कार्यो को सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी वहाँ के न्यायिक कर्मचारियों की होती है, कर्मचारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व जिम्मेदार पक्ष है सम्पूर्ण न्यायिक प्रकिया में सबसे जायदा जिम्मेदारी किसी की है तो वो है कर्मचारी, चाहे फाइलो का रख रखाव हो, चाहे न्यायिक प्रकिया में अधिकारियों के न्यायिक आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सबकी जिम्मेदारी कर्मचारी की ही है। आज के समय मे सबसे जायदा समस्या से ग्रस्त भी न्यायिक कर्मचारी ही है, जिसकी समस्याओं का विगत कई वर्षों से कोई भी समाधान नही हुआ, समस्याओं से झुँझते हुए भी बड़े संघर्षो व ईमानदारी से वो निरंतर अपने कर्तव्यों का नित्य निर्वाहन करता चला आ रहा है और आगे भी निरंतर करता रहेगा। कार्य की अधिकता और अत्याधिक फाइलो के बोझ के कारण न तो अपने पूरे आकस्मिक अवकाश का और न ही अर्जित अवकाश का उपभोग कर पाता है।

न्यायालय एक ऐसी जगह जहाँ कभी कार्य न तो कम होता है और न ही खत्म होता है, वक्त के साथ साथ कार्यो की दिन प्रतिदिन अधिकता ही होती जा रही है, जहाँ पहले कर्मचारी सिर्फ न्यायिक कार्यो में ही पूरे समय व्यस्त रहते थे अब उन्हें समय समय पर विभिन्न विभिन्न सूचनाओं का भी विवरण भी तैयार करके देना पड़ता है, अधीनस्थ न्यायालय का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, पर अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की समस्या जस की तस बनी हुई है, न तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों के संबंध में कोई सोचता है और न ही कर्मचारियों की कम संख्या के बारे में कोई सोचता है।

अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियो के वेतन और भत्तों को लेकर शेट्टी आयोग की सिफारिशें आज तक पूर्णता लागू नही हो पाने से कर्मचारियों के वेतन संबंधित दोष को आज तक दूर नही किया जा सका है साथ साथ न्यायालय कार्यो की अधिकता को देखते हुए वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में कार्य के अनुपात में कर्मचारियों की कम संख्या भी बहुत बड़ी समस्या है, पूर्व में के. एल. शर्मा की सिफारिशों को आज तक अधीनस्थ न्यायालय में लागू न होने से कर्मचारियों पर कार्यो की अधिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, सीमित संख्या में पद होने से एक-एक कर्मचारी पर अधिक फाइलो और कार्यो का बोझ हो गया है।फाइलो के बोझ तले कर्मचारियों की पूरी जिंदगी गुजर जा रही है, पर समाधान कोई नही। अधीनस्थ न्यायालय में पदोन्नति के अवसर भी बहुत सीमित है तथा कुछ ऐसे अनुभाग है जहाँ आज तक कोई पद निर्धारित नही होने से उस अनुभाग का कार्य भी अतिरिक्त रूप से एक ही कर्मचारी को देखना पड़ता है।

अधीनस्थ न्यायालय कर्मी निरंतर आर्थिक और मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है, कर्मचारियों की कम संख्या होने के कारण अपनी ही छुट्टी जल्दी नही मिल पाती तथा जिले से अत्याधिक दूर नियुक्ति मिलने से और ट्रांसफर की कोई उपयुक्त व्यवस्था नही होने से भी कर्मचारी निरंतर मानसिक तनाव में रहता है।

न्यायिक कर्मचारियों के हितों में शेट्टी कमीशन व के एल शर्मा की सिफारिशों का लागू होना अतिआवश्यक है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक व मानसिक लाभ मिल सके, साथ-साथ कार्य की अधिकता से भी कर्मचारी को कुछ राहत मिल सके। इन सबके अतिरिक्त न्यायिक कर्मचारियों की विभागीय समस्याओं का समाधान भी समय से न होना ये भी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है।

न्यायिक कर्मचारियो के लिए सबसे बड़ी एक समस्या ये भी होती है जब विभाग की तरफ से ही उससे कहा जाता है कि फला नियम हमारे लिए नही , जिससे कर्मचारियो को फायदा होना हो वो नियम हमारे लिए नही ये कह कर हमारी बातों का खारिज कर दिया जाता है और कोई भी इसमे साथ देने वाला दूर दूर तक नजर नही आता है।

वर्षों से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की समस्या से कर्मचारी ग्रस्त है पर कोई उचित समाधान न होने से कर्मचारियों को अत्याधिक मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। न्यायालय कार्यो में कंप्यूटर की भी भूमिका जग जाहिर है, पर स्टाफ की सीमित संख्या होने से और कंप्यूटर कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ न होने से भी कार्य की अधिकता बन गयी है।

कर्मचारियों की सीमित संख्या, कम वेतन व कोई भत्ता न मिलना , कर्मचारियो की समस्याओं का समय से निस्तारण न होना व पदौन्नति के सीमित अवसर, अधिकतर अनुभागों के लिए पद ही स्वीकृत न होना ये सब अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की सबसे गंभीर समस्याएं है, जिनका निस्तारण कब होगा शायद ही कोई जानता हो, हम कर्मचारियो की समस्या को लेकर शायद ही कोई गंभीर हो या हमारी समस्या का कोई समाधान हो।

यह लेख लिखने का उद्देश्य हम अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं से सबको अवगत करवाना है, क्युकी पत्रिका को पढ़ने वाले कुछ शायद हमारी समस्या से अपरिचित भी हो सकते है।

’हम कर्मचारी है....हम कर्मचारी है...’

’कोई सुनता नही बात हमारी है...’

’हम कोई दूसरी दुनिया से आये नही’

’हम सब अपने ही है हम सब पराये नही’

’हमारी समस्याओं का कोई हल निकलता नही’

’कोई भी कुय हमारी बात करता नही’

’मानसिक और आर्थिक समस्याओं से दो चार है’

’कोई सुनता और समझता नही बात हमारी’

’हम कर्मचारी है...हम कर्मचारी है।’

वसीम अहमद
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, हमीरपुर
सम्बद्धः मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

यार दोस्त विछड़ गये सारे,

वे जो कभी शान हुआ करते थे।

शान क्या सातो जान, हुआ करते थे।

जिनके साथ रहने से महफिल आबाद रहती थी।।

जिनके साथ अच्छी जिन्दगी भी,

मजे से बरबाद होती थी।

वो दोस्त जो परवाह नहीं करते थे,

वो दोस्त जो हमेशा साथ देते थे।

बन न जाने कहां बिछड़ गये,

मोबाइल के नम्बर मे ंसेव है यार,

पर बात नही करते यार,

यारो आओ बैठते हैं,

फिर से मिलकर क्युं पुरानी यादों को सजाते हैं

पुराने लम्हे में फिर से जी लेते हैं।

आशुतोष कुमार कटियार
रेलवे कोर्ट
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद

रंगोली होली

रंग बिरंगे मौसम के संग आया ये त्योहार
खुशियों के संग में लाया रंगो की बौछार

इक दूजे के रंग लगाओ
गले मिलो और झूमो गाओ
भुला के सारे शिकवे-गिले
मन के सारे मैल मिटाओ
हरे-लाल और नीले-पीले
सारे बच्चे हुए रंग रंगीले
भाभी को भी कर दो लाल
हर चेहरे पर रंगो गुलाल

भर भर के पिचकारी लाओ
कोई ना बच के जाने पाए
गोलू, मोलू सबको बिठाओ
मीठी-मीठी गुझिया खिलाओ
गले मिलो और झूमो गाओ
इक दूजे को रंग लगाओ

नगेन्द्र कुमार जायसवाल
जनपद न्यायालय, सीतापुर

वह बुक ही क्या, जो आदत न बदले

विदेशियों की सोंच हम जैसी प्रगतिशील हो ही नहीं सकती, इतनी मेहनत के बाद जब दुनिया की अद्वितीय किताब ‘‘फेसबुक’’ महाप्रसिद्ध हो गई, तो अब उसका अपना ही एक बंदा कह रहा है कि इसकी वजह से समाज और लोकतन्त्र को नुकसान हो रहा है। मुझे पूरा यह जमाना फेस वैल्यू का है। फेस से जुड़ा मेकअप प्रभात मुस्कराहट और हाव-भाव कैसे कर सकते हैं ?

इस दुनिया में अब कोई भी अपना व्यवसाय हानि उठाने के लिए तो करेगा नहीं। कुछ भी करके अपने फेस वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी, फिर वह किताब ही क्या जो इंसान की आदते, उसकी दिलचस्पियां और उसके रास्ते न बदल सके। नई फेस वैल्यू ने तो पुराने रिश्तों का भी नवीनीकरण कर दिया है। नए पाठ पढ़ा दिए, बचपन का सामान्य ज्ञान महका दिया, अपनी उम्र बड़े मामले निपटाने का प्रशिक्षण दिया। दोस्ती की नई परिभाषा गढ़नी लिखा दी। लोकतंत्र को इतना विकसित, मजबूत और स्वतंत्र बना दिया कि बिना अस्त्र शस्त्र के सिर्फ जबान से जंग लड़ना सिखा दिया। अब प्रतिस्पर्धा में थोड़ा भेदभाव, झूठ और आपसी ईर्ष्या तो जग उठी है।

इंसान को हमेशा से मार्गदर्शन की जरूरत रही है, जो उसकी जीवन-दशा बदल दे, उसकी सोंच, विचार, आचरण व भावनाएं प्रभावित कर दे और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी फेस वैल्यू लिफ्ट करा दे। ऐसा होता रहा तो इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा औश्र लोगों का साथ दे पाएगा।

फेसबुक कभी ‘फेसऑफ’ भी हो जाए तो दुनिया नुकसान उठाना सीखने के साथ-साथ परंपराओं के निमित्त सामाजिक होना भी पुनः सीख जाएगी, जो उसकी जिंदगी का असली मूल्य बन जाएगा।

सचिन शर्मा
सत्र लिपिक
विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट
अनन्य, जौनपुर

बेटी की विदाई

कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का।
हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का।।
बेटी के उस कातर स्वर ने, बाबुल को झकझोर दिया।
पूंछ रही थी पापा तुमने, क्या सचमुच में छोड़ दिया।।
अपने आंगन की फुलवारी, मुझको सदा कहा तुमने।
मेरे रोने को पल भर भी, बिल्कुल नहीं सहा तुमने।।
क्या इस आंगन के कोने में, मेरा कुछ स्थान नहीं ?
अब मेरे रोने पर पापा, तुमको बिल्कुल ध्यान नही।।
देखो अन्तिम बार देहरी, लोग मुझे पुजवाते हैं।
आकर के पापा क्यों इनको, आप नहीं धमकाते हैं।।
नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं।
ऐसा भी क्या निष्ठुरता है, कोई आता पास नहीं।।

साजिद अली
जिला एवं सत्र न्यायालय
वाराणसी

बेटी की बातों को सुन कर, पिता नहीं रह सका खड़ा।
उमड़ पड़े आंखो से आसु, बदहवास सा दौड़ पड़ा।।
कातर बछिया सी वह बेटी, लिपट पिता से रोती थी।
जैसे यादो के अक्ष रवह, अश्रु बिंदु से धोती थी।।
मां को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला।
फूल सभी घर की फुलवारी से कोई ज्यो बीन चला।।
छोटा भाई भी कोने में, बैठा–बैठा सुबक रहा
उसको कौन करेगा चुप अब, वह कोने में दुबक रहा।।
बेटी के जाने पर घर ने, जाने क्या खोया है।
कभी न रोने वाला बाप, फूट–फूट कर रोया है।।

पुरानी पेंशन

वर्तमान समय में पेंशन राज्य कर्मियों से जुड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। मूलभूत रूप से सरकारी सेवा का बड़ा आकर्षण पेंशन योजना ही हुआ करता था, जिसको आज हम पुरानी पेंशन योजना कहते हैं। वास्तविक रूप में पेंशन योजना वही है क्योंकि इसमें सरकारी राज्य कर्मी की सेवानिवृत्ति मृत्यु के उपरांत उसके आश्रितों को सरकार की ओर से एक निश्चित धन राशि प्राप्त कराए जाने की व्यवस्था थी।

यह निश्चित रूप से सरकार का उत्तरदायित्व हुआ करता था साथ ही महंगाई बढ़ने पर नवीन वेतन आयोग आने पर कर्मचारियों की उम्र बढ़ने पर एक निश्चित वेतन बढ़ोतरी का आश्वासन भी सरकार का उत्तरदायित्व था। इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए शासकीय सेवकों को किसी भी प्रकार का अभिदान नहीं करना होता था। साथ ही शासकीय सेवकों द्वारा किए गए वर्षों एवं वर्षों में प्राप्त प्रोनत्तियों वेतन वृद्धि यों के आधार पर बढ़े हुए वेतन का 50% धन राशि तथा उस पर देय महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में दिए जाने की गारंटी पुरानी पेंशन योजना में अंतर्निहित थी। मूलभूत रूप से पेंशन की आज अन्य जो योजनाएं हैं वह चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांगता पेंशन हो विधवा पेंशन हो अथवा अन्य किसी प्रकार की पेंशन हो उसमें राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अंशदान पेंशन प्राप्त करने वालों से नहीं लिया जाता था। दिनांक 1-4-2005 से सरकार ने नवीन पेंशन योजना नाम की एक बचत योजना लागू की जिसमें शासकीय सेवकों को अपनी बचत के आधार पर पेंशन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी, साथ ही इस धनराशि को शेयर मार्केट में लगाकर उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली धनराशि को अव्यवस्थित एवं अनिश्चित कर दिया। इस प्रकार या राज्य सरकार की जिम्मेदारी से उठते हुए बाजार का विषय हो गई। किसी भी कार्मिक की पूरी सेवा के उपरांत उसकी वृद्धावस्था कभी बाजार की झोपड़ियों के अधीन नहीं हुआ करती लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मनमाने तरीके से नवीन योजना को लागू करके कर्मचारियों की वृद्धावस्था एवं उसके आश्रितों को बाजार की झोपड़ियों के अधीन धकेल दिया गया, जो निश्चित रूप से संवैधानिक कल्याणकारी राज्यों के मूल्यों के अंतर्निहित नहीं आता है। शासन द्वारा एक तरफ जहां माननीय सांसदों,माननीय विधायकों,माननीय विधान परिषद सदस्यों को मल्टीपल पेंशन योजना प्रदान की जा रही है। जिसमें किसी भी प्रकार की बचत उनके द्वारा किया जाना अंतर्निहित नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ शासकीय सेवकों के लिए बचत के आधार पर पेंशन प्राप्त करना वह भी बाजार की जोखिमों के अधीन या सरकार का अजीब दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है।

जब कोई कार्मिक अपना पूरा जीवन शासकीय सेवा में समर्पित करता है तो उसकी अभिलाषा अवश्य होती है कि उसकी वृद्धावस्था की देखरेख। शासन द्वारा की जाएगी परंतु नवीन पेंशन योजना में इसको परिवर्तन कर दिया गया साथ ही भविष्य निधि योजना को समाप्त करते हुए उस कार्मिक की भविष्य की योजनाओं यथा पुत्री का विवाह, किसी मकान का निर्माण अथवा अन्य सामाजिक पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए उसके द्वारा जो भविष्य निधि में धनराशि जमा की जाती थी वह व्यवस्था भी समाप्त हो गई। जिस कारण उसका सामान्य जीवन भी जो सेवानिवृत्त के पूर्व का है वह भी अनिश्चित है। साथ ही सरकार भी वंचित निधि में भी जबरदस्त घाटा आया होगा क्योंकि भविष्य निधि का पैसा सरकार की संचित निधि में आता था और सरकार से संचित निधि को वहां पर समाप्त करते हुए शेयर बाजार को प्रदान कर दिया इस प्रकार यह आर्थिक जोखिम जो बना है। यह सरकार की बजटीय योजनाओं को प्रभावित करने वाला भी हुआ वह भविष्य निधि केवल कार्मिक की भविष्य निधि का संचय ही नहीं होता था, परण दक्ष की संचित निधि का भी संचय होता था इस प्रकार वह की गई योजनाओं के विरुद्ध कर्मन अलीगढ़ लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, लेकिन इस बार के निर्वाचन ने कर्मचारी बहुत मुक्त होकर सामने आए दो तीन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के महत्व एवं कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। आशा करते हैं भविष्य में केंद्र सरकार इस विषय में निश्चित रूप से ठोस कदम उठाते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति अनुरूप पुरानी पेंशन योजना को अवश्य लागू करेगी तथा सरकार के उत्तरदायित्व सेवर पलायन नहीं करेगी।

(नूर जहाँ)

वरिष्ठ सहायक

जिला एवं सत्र न्यायालय

जालौन

तुम बिन जीवन सूना-सूना
सूना घर में आंगन है।
न बसन्त से फूल ही खिलते,
न रिमझिम बसरे सावन है।
तुम बिना जीवन सूना सूना ....

कब आओगे मीत मेरे
प्रतीक्षा की घड़िया बीत रही
तन्हाई में करवट लेते-लेटे
कितनी सर्दियां बीत रही
ये कौन बतायेगा मुझको ?
क्या यही उमड़ता यौवन है
तुम बिना जीवन सूना सूना ....

राजेश सिंह 'राज कंचनपुरी'
जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्ती

मधुर मिलन की आस में तरसे
मन के मोती आंखो से छलके
समय का योग बने संयोग
वो पल दिवस जो पावन है।
तुम बिन जीवन सूना सूना
सुना घर ये आंगन है।

बच्चों का कोना

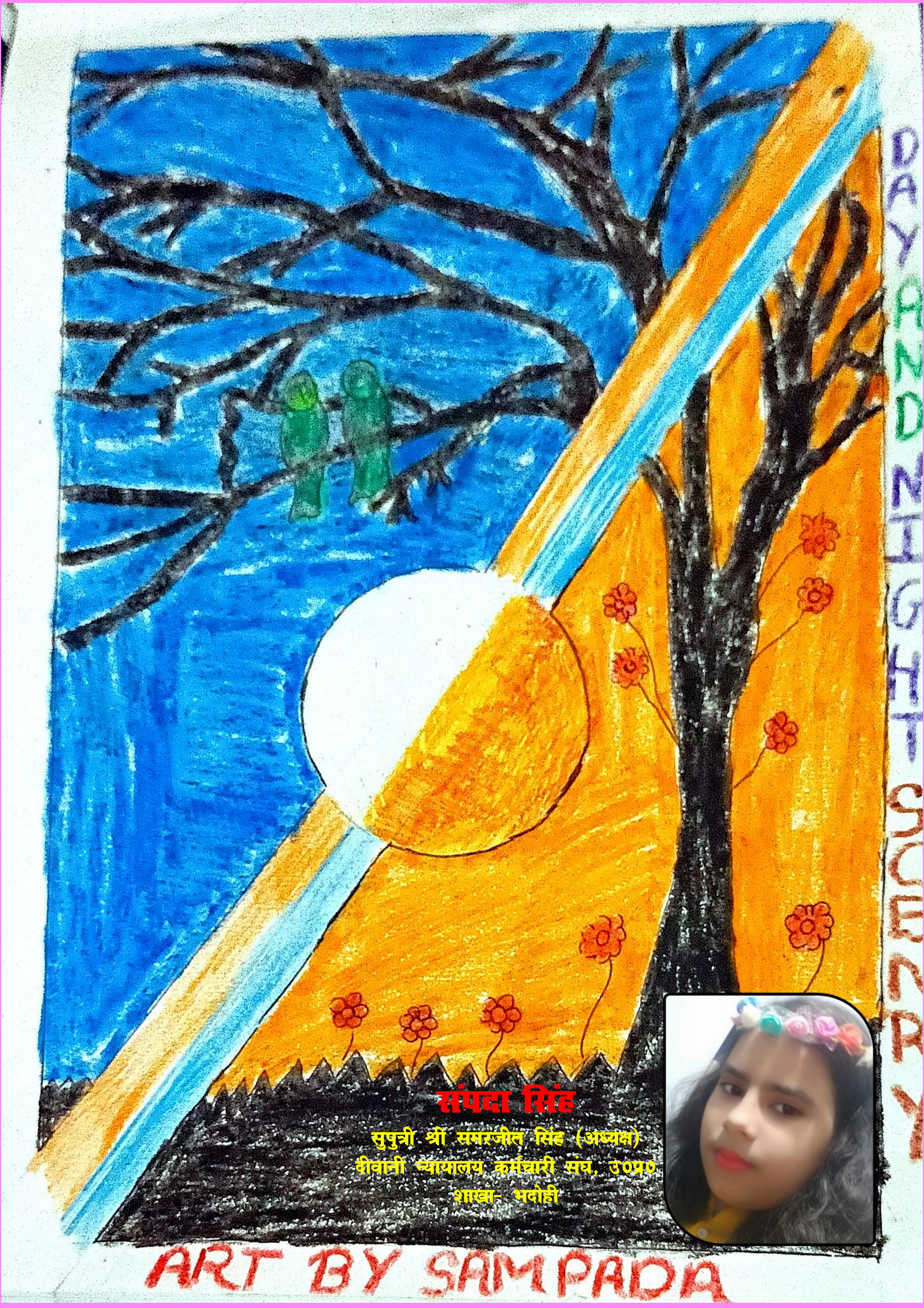

संपदा सिंह

सुपुत्री श्री समरजीत सिंह (अध्यक्ष)
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०
शाखा- भदोही

नाज़िया बानो

सुपुत्री मो० हक़ीक

कैशियर

जिला एवं सत्र न्यायालय, खीरी

रूद्र सिंह

सुपुत्र श्री समरजीत सिंह (अध्यक्ष)
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०
शाखा- भदोही

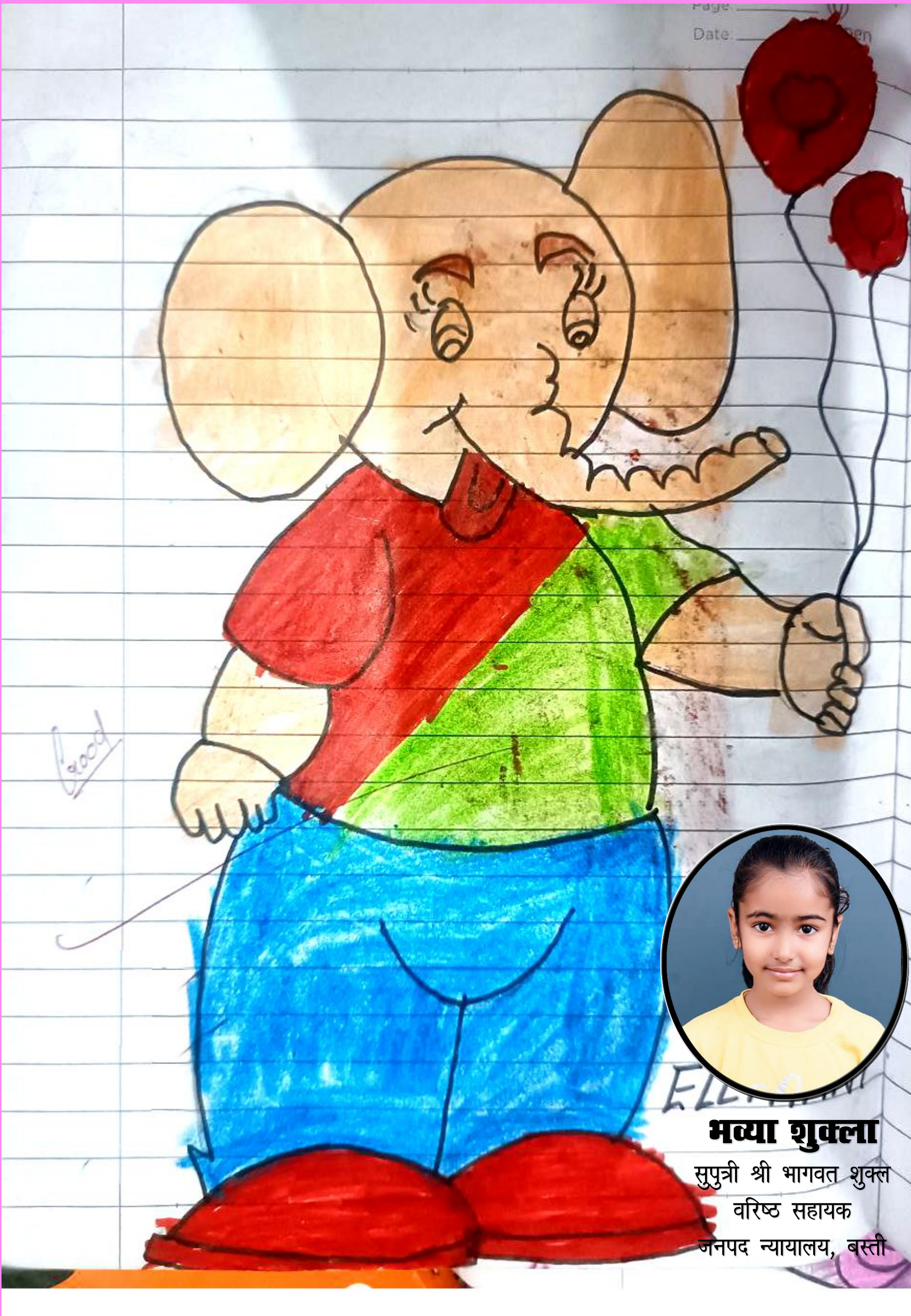

भव्या शुक्ला

सुपुत्री श्री भागवत शुक्ल

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, बस्ती

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश की अनोखी पहल **त्रैमासिक ई-पत्रिका ''उद्घोष''** के एक वर्ष पूर्ण होने व लगातार चौथे संस्करण के प्रकाशन पर श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह (प्रधान संपादक), श्री भागवत शुक्ला (सह-सम्पाकद) व उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई।

कर्मचारी गण के मान सम्मान आवाज के विरोध मे उठने वाली हर एक बदचलन हवा का रूख मोड़ देगा समर।

अगर कभी भी कर्मचारी हित के लिए आवाज उठाने मे एक भी कदम पीछे हटेगा तो अध्यक्ष पद क्या चीज है न्याय विभाग मे काम करना छोड़ देगा समर ।

समर का हर एक कदम कर्मचारी हित के लिए !!

जय संघ !

समरजीत सिंह

(शाखा-अध्यक्ष)

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०

शाखा- भदोही

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश

शाखा-फर्रुखाबाद के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण का

शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 05 जनवरी, 2022

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश

शाखा-चित्रकूट के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण का

शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 05 मार्च, 2022

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

(राजाज्ञा सं0 1083/7–137, 17/27–1928 तथा संख्या 99/7139, दिनांक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

सशक्त संगठन समर्थ कर्मचारी

मुख्यालय

15-A अभिषेक पुरम, जानकी पुरम विस्तार,
लखनऊ (उ0प्र0)–226021

Website: www.dnksup.com/

E-mail : contact@dnksup.com, dnksup1931@gmail.com

अध्यक्षीय कार्यालय

जिला एवं सत्र न्यायालय बदायूं
(उ0प्र0)

E-Mail : president@dnksup.com

महासचिव कार्यालय

जिला एवं सत्र न्यायालय,
श्रावस्ती (उ0प्र0)

E-Mail : generalsecretary@dnksup.com